स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

जुलाई, 2020
I.S.S.N. : 2457-0478

उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

संपादक-मंडल

डा. जी. नारायण राजू,
सचिव, विधायी विभाग

डा. रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव,
विधायी विभाग, प्रभारी, वि.सा.प्र.

श्री एस. आर. ढलेटा,
सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव एवं
विधायी परामर्शी, विधायी विभाग

डा. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रिन्सिपल,
विधि विभाग, डी आई आर डी, गुरु
गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

श्री ए. के. अवस्थी,
सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं डीन, विधि
संकाय लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

श्री एल. आर. सिंह,
प्रोफेसर एवं डीन, इलाहाबाद
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल,
सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

श्री अनुराग दीप,
एसोसिएट प्रोफेसर,
भारतीय विधि संस्थान

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय,
प्रधान संपादक

श्री कमला कान्त,
संपादक

श्री अविनाश शुक्ला,
संपादक

श्री असलम खान,
संपादक

सहायक संपादक : श्री पुण्डरीक शर्मा

उप-संपादक : सर्वश्री महीपाल सिंह और जसवन्त सिंह

ISSN 2457-0478

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 125/-

वार्षिक : ₹ 1,300/-

© 2020 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा..... द्वारा मुद्रित ।

आई.एस.एस.एन. 2457-0478

उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका

जुलाई, 2020 अंक - 7

प्रधान संपादक
डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय
संपादक
अविनाश शुक्ला

विधि साहित्य
प्रकाशन

(2020) 2 सि. नि. प.

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

Online selling of law Patrikas/Books is available on
Website ⟹ https://bharatkosh.gov.in/product/product

विक्रय कार्यालय : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001.
दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in

संपादकीय

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका प्रतिमाह आपके अवलोकनार्थ उच्च न्यायालयों द्वारा पारित प्रतिवेद्य निर्णय, जो अधिवक्ताओं, विधि छात्रों, न्यायाधीशों और अकादमीशियनों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, का प्रकाशन करता है । आप लोगों से प्राप्त सुझावों के आधार पर हमको अपनी पत्रिका की गुणवत्ता सुधारने और अपने कार्य को और अधिक निखारने की शक्ति प्राप्त होती है । कृपया अपने अमूल्य सुझावों से हमें अवगत कराते रहें और हमारा मार्गदर्शन करते रहें ।

इस अंक के माध्यम से मैं आपका ध्यान माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा **राज कुमार मुलानी** बनाम **रमेश कुमार हेमरजानी,** (2020) 2 सि. नि. प. 1 वाले मामले में तारीख 19 सितंबर, 2019 को पारित निर्णय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । इस निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6, नियम 17 के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए संशोधन प्रार्थनापत्र के माध्यम से अभिवचनों में स्वीकारोक्तियों का विलोपन किए जाने की अनुज्ञा प्रदान करने से इनकार कर दिया था । अभिवचनों में संशोधनों के मामले में **रेवा जीतू बिल्डर्स एंड डेवलपर्स** बनाम **नारायण स्वामी एंड सन्स,** (2009) 10 एस. सी. सी. 84 वाले मामले के पैरा 63 को निर्दिष्ट किया गया जिसमें न्यायालय ने अभिवचनों में संशोधन की आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए कहा कि संशोधन के लिए प्रार्थनापत्र तभी प्रस्तुत किया जा सकता है यदि (1) ईप्सित संशोधन मामले के उचित और प्रभावी न्यायनिर्णयन के लिए आवश्यक हो, (2) संशोधन के लिए प्रस्तुत किया गया आवेदन सद्भाविक हो, (3) संशोधन के कारण अन्य पक्ष पर ऐसा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए जिसकी प्रतिपूर्ति धन के रूप में न की जा सके, (4) संशोधन को मंजूर किए जाने से इनकार किए जाने के कारण वास्तव में अन्याय होगा और मुकदमेबाजी में गुणज़ता आ जाएगी, (5) प्रस्तावित संशोधन संवैधानिक या आधारी रूप से मामले की प्रकृति को परिवर्तित करने वाला हो और (6) ऐसे संशोधन को मंजूर किए जाने के कारण कोई नया वाद संशोधन आवेदन

की तारीख पर परिसीमा द्वारा बाधित हो जाए । न्यायालय ने विचार व्यक्त किया कि विलंब के साथ प्रस्तुत किया गया संशोधन प्रार्थनापत्र सद्भाविक नहीं कहा जा सकता, चाहे वह किसी नए तथ्य को प्रकाश में लाने वाला हो या किसी स्वीकारोक्ति के बाबत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने वाला हो । न्यायालय ने कहा कि पक्षों को अभिवचनों में की गई किसी भी स्वीकारोक्ति को संपूर्णता में वापस लिए जाने की अनुज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती । यदि स्वीकारोक्तियां सत्य और स्पष्ट हों तो वे स्वीकृत तथ्यों के सर्वोत्तम सबूत होते हैं । अभिवचनों में की गई स्वीकारोक्तियां साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 के अधीन स्वीकार्य होती हैं, जिन्हें पक्षों द्वारा मामले की सुनवाई के समय या उसके पूर्व किया जाता है और जो साक्ष्यिक स्वीकारोक्तियों से उच्चतर स्वरूप की होती हैं । ये स्वीकारोक्तियां करने वाले पक्ष पर पूर्णतया बाध्यकारी होती हैं और सबूत का अधित्यजन गठित करती हैं । उनको पक्षों के अधिकार का आधार बनाया जा सकता है । इसके विपरीत साक्ष्यिक स्वीकारोक्तियां, जो विचारण के प्रक्रम पर साक्ष्य के रूप में प्राप्त की जाती हैं, स्वयं में ही निश्चायक नहीं होती । उनको गलत भी साबित किया जा सकता है ।

पत्रिका में समायोजित सामग्री और गुणवत्ता के संबंध में सभी पाठकों के विचार अपेक्षित हैं । अगली पत्रिका के संपादन के समय उनके विचारों पर ध्यान दिया जाएगा ।

अविनाश शुक्ला
संपादक

उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका

जुलाई, 2020

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
आई. सी. आई. सी. आई. लोम्बार्ड जनरल एश्योरेंस कंपनी लि. **बनाम** श्रीमती भवानी देवी और अन्य	117
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड **बनाम** श्रीमती द्रौपदी देवी और अन्य	102
राज कुमार मुलानी **बनाम** रमेश कुमार हेमरजानी	1
राजस्थान राज्य **बनाम** संपत्त सिंह और अन्य	111
विश्वनाथ मिश्रा **बनाम** अपर जिला न्यायाधीश (त्रयोदश), वाराणसी और अन्य	16
सरोज सिंह चौहान (श्रीमती) **बनाम** अरविन्द कुमार चौहान	84

संसद् के अधिनियम

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ	1 – 57

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

उत्तर प्रदेश किराया नियंत्रण (किराए पर देना, किराया और निष्कासन) अधिनियम, 1972 (1972 का 13)

– धारा 3(त्र) [सपठित भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 182] – अभिकर्ता को मकान मालिक की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना – अभिकर्ता या अटार्नी द्वारा भवन स्वामी द्वारा प्रदत्त अधिकार के अंतर्गत भवन का किराया वसूल किए जाने के कारण मकान मालिक की परिभाषा के अंतर्गत आच्छादित तो हो जाएगा, किंतु वह संपत्ति में कोई हित अर्जित नहीं करेगा और संपत्ति के स्वामी के स्वत्व से इनकार नहीं कर सकता – वह न्यासी संबंध को ध्यान में रखते हुए अपने स्वयं के कब्जे का दावा नहीं कर सकता – उसका कब्जा समस्त प्रयोजनों के लिए संपत्ति के स्वामी का कब्जा होता है ।

विश्वनाथ मिश्रा बनाम **अपर जिला न्यायाधीश (त्रयोदश), वाराणसी और अन्य** 16

– धारा 3(त्र) [सपठित भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 182] – अभिकर्ता को मकान मालिक की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना – मकान मालिक की परिभाषा सम्मिलित परिभाषा है और यह अभिकर्ता या अटार्नी को भी विस्तारित होती है – यदि भवन स्वामी, जिसको किराया संदेय है, ने किसी अभिकर्ता या अटार्नी को किराया संग्रहण के लिए प्राधिकृत कर दिया है, तो जहां तक किराएदार का संबंध

पृष्ठ संख्या

है, अभिकर्ता या अटार्नी भी मकान मालिक की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित होगा ।

विश्वनाथ मिश्रा बनाम **अपर जिला न्यायाधीश (त्रयोदश), वाराणसी और अन्य** 16

– धारा 16(2) [सपठित भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 182] – याची द्वारा अभिकर्ता के रूप में अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता के प्रयोजनार्थ भवन को निर्मुक्त किए जाने के लिए आवेदन फाइल किया जाना – वह भवन के अधिभोग और भवन के स्वामियों के विरुद्ध अपने पक्ष में भवन या उसके किसी भाग को निर्मुक्त कराने का हकदार नहीं – वह भवन के स्वामी का मात्र एक केयरटेकर है ।

विश्वनाथ मिश्रा बनाम **अपर जिला न्यायाधीश (त्रयोदश), वाराणसी और अन्य** 16

मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59)

– धारा 166 और 173 – प्रतिकर का निर्धारण – अधिकरण द्वारा प्रतिकर का निर्धारण करते हुए अत्यंत न्यून बातों को साबित किया जाना अपेक्षित होता है अर्थात् मृतक की आयु, मृतक की आय और मृतक के आश्रितों की संख्या, मृतक पर उत्तरजीवियों की निर्भरता के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मृतक की आय में किए जाने वाले जोड़/कटौतियां, मृतक के व्यक्तिगत/जीविका के खर्चों के बाबत की जाने वाली कटौतियां मृतक की आयु के संदर्भ में लागू किया जाने वाला गुणांक महत्वपूर्ण कारक होता है ।

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम **श्रीमती द्रौपदी देवी और अन्य** 102

पृष्ठ संख्या

– धारा 173 और 183 – मोटर यान दुर्घटना अधिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय के विरुद्ध अपील – चालन अनुज्ञप्ति का आरंभिकत: जाली अभिकथित किया जाना चालन बीमा कंपनी ने इस तथ्य को न्यायालय में साबित नहीं किया कि चालन अनुज्ञप्ति जाली है और फिर उसने चालक को यान चालन की अनुज्ञा प्रदान की – अभिलेख पर यह प्रदर्शित किए जाने के प्रयोजनार्थ कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं पाई गई कि यान का स्वामी किसी भी प्रक्रम पर इस तथ्य के बाबत जागरूक नहीं था कि चालक द्वारा धारित अनुज्ञप्ति आरंभ से ही जाली थी, अत: यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि विद्वान् आयुक्त ने बीमाकर्ता पर बीमाकृत की क्षतिपूर्ति का दायित्व अधिरोपित करके त्रुटि कारित की ।

आई. सी. आई. सी. आई. लोम्बार्ड जनरल एश्योरेंस कंपनी लि. बनाम **श्रीमती भवानी देवी और अन्य** 117

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) [तारीख 1 दिसंबर, 2004 को यथा विद्यमान]

– आदेश 6, नियम 17 – अभिवचनों का संशोधन – क्या अभिवचनों में की गई स्वीकारोक्तियों को संशोधन के माध्यम से वापस लिया जा सकता है या अभिवचनों में उनका विलोपन किया जा सकता है – अभिवचनों में की गई सुस्पष्ट स्वीकारोक्ति को संशोधन के माध्यम से वापस लिए जाने की अनुज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती – प्रतिवादी-याची द्वारा फाइल किया गया संशोधन आवेदन सद्भाविक नहीं पाया गया – लघुवाद

पृष्ठ संख्या

न्यायाधीश द्वारा संशोधन आवेदन को न्यायत: अस्वीकृत किया गया ।

राज कुमार मुलानी बनाम **रमेश कुमार हेमरजानी** 1

– आदेश 9, नियम 13 और आदेश 5, नियम 12, 17, 18 और 20 [सपठित कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 13(1)(ख)] – निचले न्यायालय द्वारा विवाह-विच्छेद याचिका में एकपक्षीय निर्णय और डिक्री पारित किए जाने के पूर्व पत्नी/अपीलार्थी पर समन तामील न किया जाना – निचले न्यायालय द्वारा इस बाबत कोई समाधान अभिलिखित न किया जाना कि समन का प्रकाशन ऐसे दैनिक समाचारपत्र में किया गया जो उस क्षेत्र में व्यापक रूप से परिचालित था, जहां पत्नी/अपीलार्थी निवास करती है – एकपक्षीय आदेश और डिक्री अपास्त किए जाने योग्य हैं ।

सरोज सिंह चौहान (श्रीमती) बनाम **अरविन्द कुमार चौहान** 84

– आदेश 9, नियम 13 और आदेश 5, नियम 12, 17, 18 और 20 – निचले न्यायालय द्वारा विवाह-विच्छेद याचिका में एकपक्षीय निर्णय और डिक्री पारित किए जाने के पूर्व पत्नी/अपीलार्थी पर समन तामील न किया जाना – निचले न्यायालय को यथासंभव वाद के दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् निर्णय पारित करना चाहिए – दोनों पक्षों को सुने जाने के पश्चात् पारित निर्णय उस निर्णय से कहीं अधिक उत्तम होता है, जो एकपक्षीय रूप से पारित किया गया हो ।

सरोज सिंह चौहान (श्रीमती) बनाम **अरविन्द कुमार चौहान** 84

पृष्ठ संख्या

– धारा 96 – अपील न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आदेशात्मक भाग में संशोधन करते हुए वादियों को उनकी भूमि पर सड़क बनाए जाने के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत किए जाने का अवसर प्रदान किया जाना – यदि वादी निर्धारित अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आपत्ति नहीं प्रस्तुत करते, तो राज्य नियमानुसार सड़क बनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगा ।

राजस्थान राज्य बनाम **संपत्त सिंह और अन्य** 111

राज कुमार मुलानी

बनाम

रमेश कुमार हेमरजानी

(2019 की रिट याचिका सिविल संख्या 227)

तारीख 19 सितंबर, 2019

न्यायमूर्ति सूर्य प्रकाशन केसरवानी

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) [तारीख 1 दिसंबर, 2004 को यथा विद्यमान] – आदेश 6, नियम 17 – अभिवचनों का संशोधन – क्या अभिवचनों में की गई स्वीकारोक्तियों को संशोधन के माध्यम से वापस लिया जा सकता है या अभिवचनों में उनका विलोपन किया जा सकता है – अभिवचनों में की गई सुस्पष्ट स्वीकारोक्ति को संशोधन के माध्यम से वापस लिए जाने की अनुज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती – प्रतिवादी-याची द्वारा फाइल किया गया संशोधन आवेदन सद्भाविक नहीं पाया गया – लघुवाद न्यायाधीश द्वारा संशोधन आवेदन को न्यायत: अस्वीकृत किया गया ।

संक्षेप में वर्तमान मामले में अभिकथित तथ्य यह हैं कि वादी-प्रत्यर्थी कानपुर नगर के जवाहर नगर स्थित मकान का स्वामी और मकान-मालिक है । उक्त परिसर में वादी-प्रत्यर्थी द्वारा प्रतिवादी-याची को कुछ भाग 2,650/- रुपए के किराया और करों के संदाय की सहमति के आधार पर किराए पर दिया गया था । क्योंकि वादी-प्रत्यर्थी प्रतिवादी-याची की किराएदारी को जारी रखना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्रतिवादी-याची की किराएदारी को विनिर्धारित करते हुए और किराएदारी वाले भाग को रिक्त किए जाने की अपेक्षा करते हुए तारीख 24 सितंबर, 2015 की विधिक सूचना रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी । चूंकि प्रतिवादी-

याची द्वारा किराएदारी वाले भाग को रिक्त नहीं किया गया, इसलिए वादी-प्रत्यर्थी ने लघुवाद न्यायालय के समक्ष 2015 का लघुवाद संख्या 311 फाइल किया । प्रतिवादी-याची ने लिखित कथन फाइल किया, जिसके द्वारा उसने वादपत्र के पैरा संख्या 1 और 2 में समाविष्ट अंतर्वस्तु को स्वीकार किया । उसने कर सहित 2,650/- रुपए के किराए की दर को स्वीकार किया । उसने लिखित कथन के अन्य पैरों में भी इस तथ्य को स्वीकार किया । प्रतिवादी-याची ने लगभग 17 माह के पश्चात् तारीख 4 अक्तूबर, 2017 को लिखित कथन के पैरा संख्या 1, 2 और 3 में संशोधन के लिए आवेदन फाइल किया । संशोधन आवेदन का प्रार्थना खंड इस प्रकार हैं, "लिखित कथन के पैरा 1 की पंक्ति 6 में शब्द 'समस्त करों को सम्मिलित करते हुए 2,650/- रुपए के सहमत किराए' काटे जाएं और उनके स्थान पर 1,950/- रुपए और 700/- रुपए के किराए का संदाय अग्रिम रकम के रूप में प्रतिवादी द्वारा किया जा रहा था, जो वादी द्वारा प्रतिवादी से प्राप्त किया गया और इस प्रकार से किराया मात्र 1,950/- रुपए है जोड़े जाएं और संशोधन किया जाए और सन् 1972 के पश्चात् पैरा 2 की पंक्ति 5 में शब्द चूंकि किराया 1,950/- रुपए है, जिसका संदाय वादी को किया जा रहा है, जोड़े जाएं और संशोधन किया जाए और तारीख 24 सितंबर, 2015 के पश्चात् पैरा 3 की पंक्ति 4 में 'अवैध और आधारहीन है और वाद 1972 के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 की धारा 20 को ध्यान में रखते हुए पोषणीय नहीं है और सूचना जारी किए जाने की तारीख पर कोई किराया देय नहीं था । वास्तव में उत्तर देने वाला प्रतिवादी वर्ष 1966 से किराएदार है, आरंभिकत: किराया 40/- रुपए था और किराएदारी प्रतिवादी के पिता श्री चोइथ राम के नाम में थी, जिनकी मृत्यु 2003 में हो चुकी है और तत्पश्चात् किराएदारी उत्तर देने वाले प्रतिवादी के नाम में आ चुकी है और चूंकि वादी द्वारा धीरे-धीरे किराया बढ़ाया गया और अंतत: वादी किराए की रसीदें निर्गत करते हुए प्रतिवादी से प्रतिमाह 120/- रुपए का किराया प्राप्त कर रहा है और उसने उपरोक्त किराए से अधिक किराए की मांग आरंभ कर दी है और वर्तमान में किराया 1,950/- रुपए तक बढ़ा दिया है, जोड़े जाएं और संशोधन किया जाए ।" इस संशोधन

आवेदन को कानपुर नगर के अपर लघुवाद न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 1 द्वारा पारित तारीख 9 मई, 2019 के आदेश द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया । इससे व्यथित होकर प्रतिवादी-याची ने 2019 की सिविल पुनरीक्षण याचिका संख्या 52 फाइल की, जिसको कानपुर नगर के भारसाधक जिला न्यायाधीश/अपर जिला न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 1 द्वारा तारीख 11 जुलाई, 2019 का आक्षेपित आदेश पारित करते हुए खारिज कर दिया गया । प्रतिवादी-किराएदार/याची ने उपरोक्त दोनों आदेशों से व्यथित होकर वर्तमान पुनरीक्षण याचिका संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन फाइल की । पुनरीक्षण याचिका खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – विधिक स्थिति, जैसाकि ऊपर उद्धृत किया गया है, से यह स्पष्ट है कि सुशील कुमार जैन वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय, जिसे कि पलटा जा चुका है, के आधार पर याची द्वारा किए गए निवेदन अस्वीकृत किए जाने योग्य हैं । मैं पूर्वोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए अभिनिर्धारित करता हूं कि अभिवचनों में की गई सुस्पष्ट स्वीकारोक्ति को संशोधन के माध्यम से वापस लिए जाने की अनुज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती । प्रतिवादी-याची द्वारा फाइल किया गया संशोधन आवेदन सद्भाविक नहीं था । लघुवाद न्यायाधीश ने तारीख 9 मई, 2019 के आक्षेपित आदेश द्वारा संशोधन आवेदन को न्यायत: अस्वीकृत किया और याची द्वारा फाइल किए गए पुनरीक्षण, को कानपुर नगर के कार्यकारी जिला न्यायाधीश/अपर जिला न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 1 द्वारा तारीख 11 जुलाई, 2019 के आदेश द्वारा न्यायत: खारिज किया गया है । मैं ऊपर वर्णित कारणोंवश इस याचिका में कोई गुणागुण नहीं पाता । परिणामत: याचिका 5,000/- रुपए की लागत के साथ खारिज की जाती है । (पैरा 12, 13 और 14)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2015] (2015) 10 एस. सी. सी. 203 :
रामनिरंजन कजारिया बनाम **शिव प्रकाश कजारिया और अन्य** ; 7

[2009] (2009) 14 एस. सी. सी. 38 :
सुशील कुमार जैन बनाम **मनोज कुमार** ; 6,10,11

[1984] (1984) सप्ली. एस. सी. सी. 594 :
पंचदेव नारायण श्रीवास्तव बनाम **ज्योति सहाय** । 10,11

अपीली रिट अधिकारिता : 2019 की रिट याचिका सिविल संख्या 227.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 227 के अधीन रिट याचिका ।

याची की ओर से श्री जयंत कुमार

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री अतुल दयाल और आयुष खन्ना

आदेश

प्रतिवादी-याची के विद्वान् काउंसेल श्री जयंत कुमार और वादी-प्रत्यर्थी के विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल श्री अतुल दयाल, जिनकी सहायता श्री आयुष खन्ना द्वारा की गई, को सुना ।

2. संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन यह रिट याचिका निम्नलिखित अनुतोष की प्रार्थना करते हुए फाइल की गई है :-

> "(i) यह न्यायालय 2015 के लघुवाद मामला संख्या 311 **(रमेश कुमार हेमरजानी** बनाम **राजकुमार मुलानी)** में लघुवाद न्यायालय के अपर न्यायाधीश द्वारा पारित तारीख 9 मई, 2019 के आदेश (जो इस याचिका का संलग्न-5 है) और साथ ही 2019 के सिविल पुनरीक्षण संख्या 52 **(राजकुमार मुलानी** बनाम **रमेश कुमार हेमरजानी)** में कानपुर नगर के जिला न्यायाधीश द्वारा पारित तारीख 11 जुलाई, 2019 के आदेश (जो इस याचिका का संलग्न-साथ है) को अपास्त किए जाने के लिए आदेश या निदेश जारी करे ।"

तथ्य

3. संक्षेप में वर्तमान मामले में अभिकथित तथ्य यह है कि वादी-प्रत्यर्थी कानपुर नगर के जवाहर नगर के एफ. रोड पर स्थित मकान

संख्या 107/170-बी. का स्वामी और मकान मालिक है । उक्त परिसर में वादी-प्रत्यर्थी द्वारा प्रतिवादी-याची को कुछ भाग 2,650/- रुपए के किराए और करों के संदाय की सहमति के आधार पर किराए पर दिया गया था । क्योंकि वादी-प्रत्यर्थी प्रतिवादी-याची की किराएदारी को जारी रखना नहीं चाहता था, इसलिए उसने प्रतिवादी-याची की किराएदारी को विनिर्धारित करते हुए और किराएदार से किराएदारी वाले भाग को रिक्त किए जाने की अपेक्षा करते हुए, तारीख 24 सितंबर, 2015 की विधिक सूचना रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी । चूंकि प्रतिवादी-याची द्वारा किराएदारी वाले भाग को रिक्त नहीं किया, इसलिए वादी-प्रत्यर्थी ने 2015 का लघुवाद मामला वाद संख्या 311 **(रमेश कुमार हेमरजानी** बनाम **राजकुमार मुलानी)** फाइल किया । प्रतिवादी-याची ने तारीख 19 मई, 2016 का लिखित कथन फाइल किया, जिसके द्वारा उसने वादपत्र के पैराग्राफ संख्या 1 और 2 में समाविष्ट अंतर्वस्तु को स्वीकार किया । उसने कर सहित 2,650/- रुपए के किराए की दर को स्वीकार किया । उसने लिखित कथन के अन्य पैराग्राफों में भी इस तथ्य को स्वीकार किया । तारीख 19 मई, 2016 के लिखित कथन के सुसंगत पैराग्राफ संख्या 1, 4 और 8 को नीचे प्रत्युपादित किया गया है :–

> "(1) वादपत्र के पैरा 1 और 2 की अंतर्वस्तु, जैसाकि अभिकथित किया गया है, इस सुधार के साथ स्वीकार किया गया है कि प्रतिवादी करों को सम्मिलित करते हुए 2,650/- रुपए के किराए की सहमति के आधार प्रथम तल पर दुकान और भंडरिया के अतिरिक्त 8 × 10 वर्ग फीट के एक कमरे का भी किराएदार है, जो उक्त परिसर के प्रथम तल पर स्थित है, यद्यपि वादी को वादपत्र के पैरा 1 और 2 में समाविष्ट उसके कथनों को साबित करना है ।
>
> (4) प्रतिवादी को वादपत्र के पैरा 6, 7, 8 और 9 की अंतर्वस्तु, जैसाकि अभिकथित किया गया है, गलत और असत्य होने के कारण स्वीकार नहीं है । वादी ने प्रतिवादी को उक्त मकान के किराएदारी वाले भाग से तारीख 24 सितंबर, 2015 की अवैध और आधारहीन सूचना के आधार पर निष्कासित करने के लिए एक

मनगढ़ंत कहानी गढ़ी है, जिसका कोई विधिक आधार नहीं है और उक्त विधिक सूचना के आधार पर किराए की अभिभावी दर के रूप में 20,000/- रुपए प्रतिमाह के नुकसान के बाबत की गई मांग आरंभ से ही व्यर्थ है, चूंकि वादी ने उक्त सूचना दिए जाने के पश्चात् करों को सम्मिलित करते हुए 2,650/- रुपए प्रतिमाह के किराए की सहमति को स्वीकार किया है, इसलिए संपूर्ण कार्यवाही निरर्थक हो जाती है और वादी को वादपत्र के पैरा 6, 7, 8 और 9 को कड़ाईपूर्वक साबित करना होगा । प्रतिवादी उक्त परिसर का विधिमान्य किराएदार है और वह प्रतिमाह 36,000/- रुपए या 20,000/- रुपए के किसी नुकसान, जैसीकि मांग वादी द्वारा की गई है, के संदाय का दायी नहीं है ।

(8) चोइथ राम गुलानी, जो गालूमल का पुत्र है, वर्ष 1966 से उक्त मकान में 40/- रुपए प्रतिमाह की दर से भूमि तल पर एक दुकान और एक भंडरिया और प्रथम तल पर एक कमरे का किराएदार था और मकान मालिक ने धीरे-धीरे किराया और कर 50/- रुपए, 60/- रुपए और अंतत: वर्ष 1996 में 1,500/- रुपए तक बढ़ा दिया और तारीख 26 जनवरी, 2003 तक, जब चोइथ राम की मृत्यु हुई और तत्पश्चात् वादी और उसका भाई अशोक कुमार उक्त किराएदारी वाले भाग के किराएदार बने और मकान मालिक ने अपने किराएदारों से किराया नकद में प्राप्त किया और वर्तमान में वादी ने 1,950/- रुपए किराए और 700/- रुपए कर, कुल 2,650/- रुपए प्राप्त कर रहा है और चूंकि वर्तमान मकान उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 के उपबंधों के अंतर्गत है और प्रतिवादी उक्त अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित है, इसलिए वाद निरर्थक है और अपास्त किए जाने योग्य है ।"

4. प्रतिवादी-याची ने लगभग 17 माह के पश्चात् तारीख 4 अक्तूबर, 2017 को लिखित कथन के पैराग्राफ संख्या 1, 2 और 3 में संशोधन के लिए संशोधन आवेदन फाइल किया । संशोधन आवेदन के प्रार्थना खंड को नीचे प्रत्युत्पादित किया गया है :-

"लिखित कथन के पैरा 1 की पंक्ति 6 में शब्द 'समस्त करों

को सम्मिलित करते हुए 2,650/- रुपए के सहमत किराए' काटे जाएं और उनके स्थान पर 1,950/- रुपए और 700/- रुपए के किराए का संदाय अग्रिम रकम के रूप में प्रतिवादी द्वारा किया जा रहा था, जो वादी द्वारा प्रतिवादी से प्राप्त किया गया और इस प्रकार से किराया मात्र 1,950/- रुपए है जोड़े जाएं और सन् 1972 के पश्चात् पैरा 2 की पंक्ति 5 में शब्द 'चूंकि किराया 1,950/- रुपए है, जिसका संदाय वादी को किया जा रहा है', जोड़े जाएं और संशोधन किया जाए और तारीख 24 सितंबर, 2015 के पश्चात् पैरा 3 में पंक्ति 4 में 'अवैध और आधारहीन है और वाद 1972 के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 की धारा 20 को ध्यान में रखते हुए पोषणीय नहीं है और सूचना जारी किए जाने की तारीख पर कोई किराया देय नहीं था । वास्तव में उत्तर देने वाले प्रतिवादी वर्ष 1966 से किराएदार है, आरंभिकत: किराया 40/- रुपए था और किराएदारी प्रतिवादी के पिता श्री चोइथ राम के नाम में थी, जिनकी मृत्यु 2003 में हो चुकी है और तत्पश्चात् किराएदारी उत्तर देने वाले प्रतिवादी के नाम में आ चुकी है और चूंकि वादी द्वारा धीरे-धीरे किराया बढ़ाया गया और अंतत: वादी किराए की रसीदें निर्गत करते हुए प्रतिवादी से प्रतिमाह 120/- रुपए का किराया प्राप्त कर रहा है और उसने उपरोक्त किराए से अधिक किराए की मांग आरंभ कर दी है और वर्तमान में किराया 1,950/- रुपए तक बढ़ा दिया है, को जोड़े जाएं और संशोधन किया जाए ।"

5. पूर्वोक्त संशोधन आवेदन संख्या 39(ग) कानपुर नगर के अपर लघुवाद न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 1 द्वारा पारित तारीख 9 मई, 2019 के आदेश द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया । इससे व्यथित होकर प्रतिवादी-याची ने 2019 की सिविल पुनरीक्षण याचिका संख्या 52 फाइल की, जिसको कानपुर नगर के भारसाधक जिला न्यायाधीश/अपर जिला न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 1 द्वारा तारीख 11 जुलाई, 2019 का आक्षेपित आदेश पारित करते हुए खारिज कर दिया गया । प्रतिवादी-किराएदार/याची ने उपरोक्त दोनों आदेशों से व्यथित होकर वर्तमान याचिका संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन फाइल की ।

निवेदन

6. याची के विद्वान् काउंसेल ने निवेदन किया कि लिखित कथन में की गई स्वीकारोक्तियों को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अधीन संशोधन द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सुशील कुमार जैन** बनाम **मनोज कुमार**[1] वाले मामले में अधिकथित विधि को दृष्टि में रखते हुए वापस लिया जा सकता है । उन्होंने आगे निवेदन किया कि प्रस्तावित संशोधन पैरा 1, 2 और 3 में किए गए प्रकथनों को मात्र स्पष्ट किए जाने के प्रयोजनार्थ था और इसलिए दोनों ही निचले न्यायालयों ने संशोधन आवेदन को मंजूर न करके विधि की दृष्टि में प्रकट रूप से त्रुटि कारित की ।

7. वादी-प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल श्री अतुल दयाल ने निवेदन किया कि प्रतिवादी-याची के विद्वान् काउंसेल द्वारा जिस निर्णय का अवलंब लिया गया, वह माननीय उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों द्वारा **रामनिरंजन कजारिया** बनाम **शिव प्रकाश कजारिया और अन्य**[2] वाले मामले में दिया गया है । उन्होंने आगे निवेदन किया कि प्रतिवादी-याची द्वारा प्रस्तुत किया गया संशोधन आवेदन असद्भाविक है और यह असद्भाव अभिलेख पर दृश्यमान है । वह वास्तव में संशोधन आवेदन द्वारा मामले के निर्णय को विलंबित करना चाहता था और संशोधन आवेदन का प्रतिवाद करते हुए लगभग तीन वर्ष व्यर्थ करने में सफल भी रहा । उन्होंने आगे निवेदन किया कि लिखित कथन में प्रतिवादी-किराएदार/याची द्वारा की गई स्वीकारोक्ति को संशोधन आवेदन द्वारा वापस लिए जाने की अनुज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती । उन्होंने आगे निवेदन किया कि संशोधन आवेदन को वापस लिए जाने का परिणाम यह होगा कि लघुवाद न्यायालय की अधिकारिता समाप्त हो जाएगी चूंकि 2,000/- रुपए से निम्नतर किराए वाले मामलों में अधिकारिता 1972 के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 के उपबंधों के अधीन विहित प्राधिकारी को होगी ।

---

[1] (2009) 14 एस. सी. सी. 38.

[2] (2015) 10 एस. सी. सी. 203.

चर्चा और निष्कर्ष

8. मैंने पक्षों के विद्वान् काउंसेलों द्वारा किए गए निवेदनों पर सावधानीपूर्वक विचार किया ।

9. वादपत्र के पैरा 1 में वादी-प्रत्यर्थी ने स्पष्टत: उल्लेख किया है कि किराया करों को सम्मिलित करते हुए 2,650/- रुपए प्रतिमाह है । इस प्रकथन को प्रतिवादी-याची द्वारा लिखित कथन के पैरा 1 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया और यह अभिकथित किया गया कि समस्त करों को सम्मिलित करते हुए सहमत किराए की दर 2,650/- रुपए है । पुन: लिखित कथन के पैरा संख्या 4 और 8 में प्रतिवादी-याची ने स्वीकार किया है कि करों को सम्मिलित करते हुए सहमत किराया 2,650/- रुपए प्रतिमाह है । अत: किराए की दर के संबंध में तथ्यों के आधार पर स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया किराया करों को सम्मिलित करते हुए 2,650/- रुपए पाया गया, जो प्रतिवादी-किराएदार/ याची ने लिखित कथन के पैरा संख्या 1, 4 और 8 में स्वीकार किया है, जिसे ऊपर प्रतित्युत्पादित किया गया है । याची ने संशोधन आवेदन द्वारा केवल पैरा संख्या 1, 2 और 3 में संशोधन की ईप्सा की है । लिखित कथन के पैरा संख्या 4 और 8 में कोई संशोधन ईप्सित नहीं है । प्रतिवादी-किराएदार/याची ने इस बात को स्वीकार किया है कि समस्त करों को सम्मिलित करते हुए मासिक किराए की दर 2,650/- रुपए है । अत:, यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादी-किराएदार/याची द्वारा लिखित कथन फाइल किए जाने के लगभग 17 माह पश्चात् फाइल किया गया संशोधन आवेदन सद्भाविक नहीं था ।

10. **सुशील कुमार जैन** (उपरोक्त) वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा दिया गया निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **पंचदेव नारायण श्रीवास्तव** बनाम **ज्योति सहाय**[1] वाले मामले में दिए गए एक अन्य निर्णय पर आधारित है, जिसमें यह मताभिव्यक्ति की गई है कि पक्षों द्वारा की गई किसी भी स्वीकारोक्ति को वापस लिया जा सकता है । माननीय उच्चतम

---

[1] (1984) सप्ली. एस. सी. सी. 594.

न्यायालय द्वारा **सुशील कुमार जैन** (उपरोक्त) वाले मामले में दिए गए निर्णय का सुसंगत पैरा, जिसका अवलंब प्रतिवादी-किराएदार/याची के विद्वान् काउंसेल द्वारा लिया गया, को नीचे प्रतित्युत्पादित किया गया है :-

> "9. इसके अतिरिक्त, लिखित कथन के संशोधन के लिए फाइल किए गए आवेदन को सावधानीपूर्वक पढ़े जाने पर हमारा यह विचार है कि अपीलार्थी अपने लिखित कथन में पूर्व में बरती गई अनवधानता और भ्रम को स्पष्ट करना चाहता है और उस पर विस्तारपूर्वक बताना चाहता है । यह अवधारणा करते हुए कि अपीलार्थी द्वारा अपने मूल लिखित कथन में स्वीकृति की गई है, तो भी ऐसी किसी भी स्वीकृति को उसके लिखित कथन का संशोधन किए जाने के द्वारा और यहां तक कि असंगत अभिवाक् किए जाने के द्वारा या अपने बचाव को प्रतिस्थापित या परिवर्तित किए जाने के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है ।
>
> 10. हम इस प्रक्रम पर स्वयं को इस बात का स्मरण दिलाना चाहते हैं कि अब विधि इस बाबत सुस्थापित हो चुकी है कि किसी वादपत्र और लिखित कथन का संशोधन निश्चित रूप से समान सिद्धांतों द्वारा शासित नहीं होते । बचाव का कोई नया आधार जोड़े जाने या प्रतिस्थापित किए जाने या किसी बचाव को परिवर्तित किए जाने से समान समस्या उसी प्रकार से उद्भूत नहीं होती, जिस प्रकार से किसी नए वाद कारण को जोड़े जाने, परिवर्तित किए जाने या प्रतिस्थापित किए जाने से समान समस्या उद्भूत नहीं होती (देखें बलदेव सिंह और अन्य **बनाम** मनोहर सिंह और अन्य, ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 2832) ।
>
> 12. इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अब हमको पक्षों के विद्वान् काउंसेलों द्वारा पूर्व में उठाए गए प्रश्न पर विचार करना चाहिए । जैसाकि इस मामले में पूर्व में अभिकथित किया गया है, किसी प्रतिवादी द्वारा उसके लिखित कथन में की गई स्वीकारोक्ति को उस लिखित कथन के संशोधन के लिए फाइल किए गए आवेदन के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है । इस सिद्धांत को इस

न्यायालय द्वारा पंचदेव नारायण श्रीवास्तव **बनाम** के. ज्योति सहाय, (ए. आई. आर. 1983 एस. सी. 462) वाले मामले में इस विवाद्यक पर विचार करते हुए स्थिरीकृत कर दिया गया है कि किसी पक्ष द्वारा की गई स्वीकारोक्ति को वापस लिया जा सकता है या उसको स्पष्ट किया सकता है । उक्त विनिश्चय के पैरा 3 में जो मताभिव्यक्ति की गई, वह निम्नलिखित –

> 'किसी पक्ष द्वारा की गई स्वीकारोक्ति को वापस लिया जा सकता है या उसका स्पष्टीकरण दिया जा सकता है । इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि संशोधन द्वारा किसी तथ्य की स्वीकारोक्ति को वापस लिया जा सकता है .....।'"

11. **पंचदेव श्रीवास्तव** (उपरोक्त) और **सुशील कुमार जैन** (उपरोक्त) वाले मामले में दिए गए निर्णयों पर माननीय उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठों द्वारा विचार किया गया । **राम निरंजन कजारिया** (उपरोक्त) वाले मामले में दिए गए निर्णय के पैरा 16 और 17 द्वारा पूर्वोक्त दोनों निर्णयों को पलट दिया गया और यह अभिनिर्धारित किया गया कि 'अभिवचनों में की गई सुस्पष्ट स्वीकारोक्ति को संशोधन द्वारा वापस लिए जाने की अनुज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती' । **राम निरंजन कजारिया** (उपरोक्त) वाले मामले में दिए गए निर्णय के पैरा संख्या 19, 20, 22 और 23 को नीचे प्रतित्युत्पादित किया गया है :–

> "19. गौतम स्वरूप **बनाम** लीला जेटली और अन्य [(2008)7 एस. सी. सी. 85] वाले मामले में **पंचदेव नारायण श्रीवास्तव** (उपरोक्त) और मोदी स्पीनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड **बनाम** लढ्ढा राम एंड कंपनी (उपरोक्त) वाले मामलों और अन्य विभिन्न विनिश्चयों, जिनमें अभिवचनों में स्वीकारोक्ति को वापस लिए जाने के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किए गए संशोधन पर विचार किया गया, पर विचार करते हुए पैरा 28 में जो अभिनिर्धारित किया गया, वह निम्नलिखित है –
>
> '28. इसलिए, ऊपर की गई चर्चा से जो बातें स्पष्ट होती

हैं, यह हैं कि क्या किसी सुस्पष्ट स्वीकारोक्ति से पीछे नहीं हटा जा सकता, किंतु कुछ विनिर्दिष्ट मामलों में इसको स्पष्ट किया जा सकता है ? तथापि, किसी स्वीकारोक्ति के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना या उसको स्पष्ट किया जाना उसकी प्रकृति और चरित्र पर निर्भर होगा । यह संभव है कि प्रतिवादी कोई निश्चायक अभिवचन करने का हकदार होता है । फिर भी, इस प्रकार के अनुकल्पिक अभिवचन एक दूसरे के परस्पर विध्वंसक नहीं हो सकते ।'

20. सामान्यत: संशोधनों के मामलों में रेवाजीतू बिल्डर्स एंड डेवल्पर्स **बनाम** नारायण स्वामी एंड सन्स और अन्य [(2009)10 एस. सी. सी. 84] वाले मामले में संप्रकाशित विनिश्चय में और **गौतम स्वरूप** (उपरोक्त) वाले मामले को निर्दिष्ट करते हुए, संशोधन के सिद्धांतों को पैरा 63 में स्पष्ट किया गया जो अभिनिर्धारित किया गया, वह निम्नलिखित है –

'63. इंग्लिश और भारतीय मामलों का समालोचनात्मक दृष्टिकोण से विश्लेषण किए जाने पर कुछ आधारी सिद्धांत प्रकट होते है, जिन पर संशोधन के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन को मंजूर या अस्वीकार करते हुए विचार किया जाना चाहिए –

(1) क्या ईप्सित संशोधन मामले के उचित और प्रभावी न्यायनिर्णयन के लिए आवश्यक है;

(2) क्या संशोधन के लिए प्रस्तुत किया गया आवेदन सद्भाविक है या असद्भाविक ;

(3) संशोधन के कारण अन्य पक्ष पर ऐसा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, जिसकी पर्याप्त रूप से प्रतिपूर्ति धन के रूप में न की जा सके ;

(4) संशोधन को मंजूर किए जाने से इनकार किया जाना वास्तव में अन्याय की ओर ले जाएगा या जिसके कारण मुकदमेबाजी में गुणजता हो जाएगी ;

(5) क्या प्रस्तावित संशोधन संवैधानिक रूप से या आधारी रूप से मामले की प्रकृति और चरित्र को परिवर्तित करता है ; और

(6) न्यायालय को सामान्य नियम के रूप में किसी भी ऐसे संशोधन को मंजूर करने से इनकार कर देना चाहिए, यदि संशोधन के आधार पर उत्पन्न होने वाले दावे के संबंध में कोई नया वाद संशोधन आवेदन की तारीख पर परिसीमा द्वारा बाधित हो जाएगा । ये कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं, जिनको आदेश 6 नियम 17 के अधीन फाइल किए गए आवेदन पर विचार करते हुए ध्यान में रखा जाना चाहिए ये सभी कारक उदाहरणात्मक हैं, न कि सर्वांगीण ।'

22. विलंब स्वयंमेव में ही किसी लिखित कथन में संशोधन के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन के संबंध में महत्वपूर्ण नहीं होता, चाहे वह किसी नए तथ्य को प्रकाश में लाने वाला हो या किसी स्वीकारोक्ति के बाबत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने वाला हो या पक्षों द्वारा कोई अनुकल्पिक स्थिति ग्रहण करने वाला हो । यह देखा गया है कि हमारे समक्ष उपस्थित मामले में वर्ष 2009 में विवाद्यक विरचित किए गए हैं । संशोधन की प्रकृति और चरित्र और अन्य परिस्थितियां, जैसीकि कि वर्तमान मामले में विद्यमान हैं और जिनको ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, संशोधन के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन के संबंध में विलंब और उसके परिणामों पर विचार किए जाने के प्रयोजनार्थ सुसंगत हैं । किंतु किसी भी पक्ष को अभिवचनों में की गई स्वीकारोक्ति को संपूर्णता में वापस लिए जाने की अनुज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती, जैसाकि इस न्यायालय द्वारा नागिन दास राम दास **बनाम** दलपतराम लच्छा राम **उर्फ** बृजराम और अन्य [(1974) 1 एस. सी. सी. 242] वाले मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, और इस निर्णय के पैरा 27 को नीचे उद्धृत किया गया है –

'27. बार की तरफ से उद्धृत मामलों पर विचारोपरांत जो

सिद्धांत उद्भूत होता है, वह यह है कि क्या डिक्री पारित किए जाने के समय किसी भी समय बिंदु पर न्यायालय के समक्ष ऐसी कुछ भी सामग्री उपलब्ध थी, जिसके आधार पर न्यायालय निष्कासन् के कानूनी आधार की विद्यमान्यता के बारे में प्रथमदृष्ट्या संतुष्ट हो सकता था, तो यह अवधारणा कि न्यायालय इस बाबत अत्यंत संतुष्ट था और यद्यपि निष्कासन् के लिए पारित की गई डिक्री प्रकटत: सहमति के आधार पर पारित की गई थी, विधिमान्य होगी । इस प्रकार की सामग्री या तो अभिलिखित साक्ष्य के आधार पर हो सकती है या वह सामग्री हो सकती है जो न्यायालय में पेश की गई हो या यह सामग्री भागत: या संपूर्णत: किसी सहमति करार में की गई अभिव्यक्त या सारगर्भित स्वीकारोक्ति के स्वरूप में हो सकती है । स्वीकारोक्तियां, यदि सत्य और स्पष्ट हो, स्वीकृत तथ्यों के सर्वोत्तम सबूत होते हैं । अभिवचनों या न्यायिक स्वीकारोक्तियों में की गई स्वीकारोक्तियां साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 के अधीन स्वीकार्य होती हैं, जिन्हें पक्षों द्वारा या उनके अभिकर्ताओं द्वारा मामले की सुनवाई के समय या उसके पूर्व किया जाता है और जो साक्ष्यिक स्वीकारोक्तियों से उच्चतर स्वरूप की होती हैं । पूर्ववर्ती वर्ग की स्वीकारोक्तियां उस पक्ष पर पूर्णतया बाध्यकारी होती हैं जो उनको करता है और वे सबूत का अधित्यजन गठित करती है । उनको स्वमेव के द्वारा ही पक्षों के अधिकारों का आधार बनाया जा सकता है । इसके विपरीत साक्ष्यिक स्वीकारोक्तियां, जो विचारण के प्रक्रम पर साक्ष्य के रूप में प्राप्त की जाती हैं, स्वयं में ही निश्चायक नहीं होती । उनको गलत भी दर्शित किया जा सकता है ।'

23. हम **नागिनदास रामदास** (उपरोक्त) वाले मामले में स्पष्ट की गई स्थिति और जैसाकि **गौतम स्वरूप** (उपरोक्त) वाले मामले में सहमति व्यक्त की गई है कि अभिवचनों में की गई सुस्पष्ट स्वीकारोक्ति को संशोधन द्वारा वापस लिए जाने की अनुज्ञा प्रदान

नहीं की जा सकती, से सहमत हैं । इस सीमा तक विधि की प्रतिपादना कि किसी भी स्वीकारोक्ति को वापस लिया जा सकता है, जैसाकि **पंचदेव नारायण श्रीवास्तव** (उपरोक्त) वाले मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, सही विधिक स्थिति को परावर्तित नहीं करते और इसे तद्नुसार पलटा जाता है ।"

(जोर देने के लिए रेखांकन किया गया है)

12. विधिक स्थिति, जैसाकि ऊपर उद्धृत किया गया है, से यह स्पष्ट है कि **सुशील कुमार जैन** (उपरोक्त) वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय, जिसे कि पलटा जा चुका है, के आधार पर याची द्वारा किए गए निवेदन अस्वीकृत किए जाने योग्य हैं ।

13. मैं पूर्वोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए अभिनिर्धारित करता हूं कि अभिवचनों में की गई सुस्पष्ट स्वीकारोक्ति को संशोधन के माध्यम से वापस लिए जाने की अनुज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती । प्रतिवादी-याची द्वारा फाइल किया गया संशोधन आवेदन सद्भाविक नहीं था । लघुवाद न्यायाधीश ने तारीख 9 मई, 2019 के आक्षेपित आदेश द्वारा संशोधन आवेदन को न्यायत: अस्वीकृत किया और याची द्वारा फाइल किए गए पुनरीक्षण को कानपुर नगर के कार्यकारी जिला न्यायाधीश/अपर जिला न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 1 द्वारा तारीख 11 जुलाई, 2019 के आदेश द्वारा न्यायत: खारिज किया गया है ।

14. मैं ऊपरवर्णित कारणोवश इस याचिका में कोई गुणागुण नहीं पाता । परिणामत: याचिका 5,000/- रुपए की लागत के साथ खारिज की जाती है ।

याचिका खारिज की गई ।

शु.

(2020) 2 सि. नि. प. 16 इलाहाबाद

विश्वनाथ मिश्रा

बनाम

अपर जिला न्यायाधीश (त्रयोदश), वाराणसी और अन्य

(2000 की सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 47311)

तारीख 19 सितंबर, 2019

न्यायमूर्ति सूर्य प्रकाश केसेजरवानी

उत्तर प्रदेश किराया नियंत्रण (किराए पर देना, किराया और निष्कासन) अधिनियम, 1972 (1972 का 13) – धारा 3(त्र) [सपठित भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 182] – अभिकर्ता को मकान मालिक की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना – अभिकर्ता या अटार्नी द्वारा भवन स्वामी द्वारा प्रदत्त अधिकार के अंतर्गत भवन का किराया वसूल किए जाने के कारण मकान मालिक की परिभाषा के अंतर्गत आच्छादित तो हो जाएगा, किंतु वह संपत्ति में कोई हित अर्जित नहीं करेगा और संपत्ति के स्वामी के स्वत्व से इनकार नहीं कर सकता – वह न्यासी संबंध को ध्यान में रखते हुए अपने स्वयं के कब्जे का दावा नहीं कर सकता – उसका कब्जा समस्त प्रयोजनों के लिए संपत्ति के स्वामी का कब्जा होता है ।

उत्तर प्रदेश किराया नियंत्रण (किराए पर देना, किराया और निष्कासन) अधिनियम, 1972 – धारा 3(त्र) [सपठित भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 182] – अभिकर्ता को मकान मालिक की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना – मकान मालिक की परिभाषा सम्मिलित परिभाषा है और यह अभिकर्ता या अटार्नी को भी विस्तारित होती है – यदि भवन स्वामी, जिसको किराया संदेय है, ने किसी अभिकर्ता या अटार्नी को किराया संग्रहण के लिए प्राधिकृत कर दिया है, तो जहां तक किराएदार का संबंध है, अभिकर्ता या अटार्नी भी मकान मालिक की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित होगा ।

उत्तर प्रदेश किराया नियंत्रण (किराए पर देना, किराया और निष्कासन) अधिनियम, 1972 – धारा 16(2) [सपठित भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 182] – याची द्वारा अभिकर्ता के रूप में अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता के प्रयोजनार्थ भवन को निर्मुक्त किए जाने के लिए आवेदन फाइल किया जाना – वह भवन के अधिभोग और भवन के स्वामियों के विरुद्ध अपने पक्ष में भवन या उसके किसी भाग को निर्मुक्त कराने का हकदार नहीं – वह भवन के स्वामी का मात्र एक केयरटेकर है ।

संक्षेप में मामले के तथ्य ये हैं कि श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर राज्य) की दीवान विद्यावती बद्रीनाथ वाराणसी के मोहल्ला ठठेरी बाजार स्थित मकान संख्या सी. के. 19/8, जो एक चार मंजिला भवन है, की मूल स्वामनी और मकान मालिक थीं, जिन्होंने रधुनाथ मिश्रा नामक व्यक्ति को इस मकान की देखभाल और किराया संगृहीत करने के लिए अपना अभिकर्ता नियुक्त कर दिया था और इस प्रयोजनार्थ उसको भवन के प्रथम तल पर एक कमरे के प्रयोग की अनुज्ञा प्रदान कर दी थी । याची उक्त अभिकर्ता रघुनाथ मिश्रा का पुत्र है । पूर्वोक्त मूल स्वामिनी और मकान मालिक ने प्रश्नगत मकान की वसीयत कानपुर स्थित विक्रमजीत सिंह सनातन धर्म महाविद्यालय के पक्ष में कर दी थी जिसका उल्लेख उन्होंने तारीख 11 फरवरी, 1960 की अपनी रजिस्ट्रीकृत वसीयत के पैरा (ई) में किया है और जिसका अनुमोदन जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा 1964 के मामला संख्या 51 में किया गया है । उक्त दस्तावेज में यह उल्लेख भी किया गया है कि जवाहर लाल मिश्रा का पुत्र रधुनाथ मिश्रा प्रश्नगत मकान में अभिकर्ता की हैसियत में एक भाग के कब्जे में था । जब रघुनाथ मिश्रा ने किराया और उससे संबंधित खाते प्रस्तुत नहीं किए, तो मूल स्वामिनी और मकान मालिक ने अभिकर्ता के अभिकरण और अनुज्ञप्ति को तारीख 29 मई, 1958 की सूचना द्वारा समाप्त कर दिया । तत्पश्चात्, उन्होंने वाराणसी के सिविल न्यायाधीश के न्यायालय में 1961 का मूल वाद संख्या 35 (श्रीमती विद्यावती देवी बनाम रघुनाथ मिश्रा) रघुनाथ मिश्रा के निष्कासन के लिए फाइल किया, जो तारीख 17 मई, 1988 के

निर्णय और डिक्री द्वारा डिक्री कर दिया गया और दीवानिनी श्रीमती विद्यावती देवी को प्रश्नगत मकान की स्वामिनी और रघुनाथ मिश्रा को उनका अभिकर्ता और केयरटेकर घोषित कर दिया गया और प्रतिवादियों को निर्देशित किया गया कि वे किराए की वसूली में मध्यक्षेप न करें । याची ने तारीख 17 मई, 1988 के निर्णय के विरुद्ध 1988 की सिविल अपील संख्या 600 (विश्वनाथ मिश्रा बनाम नरेन्द्रजीत सिंह) फाइल की, जिसको वाराणसी के चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश द्वारा पारित तारीख 30 मई, 1998 के निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया । याची ने इस निर्णय के विरुद्ध 1998 की द्वितीय अपील संख्या 1196 (विश्वनाथ मिश्रा बनाम रतनशंकर चौरसिया) फाइल की, जिसमें तारीख 3 सितंबर, 1998 का अंतरिम आदेश 2,500/- रुपए प्रतिमाह की रकम जमा करते रहने की शर्त के अध्यधीन रहते हुए डिक्री को स्थगित करते हुए पारित किया गया । उक्त अपील वर्तमान में लंबित है । कानपुर स्थित उपरोक्त विक्रमजीत सिंह सनातन धर्म महाविद्यालय ने तारीख 2 फरवरी, 1983 को एक प्रस्ताव पारित किया जिसके द्वारा महाविद्यालय के अध्यक्ष नरेन्द्रजीत सिंह को प्रश्नगत भवन का विक्रय विलेख रतनशंकर चौरसिया और अन्य (इस मामले के प्रत्यर्थी संख्या 3 और 4) के पक्ष में निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया गया और तद्नुसार प्रश्नगत भवन का तारीख 25 मार्च, 1983 का रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख पूर्वोक्त रतनशंकर चौरसिया और अन्य के पक्ष में निष्पादित किया गया । पूर्वोक्त क्रेताओं ने वाराणसी के नगर महापालिका अभिलेखों में कर अधीक्षक द्वारा तारीख 6 जुलाई, 1985 को पारित आदेश के अधीन अपने नामों का नामांतरण करा लिया । वाराणसी की नगरपालिका के अपर आयुक्त के तारीख 5 नवंबर, 1960 के आदेश के अनुसार रघुनाथ मिश्रा (याची के पिता) का नाम श्रीमती विद्यावती बद्रीनाथ के अभिकर्ता के रूप में अभिलिखित किया गया था । वाराणसी नगर महापालिका द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश की प्रतियों के अनुसार रघुनाथ मिश्रा का नाम मूल स्वामिनी और मकान मालिक श्रीमती विद्यावती बद्रीनाथ के अभिकर्ता के रूप में उल्लिखित है । प्रश्नगत मकान के प्रथम तल पर श्रीमती सत्यभामा देवी नामक महिला कुछ भाग की किराएदार थी

जिनकी मृत्यु तारीख 2 जनवरी, 1985 को हो गई थी । उनका कोई पुत्र नहीं था बल्कि केवल तीन पुत्रियां थीं, जो विवाहित थीं । याची विश्वनाथ मिश्रा ने 1972 के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 की धारा 16(1)(ख) के अधीन तारीख 10 जनवरी, 1985 का निर्मुक्ति आवेदन उस भाग की निर्मुक्ति के प्रयोजनार्थ फाइल किया, जो किराएदार स्वर्गीय श्रीमती सत्यभामा देवी के कब्जे में था । याची ने अपने निर्मुक्ति आवेदन में अभिकथित किया है कि उसको अपने व्यक्तिगत प्रयोग हेतु भवन के प्रथम तल पर स्थित किराएदारी वाले भाग की सद्भाविक आवश्यकता है । प्रत्यर्थी संख्या 3 और 4 (तारीख 25 मार्च, 1983 के रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख द्वारा भवन के क्रेता) द्वारा भी एक निर्मुक्ति आवेदन फाइल किया गया । इस निर्मुक्ति आवेदन को 1985 के मामला संख्या 3 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया । वाराणसी के किराया नियंत्रण और निष्कासन अधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट ने तारीख 22 जुलाई, 1988 के आक्षेपित आदेश द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 3 और 4 के निर्मुक्ति आवेदन को मंजूर कर लिया और याची का निर्मुक्ति आवेदन यह निष्कर्ष अभिलिखित करते हुए अस्वीकृत कर दिया, "मैंने समस्त पत्रावली का सम्यक् रूप से अवलोकन किया । प्रश्नगत भवन संख्या सी. के. 19/8, ठठेरी बाजार, शहर वाराणसी के भवन स्वामी के निर्धारण का कोई अधिकार इस न्यायालय को नहीं है, परंतु प्रथम अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, वाराणसी के तारीख 17 मई, 1988 के आदेश के अंतर्गत वाद संख्या 35 सन् 1961 द्वारा यह तथ्य निर्विवाद रूप से सिद्ध किया जा चुका है कि प्रश्नगत भवन के स्वामी प्रार्थी विश्वनाथ मिश्रा नहीं हैं बल्कि उन्हें उससे बेदखल करने का आदेश पारित किया जा चुका है, अत: प्रार्थी विश्वनाथ मिश्रा के निर्मुक्ति आवेदन तारीख 10 जनवरी, 1985 को स्वीकार किए जाने का कोई औचित्य ही नहीं है । सिविल न्यायालय के आदेश तारीख 17 मई, 1988 में वाद बिंदु संख्या 20, 21 व 22 के निर्णय में न्यायालय द्वारा यह निर्णीत किया गया कि वादी संख्या 1 श्रीमती दीवानिनी बद्रीनाथ द्वारा नरेन्द्रजीत सिंह को भवन संख्या सी. के. 19/8 ठठेरी बाजार, वाराणसी का एक्जिक्यूटर उचित ढंग से नियुक्त किया गया था । इस प्रकार नरेन्द्रजीत सिंह को आपत्तिकर्ता

रतनशंकर चौरसिया आदि के पक्ष में बैनामा तारीख 25 मार्च, 1983 निष्पादित करने का पूर्ण अधिकार था और इसके आधार पर प्रश्नगत भवन के वर्तमान भवन स्वामी आपत्तिकर्ता रतनशंकर चौरसिया आदि सिद्ध होते हैं । प्रश्नगत भवन का वह भाग, जो स्वर्गीय श्रीमती सत्यभामा देवी की किराएदारी में था तथा जो अब रिक्त है, को आपत्तिकर्तागण रतनशंकर चौरसिया आदि के पक्ष में ही निर्मुक्ति किया जाना न्यायोचित है । इस प्रश्नगत भवन के संबंध में अन्य आवेदकों का आबंटन प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है । स्वर्गीय श्रीमती सत्यभामा देवी द्वारा प्रश्नगत भवन संख्या सी. के. 19/8, ठठेरी बाजार, वाराणसी के प्रथम तल का एक दो दरी कमरा, एक कोठरी मय दालान व अन्य भाग, जो उनकी किराएदारी में था, आपत्तिकर्तागण रतनशंकर चौरसिया आदि के पक्ष में निर्मुक्त किया जाता है । औपचारिक आदेश निर्गत हो ।" याची ने वाराणसी के किराया नियंत्रण और निष्कासन अधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट द्वारा तारीख 22 जुलाई, 1988 के पूर्वोक्त आदेश से व्यथित होकर 1988 की किराया पुनरीक्षण संख्या 150 (डा. विश्वनाथ मिश्रा बनाम किराया नियंत्रण और निष्कासन अधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट, वाराणसी और एक अन्य) 1972 के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 की धारा 18 के अधीन फाइल की, जिसमें उन्होंने स्वयं के प्रश्नगत मकान का मकान मालिक होने का दावा इस आधार पर किया कि उनके दादा जवाहर लाल मिश्रा और तत्पश्चात् उनके पिता रघुनाथ मिश्रा और वर्तमान में वह प्रश्नगत मकान के कब्जे में है । 1988 की पूर्वोक्त किराया पुनरीक्षण संख्या 150 (डा. विश्वनाथ मिश्रा बनाम किराया नियंत्रण और निष्कासन अधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट, वाराणसी और एक अन्य) को वाराणसी के त्रयोदश अपर जिला न्यायाधीश द्वारा तारीख 24 अक्तूबर, 2000 को पारित आक्षेपित निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया । विद्वान् पुनरीक्षण न्यायालय ने यह निष्कर्ष अभिलिखित किए "मैंने एकपक्षीय रूप से प्रार्थी को सुना और पत्रावली का अध्ययन किया । विवादित मकान संख्या सी. के. 19/8, ठठेरी बाजार, वाराणसी में स्थित है, इस पर विवाद नहीं है । प्रश्नगत भवन के जिस अंश के बारे में, जिसका विवरण प्रार्थी के निर्मुक्ति प्रार्थनापत्र के अंत में दिया गया है,

निर्मुक्ति आदेश चाहा गया है और उसमें श्रीमती सत्यभामा किराएदार थीं, जिनकी मृत्यु हो गई है, इस पर भी विवाद नहीं है । प्रार्थी निगरानीकर्ता की ओर से यह कहा गया कि अवर न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को नजरअंदाज करते हुए मनमाने तरीके से निर्णय दिया, जबकि विवादित मकान का वास्तव में मालिक प्रार्थी विश्वनाथ मिश्रा है । अब देखना है कि क्या प्रार्थी विवादित मकान का स्वामी पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से सिद्ध होता है । यह सत्य है कि अधिनियम संख्या 13/72 की धारा 16(1)(बी) में निर्मुक्ति आदेश पारित करते समय केवल मकान मालिक देखा जाना आवश्यक है, स्वामित्व देखा जाना आवश्यक नहीं । लेकिन चूंकि इस मामले में विपक्षी रतनशंकर चौरसिया आदि ने प्रार्थी को मकान मालिक का केयरटेकर (एजेंट) बताया है, इसलिए निर्मुक्ति प्रार्थनापत्र के निस्तारण में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर स्वामित्व पर विचार करना आवश्यक है, क्योंकि एजेंट धारा 3(त्र), ऐक्ट संख्या 13/1972 के अनुसार मकान मालिक तो हो सकता है, लेकिन इसी धारा 3(त्र) के अनुसार एजेंट लैंडलॉर्ड धारा 16(ए) अथवा धारा 21 के अंतर्गत अपनी आवश्यकता व उपयोग के लिए निर्मुक्ति का प्रार्थनापत्र नहीं दे सकता । प्रार्थी ने यह कहा कि विवादित मकान के मालिक पहले उसके बाबा जवाहर लाल मिश्रा थे, उसके बाद उसके पिता रघुनाथ मिश्रा हुए और अब वह मालिक है । स्वामित्व वादी के बाबा को कैसे प्राप्त हुआ, इसके बारे में वादी ने कहीं कुछ नहीं कहा । जबकि विपक्षीगण ने सूची 149 द्वारा 19 अद्द कागजात दाखिल किए, जिसमें से प्रथम कागज प्रार्थनापत्र रघुनाथ मिश्रा सन् 1986 का है, जिसमें रघुनाथ मिश्रा ने, जो प्रार्थी के पिता हैं, यह स्वीकार किया है कि विवादित मकान की मलकियत से उनका कोई ताल्लुकात व वास्ता सरोकार नहीं है । कागज संख्या 156 हुकुमनामा अषाढ़ 15 सन् 1986 की बाबत नियुक्ति रघुनाथ मिश्रा एजेंट/केयरटेकर है । कागज संख्या 159 नकल वसीयतनामा है, जिसे विद्यावती देवी ने विक्रमजीत सिंह सनातन धर्म कालेज, कानपुर के पक्ष में विवादित मकान के बाबत निष्पादित किया है । मूल वाद संख्या 35 सन् 1961 की प्रति कागज संख्या 162 है, जिसे विद्यावती देवी ने वादी व उसके

पिता के विरुद्ध दाखिल किया है । इसके अलावा कागज संख्या 168 लगायत 188 हिसाब और पत्र हैं, जिसे रघुनाथ मिश्रा ने दीवानिनी विद्यावती देवी व इस्टेट जम्मू कश्मीर को भेजा है । कागज संख्या 194 कर निर्धारण अधिकारी को सन् 1959 में भेजा गया पत्र है । इसमें रघुनाथ मिश्रा ने अपने को एजेंट आफ अमरनाथ विवादित मकान के संबंध में बताया है । इन तमाम अभिलेखीय साक्ष्यों, जिनका विवरण अवर न्यायालय ने नहीं किया है, से स्पष्ट हो जाता है कि विवादित मकान दीवान एस्टेट जम्मू-कश्मीर का था और बाद में दीवानिनी श्रीमती विद्यावती देवी को प्राप्त हुआ और दीवानिनी ने इस मकान की वसीयत विक्रमजीत सिंह सनातन धर्म महाविद्यालय, कानपुर के पक्ष में कर दी । यह सभी अभिलेख व तथ्य 147(ग) शपथपत्र, जो रतनशंकर चौरसिया द्वारा दिया गया, से समर्थित हैं । प्रार्थी की ओर से अपर आयुक्त के निर्णय तारीख 5 नवंबर, 1960 का हवाला देते हुए कहा गया कि विवादित मकान पर नगर महापालिका के कागजात में उसका नाम दर्ज है । मेरे विचार से यह निर्णय, जो कागज संख्या 207 है, जो प्रार्थी को लाभ नहीं देता क्योंकि इसमें प्रार्थी के पिता रघुनाथ मिश्रा का नाम बतौर एजेंट श्रीमती विद्यावती देवी अंकित है । द्वितीय दाखिल खारिज अपील का निर्णय तारीख 24 अप्रैल, 1991, जो द्वितीय अपर जिला जज, वाराणसी द्वारा रतनशंकर चौरसिया बनाम नगर महापालिका आदि में पारित किया गया तथा लघुवाद न्यायाधीश द्वारा लघुवाद संख्या 495/1979, विश्वनाथ मिश्रा बनाम जुगलकिशोर मिश्रा में जो निर्णय तारीख 24 अगस्त, 1991 को दिया गया, उनके आधार पर भी विवादित मकान का स्वामी प्रार्थी नहीं कहा जा सकता, बल्कि मात्र एजेंट कहा जाएगा । नगर पालिका, वाराणसी के कर निर्धारण पंजिका की नकल प्रार्थी ने फाइल की है, जिसमें भी रघुनाथ मिश्रा एजेंट बद्रीनाथ मिश्रा अंकित है । इस तरह पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, जिनका विचारण अवर न्यायालय में नहीं किया गया, से भी इस स्तर पर यह स्पष्ट है कि वादी अपने पिता के समय से मात्र विवादित मकान का एजेंट है । धारा 3(त्र) अधिनियम संख्या 13, 1972 में वह एजेंट के नाते लैंडलॉर्ड है, लेकिन उसे अपनी आवश्यकता व जरूरत के लिए मकान को निर्मुक्त

कराने का अधिकार नहीं है । प्रार्थी का यह कथन कि अवर न्यायालय का निर्णय स्वामित्व के संदर्भ में साक्ष्य के विपरीत है, ऐसा नहीं कहा जा सकता । अवर न्यायालय ने मूल वाद संख्या 35/1961 में पारित निर्णय के आधार पर अपना आदेश पारित किया है । उक्त निर्णय में श्रीमती विद्यावती देवी को विवादित मकान का मालिक घोषित किया गया है । प्रार्थी की ओर से यह कहा गया कि उक्त निर्णय की डिक्री का क्रियान्वयन माननीय उच्च न्यायालय के अपील संख्या 600/1988, विश्वनाथ बनाम नरेन्द्रजीत सिंह में पारित आदेश में स्थगित है, इसलिए उक्त मूल वाद संख्या 35/1961 के आधार पर पारित अवर न्यायालय का निर्णय अवैधानिक है । मेरे विचार से प्रार्थी की यह बहस भी उचित नहीं है, क्योंकि मूल वाद संख्या 35/1961 में उपरोक्त डिक्री अपास्त नहीं हुई है, इसका क्रियान्वयन भी स्थगित नहीं है, बल्कि इस डिक्री के आधार पर कराए जाने वाले निष्पादन को माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश तारीख 19 दिसंबर, 1988 द्वारा स्थगित किया है । अतः, ऐसा नहीं माना जा सकता कि मामला संख्या 35/1961 में विद्वान् सिविल जज द्वारा पारित निर्णय समाप्त हो चुका है । प्रार्थी की ओर से निर्णीत विधि श्रीमती केलसाश्वासी बनाम चतुर्थ अपर जिला जज आदि, (इलाहाबाद रेंट केसेज, 1961 पृष्ठ 43), कुंवर गुलाब बनाम जिला आपूर्ति अधिकारी आदि, (इलाहाबाद रेंट केसेज, 1980, पृष्ठ 502), तेजभान सदन बनाम द्वितीय अपर जिला जज, इलाहाबाद आदि (इलाहाबाद रेंट केसेज, 1982 पृष्ठ 120), रघुनाथ प्रसाद बनाम प्रथम अपर जिला जज, नैनीताल का हवाला दिया । इन सभी निर्णयज विधियों में माननीय उच्च न्यायालय ने मूलतः यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि जहां स्वत्व संबंधी मूढ़ प्रश्न बाद में उठता है, वहां निर्मुक्ति प्रार्थनापत्र के निस्तारण के दौरान स्वत्व संबंधी ऐसे प्रश्न को निर्णीत किया जाना उचित नहीं है, क्योंकि यह संक्षिप्त कार्यवाही है । मेरे विचार से उक्त निर्णीत विधियों का लाभ वर्तमान मामले में प्रार्थी को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यहां पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रार्थनापत्र के निस्तारण के लिए स्वामित्व का निर्धारण करना पूरी तरह संभव है । इस स्तर पर यह प्रश्न निर्णीत किया जा सकता है कि प्रार्थी एजेंट है या

मालिक । वास्तव में स्वत्व का निर्धारण मूल वाद संख्या 35/1961 की डिक्री से हो चुका है, जिसका निर्णय भी पत्रावली पर उपलब्ध है । अत: ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अवर न्यायालय ने स्वत्व के बारे में अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करते हुए निर्णय दिया है । अगला बिंदु अवधारण हेतु यह है कि क्या स्वर्गीय सत्यभामा व प्रार्थी का रिश्ता किराएदार व मकान मालिक का रहा है तथा रतनशंकर चौरसिया अजनबी व्यक्ति है और उनसे इस मकान से कोई मतलब नहीं है । जहां तक सत्यभामा व प्रार्थी के बीच किराएदार व मकान मालिक के रिश्ते का प्रश्न है, यह प्रत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से साबित है, लेकिन प्रार्थी-मकान मालिक किराया वसूलने के लिए एजेंट की हैसियत में था, वास्तविक स्वामी की हैसियत में नहीं । प्रारंभ में सत्यभामा की दो लड़कियों ने आपत्ति दाखिल करके प्रार्थी के प्रार्थनापत्र का विरोध किया था । दिनेश कुमार और विमला अग्रवाल के पुत्र ने अपना शपथपत्र कागज संख्या 40ग देकर विपक्षी रतनशंकर चौरसिया के केसेज को स्वीकार किया है और कहा कि विवादित मकान दीवान इस्टेट जम्मू-कश्मीर की संपत्ति है और प्रार्थी मात्र उसका केयरटेकर व एजेंट है । बाद में दिनेश कुमार अग्रवाल ने अपना एक शपथपत्र देकर प्रार्थी के केसेज को स्वीकार किया, लेकिन इस स्वीकारोक्ति का कोई असर नहीं पड़ता और इससे प्रार्थी विवादित मकान का वास्तविक स्वामी नहीं बन जाएगा, अधिक से अधिक एजेंट/केयरटेकर होगा । जैसा कि मैंने बताया है, एजेंट अपने उपयोग व आवश्यकता के लिए धारा 16(2)(बी) के अंतर्गत भवन को निर्मुक्त नहीं करा सकता । रतनशंकर चौरसिया के संबंध में वादी की ओर से यह कहा गया कि वह मकान व किराएदार के लिए अजनबी व्यक्ति है । इस संदर्भ में प्रार्थी का कथन भी मानने योग्य नहीं है । श्रीमती दीवानिनी विद्यावती देवी ने एक वसीयतनामा तारीख 3 अक्तूबर, 1960 को निष्पादित करके विवादित मकान का स्वामित्व विक्रमजीत सिंह सनातन धर्म महाविद्यालय, कानपुर को दे दिया था । उनकी मृत्यु के पश्चात् मकान मालिक विक्रमजीत सिंह सनातन धर्म महाविद्यालय, कानपुर हो गया और विक्रमजीत सिंह सनातन धर्म महाविद्यालय, कानपुर के सचिव तथा अध्यक्ष नरेन्द्रजीत सिंह ने एक

बैनामा तारीख 25 मार्च, 1983 को निष्पादित करके विवादित भवन रतनशंकर चौरसिया व उनके पुत्रों को बेच दिया । इस बैनामा की छायाप्रति कागज संख्या 113 पत्रावली पर उपलब्ध है । इस तरह विवादित मकान के संबंध में रतनशंकर चौरसिया को अजनबी व्यक्ति नहीं कहा जा सकता । प्रार्थी की ओर से यह कहा गया कि रतनशंकर चौरसिया आदि ने मूल वाद संख्या 35/1961 में पक्ष बनने का प्रार्थना-पत्र दिया था, जिसे विद्वान् सिविल जज द्वारा स्वीकर कर लिया गया था, जिसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में प्रार्थी ने निगरानी दाखिल की थी और रतनशंकर चौरसिया आदि पक्ष नहीं बन पाए । मेरे विचार से इससे कोई अंतर नहीं पड़ता । यदि मूल वाद संख्या 35/1961 के वाद बिंदुओं का निस्तारण रतनशंकर चौरसिया को बिना पक्ष बनाए किया जा सकता था, और उन्हें पक्ष नहीं बनाया गया, लेकिन उनके पक्ष न बनाए जाने से उनका बैनामा एवम् विवादित भवन के संदर्भ में दिया गया अधिकार समाप्त नहीं हो जाएगा । प्रार्थी की ओर से एक तथ्य यह रखा गया कि बैनामा निष्पादित करने से रोकने के लिए मूल वाद संख्या 223/1979, विश्वनाथ मिश्रा बनाम नरेन्द्रजीत सिंह दाखिल किया गया था जिसमें प्रतिवादी को बैनामा निष्पादन से रोक दिया गया था । इसके बावजूद प्रतिवादी ने निष्पादन किया, अत: बैनामा शून्य है और मेरे विचार से ऐसा नहीं है । वाद के दौरान जहां पर कोई बैनामा निष्पादित हुआ है, वहां पर वाद के अंतिम निर्णय पर उसका अस्तित्व निर्भर करता है, मूलत: बैनामा शून्य नहीं है । इस तरह मेरे विचार से विवादित संपत्ति का स्वामित्व बैनामे के बाद से रतनशंकर चौरसिया आदि के पास है वह प्रार्थी की ओर से यह बहस की गई कि रतनशंकर चौरसिया द्वारा निर्मुक्ति का कोई प्रार्थनापत्र नहीं दिया गया, इसके बावजूद भी अवर न्यायालय ने उसके पक्ष में निर्मुक्ति आदेश पारित किया । मेरे विचार से अवर न्यायालय का आदेश इस आधार पर अवैधानिक नहीं है, क्योंकि धारा 16(2)(बी) की कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही होती है । इसमें आपत्ति व प्रार्थनापत्र पर विचार करने के उपरांत यदि न्यायालय आपत्तिकर्ता के तथ्य को सही मानता है, तो निर्मुक्ति आदेश आपत्तिकर्ता के पक्ष में पारित किया जा सकता है तथा इस आधार पर अवर न्यायालय का

आदेश अवैधानिक नहीं है । प्रार्थी पक्ष की ओर से एक तथ्य यह रखा गया है कि उन्होंने अवर न्यायालय के विरुद्ध स्थानांतरण प्रार्थनापत्र जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया था । जिलाधिकारी महोदय ने पत्रावली तलब की थी, लेकिन इस स्थानांतरण के तथ्य को नजरअंदाज करते हुए अवर न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है, जिससे प्रार्थी का हित प्रभावित हुआ है । मेरे विचार से प्रार्थी का यह कथन भी माने जाने योग्य नहीं है, क्योंकि स्थानांतरण प्रार्थनापत्र पर फाइल तलब होने से अथवा स्थानांतरण प्रार्थनापत्र दिए जाने से न्यायालय कोई निर्णय देने से वंचित नहीं हो जाता, जब तक कि मुकदमे की कार्यवाही को प्रवर न्यायालय स्थगित न कर दे । वैसे भी जो निर्णय अवर न्यायालय में दिया गया है, उससे ऐसा नहीं लगता कि नाराज होकर अथवा साक्ष्य व विधि के सिद्धांतों को तिलांजली देकर आदेश पारित किया गया है । ऐसा भी नहीं है कि स्थानांतरण प्रार्थनापत्र दिए जाने के बावजूद अवर न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से अवैधानिक तरीके से प्रार्थी का हित प्रभावित हुआ है । उपरोक्त विवेचना से मेरे विचार से विद्वान् किराया नियंत्रण एवं निष्कासन अधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय पूर्णतया तथ्य व विधि अनुसार है । निर्णय पारित करने में किराया नियंत्रण एवं निष्कासन अधिकारी ने अपने क्षेत्राधिकार के परे कार्य नहीं किया और न ही क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में असफल हुए । निष्कर्षत:, यह निगरानी बलहीन है और निरस्त किए जाने योग्य है । तद्नुसार विद्वान् पुनरीक्षण न्यायालय ने यह आदेश पारित किया, निगरानीकर्ता की यह निगरानी सव्यय निरस्त की जाती है । निर्मुक्ति वाद संख्या 3/1985, विश्वनाथ मिश्रा बनाम सरकार में किराया नियंत्रण और निष्कासन अधिकारी द्वारा तारीख 22 जुलाई, 1988 को पारित निर्णय की पुष्टि की जाती है ।" याची ने किराया नियंत्रण और निष्कासन अधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट, वाराणसी द्वारा 1972 के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 की धारा 16(1)(ख) के अधीन 1985 के मामला संख्या 3 में पारित तारीख 22 जुलाई, 1988 के आदेश, जिसके द्वारा याची के तारीख 8 जनवरी, 1985 के निर्मुक्ति आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया और 1988 के किराया पुनरीक्षण संख्या 150 में वाराणसी के

त्रयोदश अपर जिला न्यायाधीश द्वारा तारीख 24 अक्तूबर, 2000 को पारित आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन वर्तमान रिट याचिका फाइल की जिसको बाद में संशोधित करके अनुच्छेद 227 के अधीन फाइल की गई रिट याचिका बना दिया गया । इस याचिका को इस न्यायालय द्वारा पारित तारीख 30 नवंबर, 2012 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था जिसके विरुद्ध याची ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष 2017 की सिविल अपील संख्या 1328 फाइल की । माननीय उच्चतम न्यायालय ने तारीख 1 फरवरी, 2017 को पारित आदेश द्वारा तारीख 30 नवंबर, 2012 को पारित पूर्वोक्त आदेश को अभिखंडित कर दिया और मामले को यह मताभिव्यक्ति करते हुए प्रतिप्रेक्षित कर दिया, "हम मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस बाबत संतुष्ट हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विधि की चूक द्वारा ग्रसित है, उच्च न्यायालय द्वारा जो किया जाना आवश्यक था, वह यह विनिर्धारित किया जाना था कि प्रश्नगत भवन का मकान मालिक कौन है अर्थात् भवन का किराया किसको संदेय था । ऐसी स्थिति में स्वत्व का प्रश्न, जो कि एक द्वितीयक प्रश्न है, को विनिर्धारित किया जाना आवश्यक नहीं था । अत:, न्यायहित में यह समुचित होता कि उच्च न्यायालय इस प्रश्न को विनिर्धारित करता । हम मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आक्षेपित आदेश और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त करना और इस प्रश्न पर विनिश्चय के लिए उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेक्षित करना उचित समझते हैं कि प्रश्नगत परिसर का मकान मालिक कौन है । हम तद्नुसार आदेश पारित करते हैं । उच्च न्यायालय इन निष्कर्षों के अनुसार प्रश्नगत भवन को निर्मुक्त किए जाने के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन को पुन: निर्णीत करेगा । उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाता है कि इस मामले का निर्णय विधि अनुसार और गुणागुण के आधार पर शीघ्रातिशीघ्र करे । इन निर्देशों के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है ।" तद्नुसार इस न्यायालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अनुसरण करते हुए याची की याचिका पर विचार किया गया । याचिका खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – 1972 के अधिनियम की धारा 16(1)(ख) उपबंधित करती है कि जिला मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए किसी संपूर्ण भवन या उसके किसी भाग या उसके साथ संलग्न किसी भूमि को मकान मालिक के पक्ष में आदेश द्वारा निर्मुक्त कर सकेगा । धारा 16 की उपधारा (2), जो कि वर्तमान मामले के प्रयोजनार्थ सुसंगत है, उपबंधित करती है कि उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कोई निर्मुक्ति आदेश पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि जिला मजिस्ट्रेट इस बाबत संतुष्ट नहीं हो जाता कि किसी भवन या उसके किसी भाग या उसके साथ संलग्न भूमि मकान मालिक द्वारा अपने स्वयं या उसके परिवार के किसी सदस्य या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके लाभ के लिए उसके द्वारा आवासिक प्रयोजनों या किसी वृत्ति, व्यापार या पेशे से संबंधित प्रयोजनों के लिए अभिनिर्धारित की गई है, के अधिभोग के लिए अपेक्षित है । याची ने स्वयं को विवादित भवन के स्वामी का अभिकर्ता या केयरटेकर अभिकथित करते हुए अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए 1972 के अधिनियम की धारा 16(1)(ख) के अधीन निर्मुक्ति आवेदन फाइल किया था, जबकि धारा 16 की उपधारा (2) किसी ऐसे निर्मुक्ति आदेश के लिए उपबंधित करती है, जब किसी भवन या उसके किसी भाग या उसके साथ संलग्न किसी भूमि को मकान मालिक द्वारा स्वयं या उसके परिवार के किसी सदस्य के अधिभोग के लिए अपेक्षित है या किसी ऐसे व्यक्ति, जिसके लाभ के लिए उसके द्वारा आवासिक प्रयोजनों या किसी वृत्ति, व्यापार या पेशे के प्रयोजनार्थ अभिनिर्धारित किया गया है । अतः, याची द्वारा धारा 16(1)(ख) के प्रयोजनार्थ अभिकर्ता के रूप में अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए विवादित भाग की निर्मुक्ति के प्रयोजनार्थ आवेदन फाइल किए जाने के आधार पर 1972 के अधिनियम की धारा 3(त्र) के अधीन मकान मालिक नहीं हो जाता । स्वामियों-प्रत्यर्थियों ने भी निर्मुक्ति आवेदन फाइल किया था जिसको आक्षेपित आदेश द्वारा मंजूर कर लिया गया था । याची अधिक से अधिक स्वामियों का केयरटेकर या अभिकर्ता होने के नाते भवन के स्वामियों-मकान मालिकों के विरुद्ध स्वयं के मकान मालिक होने का दावा नहीं कर सकता । वह अपने स्वयं के

अधिकार में विवादित भवन के अधिभोग का और भवन के स्वामियों के रूप में अपने पक्ष में भवन को निर्मुक्त कराने का हकदार नहीं है । 1972 के अधिनियम की धारा 3(त्र) में मकान मालिक की परिभाषा उपरवर्णित संदर्भ में पढ़ी जानी चाहिए । इसलिए, किराया नियंत्रण और निष्कासन अधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट, वाराणसी ने 1985 के वाद संख्या 3 में पारित तारीख 22 जुलाई, 1988 के आक्षेपित आदेश द्वारा याची के निर्मुक्ति आवेदन को अस्वीकृत करके और प्रत्यर्थियों-स्वामियों और मकान मालिकों के पक्ष में भवन को निर्मुक्त करके विधि की दृष्टि में कोई त्रुटि कारित नहीं की वाराणसी के त्रयोदश अपर जिला न्यायाधीश ने भी याची द्वारा फाइल किए गए 1988 के किराया पुनरीक्षण संख्या 150 (डा. विश्वनाथ शर्मा बनाम किराया नियंत्रण और निष्कासन अधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट, वाराणसी और एक अन्य) को खारिज करके विधि की दृष्टि में कोई त्रुटि कारित नहीं की आक्षेपित आदेश और निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध सुसंगत साक्षियों की विचारणा पर आधारित हैं, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करते हुए मध्यक्षेप नहीं किया जा सकता । इस निर्णय के ऊपर वर्णित पैराग्राफों द्वारा निकाले गए निष्कर्ष संक्षेप में इस प्रकार हैं, (i) कोई अभिकर्ता या तो अपने स्वामी से या अपने स्वामी के लिए संपत्ति या धन प्राप्त करता है और वह उस संपत्ति में स्वयं के लिए कोई हित अभिप्राप्त नहीं करता है । अभिकर्ता अपने स्वामी की संपत्ति को केवल स्वामी की तरफ से धारण करता है । वह उस संपत्ति में स्वयं के लिए कोई हित अर्जित नहीं करता । वह संपत्ति में अपने स्वामी के स्वत्व से इनकार नहीं कर सकता । साथ ही वह उस संपत्ति को किसी अन्य प्रकार या प्रयोग में भी परिवर्तित नहीं कर सकता । उसका कब्जा समस्त प्रयोजनों के लिए संपत्ति के स्वामी का कब्जा होता है । अभिकर्ता का स्वयं का कोई कब्जा नहीं होता । केयरटेकर का कब्जा भी स्वामी का कब्जा होता है । अभिकर्ता का कब्जा स्वामी का कब्जा होता है और उसको न्यासीय संबंध को ध्यान में रखते हुए अपने स्वयं के कब्जे का दावा करने की अनुज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती । अभिकर्ता अपने स्वामी का विश्वासपात्र व्यक्ति होता है । इसलिए, अभिकर्ता के

रूप में याची के पिता ने यह उपधारणा करते हुए कि वे अभिकर्ता या केयरटेकर हैं, भवन की स्वामिनी दिवानिनी स्वर्गीय विद्यावती बद्रीनाथ की विवादित संपत्ति में कोई हित अर्जित नहीं किया और इसलिए उसको न्यासीय संबंध को दृष्टि में रखते हुए अपने स्वयं के कब्जे का दावा करने की अनुज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती । उसका कब्जा समस्त प्रयोजनों के लिए स्वामी का कब्जा है । (ii) धारा 3 के परिभाषा खंडों के साथ अग्रसर होते हुए 'जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न करे' वाक्यांश से यह उपदर्शित होता है कि न्यायालय को परिभाषा खंड का अर्थान्वयन, निर्वचन और उपयोजन करते हुए विधायी आज्ञा को ध्यान में रखना होता है और इस बात पर विचार करना होता है कि क्या संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित है । जब परिभाषा 'जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न करे' वाक्यांश के साथ अग्रसर होती है, तो इसका अर्थ यह होता है कि सामान्यत: वह परिभाषा, जैसी कि धारा में उल्लिखित है, लागू की जानी चाहिए और उसको प्रभावी किया जाना चाहिए किंतु उस धारा में उल्लिखित बातों से प्रस्थान भी किया जा सकता है, यदि संदर्भ अपेक्षित करे । (iii) 'मकान मालिक' की परिभाषा इस भाव में सम्मिलित परिभाषा है कि यह 'अभिकर्ता' या 'अटार्नी' को भी विस्तारित होती है । इसलिए यदि मकान मालिक (स्वामी), जिसको किराया संदेय है, ने किसी अभिकर्ता या अटार्नी को किराए के संग्रहण के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत कर दिया, तो जहां तक किराएदार का संबंध है, वह अभिकर्ता या अटार्नी भी 1972 के अधिनियम की धारा 3(त्र) के अधीन मकान मालिक की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित होगा । इसलिए, जहां तक किराएदार का संबंध है, अभिकर्ता या अटार्नी, जो धारा 3(त्र) के अधीन 'मकान मालिक' की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित होता है, वह व्यक्ति होगा जो किसी विशिष्ट रीति में किसी कार्य को करने या न करने के लिए या कोई कार्रवाई करने या न करने के लिए, जैसा कि स्वामी द्वारा प्राधिकृत किया गया है, सम्पत्ति के वास्तविक स्वामी के प्रतिनिधित्व के प्रयोजनार्थ अभिकर्ता या अटार्नी का प्राधिकार धारण करता है । अटार्नी या अभिकर्ता स्वमेव ही संपत्ति का स्वामी होने का दावा नहीं कर सकता और तत्समय यह दावा नहीं कर सकता कि वह 'मकान मालिक' की

परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित है । (iv) विहित प्राधिकारी सीमित अधिकारिता वाला अधिकरण है, जिसे अधिनियम के अंतर्गत उल्लिखित धारा 21 या अन्य उपबंधों के अधीन प्रस्तुत किए गए आवदेनों को निर्णीत किए जाने के प्रयोजनार्थ 1972 के उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए पर दिया जाना, किराया और निष्कासन) अधिनियम के अंतर्गत गठित किया गया है । इस अधिकरण को किसी सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा पारित किसी डिक्री की शुद्धता या अन्यथा का परीक्षण करने की अधिकारिता कदापि प्राप्त नहीं होती । अधिकरण को इस आधार पर अग्रसर होना होता है कि किसी सिविल न्यायालय की डिक्री विधिमान्य डिक्री होती है, जिसके आधार पर पक्षों के अधिकारों को मान्यता प्रदान की जानी होती है । खेमचंद बनाम चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश [1989 (2) इलाहाबाद रेंट केसेज 344] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी पक्ष को यह अधिकार नहीं है कि वह विहित प्राधिकारी के समक्ष किसी सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की शुद्धता को चुनौती दे और जब तक डिक्री अपास्त नहीं कर दी जाती, उसको शुद्ध डिक्री के रूप में स्वीकार किया जाना होता है । तथ्यों के वर्तमान समुच्चय को ध्यान में रखते हुए 1961 के मूल वाद संख्या 35 (श्रीमती विद्यावती देवी बनाम रघुनाथ मिश्रा) वाले मामले में तारीख 17 मई, 1988 को रघुनाथ मिश्रा (याची के पिता) के निष्कासन के लिए निर्णय और डिक्री पारित की जा चुकी है और इस डिक्री के विरुद्ध याची द्वारा 1988 की सिविल अपील संख्या 600 (विश्वनाथ मिश्रा बनाम नरेन्द्रजीत सिंह) फाइल की गई, जिसको वाराणसी के चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश द्वारा तारीख 30 मई, 1998 के निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसके विरुद्ध याची ने 1998 की द्वितीय अपील संख्या 1196 (विश्वनाथ मिश्रा बनाम रतनशंकर चौरसिया) फाइल की, जो अभिकथित रूप से लंबित है । वाराणसी के सिविल न्यायाधीश न्यायालय द्वारा 1961 के मूल वाद संख्या 35 में तारीख 17 मई, 1988 के निर्णय और डिक्री को स्वीकृत रूप से न तो अपास्त किया गया है और न हीं उपांतरित । (v) 1972 के अधिनियम की धारा 16(1)(ख) उपबंधित करती है कि जिला मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन

रहते हुए आदेश द्वारा मकान मालिक के पक्ष में संपूर्ण भवन या उसके किसी भाग या उसके साथ संलग्न किसी भूमि को निर्मुक्त कर सकता है । धारा 16 की उपधारा (2) वर्तमान मामले के प्रयोजनार्थ सुसंगत है, जो यह उपबंधित करती है कि उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कोई भी निर्मुक्ति आदेश पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि जिला मजिस्ट्रेट इस बाबत संतुष्ट नहीं हो जाता कि किसी भवन या उसके किसी भाग या उसके साथ संलग्न किसी भूमि की मकान मालिक को स्वयं या उसके परिवार के किसी सदस्य के अधिभोग या किसी व्यक्ति, जिसके लाभार्थ उसके द्वारा इस संपत्ति को आवासिक प्रयोजनों या किसी वृत्ति, व्यापार या पेशे के प्रयोजन के लिए अभिनिर्धारित किया गया है, सद्भाविक रूप से आवश्यकता है । याची ने स्वयं को विवादित भवन के स्वामी के अभिकर्ता या केयरटेकर के रूप में अभिकथित करते हुए 1972 के अधिनियम की धारा 16(1)(ख) के अधीन अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए निर्मुक्ति आवेदन फाइल किया, जबकि धारा 16 की उपधारा (2) ऐसे निर्मुक्ति आदेश के लिए उपबंधित करती है, जब किसी भवन या उसके किसी भाग या उस भवन के साथ संलग्न किसी भूमि की मकान मालिक द्वारा अपने स्वयं या उसके परिवार के किसी सदस्य के अधिभोग या किसी ऐसे व्यक्ति जिसके लाभ के लिए उसने इस भवन को आवासिक प्रयोजनों या किसी वृत्ति, व्यापार या पेशे के प्रयोजनार्थ अभिनिर्धारित कर दिया है, सद्भाविक रूप से आवश्यकता है । अत: याची द्वारा धारा 16(ख) के प्रयोजनार्थ अभिकर्ता के रूप में अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए विवादित भवन को निर्मुक्त किए जाने के प्रयोजनार्थ आवेदन फाइल किए जाने से वह 1972 के अधिनियम की धारा 3(त्र) के अधीन मकान मालिक नहीं हो जाता । स्वामी-प्रत्यर्थियों ने भी निर्मुक्ति आवेदन फाइल किया, जिसे आक्षेपित आदेश द्वारा मंजूर कर लिया गया था । याची अधिक से अधिक स्वामियों का केवल केयरटेकर या अभिकर्ता होने के नाते भवन के स्वामियों - मकान मालिकों के विरुद्ध स्वयं मकान मालिक होने का दावा नहीं कर सकता । वह अपने स्वयं के अधिकार के अंतर्गत विवादित भवन के अधिभोग और भवन के स्वामियों के विरुद्ध अपने पक्ष में भवन के किसी भाग को

निर्मुक्ति कराने का हकदार नहीं है । वह मकान मालिक नहीं है । 1972 के अधिनियम की धारा 3(त्र) में मकान मालिक की परिभाषा उसी संदर्भ में पढ़ी जानी चाहिए, जैसी कि ऊपर चर्चा की गई है । (vi) इसलिए, वाराणसी के किराया नियंत्रक और निष्कासन अधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट ने 1985 के मामला संख्या 3 में पारित तारीख 22 जुलाई, 1988 के आक्षेपित आदेश द्वारा याची के निर्मुक्ति आवेदन को अस्वीकृत करके और प्रत्यर्थियों-स्वामियों और मकान मालिकों के पक्ष में भवन के एक भाग को निर्मुक्त करके विधि की दृष्टि में कोई त्रुटि कारित नहीं की है । वाराणसी के त्रयोदश अपर जिला न्यायाधीश ने याची द्वारा फाइल किए गए 1988 के किराया पुनरीक्षण संख्या 150 (डा. विश्वनाथ मिश्रा बनाम किराया नियंत्रण और निष्कासन अधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट, वाराणसी और एक अन्य) को खारिज करके भी विधि की दृष्टि में कोई त्रुटि कारित नहीं की । आक्षेपित आदेश और निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध सुसंगत साक्षियों की विचारणा पर आधारित हैं जिनमें संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करते हुए मध्यक्षेप नहीं किया जा सकता । मैं उपरवर्णित कारणोंवश इस याचिका में कोई गुणागुण नहीं पाता । इसलिए, याचिका विफल होती है और एतद्द्वारा लागत सहित खारिज की जाती है । (पैरा 31, 32, 33, 34 और 35)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2014] (2014) 5 इलाहाबाद डिसीजन जर्नल 231 :
मामचंद बनाम **प्रमोदिनी श्रीवास्तव** ; 14

[2013] 2013 (6) इलाहाबाद ला जर्नल 110 :
विनोद कुमार अग्रवाल बनाम **चतुर्दश अपर जिला न्यायाधीश, इलाहाबाद** ; 30

[2011] 2011 (3) इलाहाबाद रेंट केसेज 381 :
ब्रजभूषण शर्मा बनाम **कमला प्रसाद** ; 11

[2005] 2005 इलाहाबाद ला जर्नल 119 :
फुरकान अहमद उर्फ **माना और एक अन्य** बनाम **पंचम अपर जिला न्यायाधीश और अन्य** ; 14

[1997] (1997) 2 एस. सी. सी. 53 :
के. बी. मुथू बनाम **अंगमुथू अम्माल**; 26

[1997] (1997) 2 एस. सी. सी. 42:
इच्छापुर इंडस्ट्रीयल कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड बनाम **सक्षम प्राधिकारी, तेल और प्राकृत गैस आयोग और एक अन्य** ; 26

[1993] ए. आई. आर. 1993 इलाहाबाद 40 :
राज मोहन कृष्ण बनाम **द्वितीय जिला अपर न्यायाधीश** ; 29

[1989] (1989) 2 एस. सी. सी. 630 :
श्रीमती चंद्रकांता बेन बनाम **वाडीलाल बापा लाल मोदी और अन्य** ; 22

[1989] (1989) 4 एस. सी. सी. 603 :
सदर्न रोडवेज़ लिमिटेड, मदुरई, जिसका प्रतिनिधित्व सचिव द्वारा किया गया बनाम **एस. एम. कृष्णन** ; 21

[1989] 1989 (2) इलाहाबाद रेंट केसेज, 344 :
खेमचंद्र बनाम **चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश** ; 29

[1983] 1983 इलाहाबाद रेंट केसेज 782 :
डा. सीता राम गांधी बनाम **चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश और एक अन्य** ; 11

[1981] (1981) 3 एस. सी. सी. 36 :
एम. एम. कासीम बनाम **मनोहर लाल शर्मा और अन्य** ; 14

[1976] (1976) 4 एस. सी. सी. 855 :
दमादिलाल और अन्य बनाम **पाराश्रम और अन्य** । 26

सिविल रिट अधिकारिता : **2000 की सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 47311.**

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 227 के अधीन रिट याचिका ।

याची की ओर से सर्वश्री ए. के. राय, अनील कुमार राय, एस. एन. सिंह, विष्णु सिंह और विमलेंद्र राय

प्रत्यर्थियों की ओर से मुख्य स्थायी काउंसेल, सर्वश्री हेम प्रताप सिंह और विपीन सिन्हा

आदेश

याची के विद्वान् काउंसेल श्री विष्णु सिंह और प्रत्यर्थी संख्या 3/1, 3/2 और 4 के विद्वान् काउंसेल श्री हेम प्रताप सिंह को सुना ।

तथ्य

2. संक्षेप में मामले के तथ्य यह हैं कि श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर राज्य) की दीवान विद्यावती, बद्रीनाथ वाराणसी के मोहल्ला थथेरी बाजार स्थित मकान संख्या सी. के. 19/8, जो एक चार मंजिला भवन है, की मूल स्वामिनी और मकान मालिक थीं, जिन्होंने रघुनाथ मिश्रा नामक व्यक्ति को इस मकान की देखभाल करने और उसका किराया संग्रहीत करने के लिए अपना अभिकर्ता नियुक्त कर दिया था और इस प्रयोजनार्थ उसको भवन के प्रथम तल पर एक कमरे का प्रयोग करने की अनुज्ञा प्रदान कर दी थी । याची उक्त अभिकर्ता रघुनाथ मिश्रा नामक उक्त अभिकर्ता का पुत्र है ।

3. पूर्वोक्त मूल स्वामिनी और मकान मालिक ने प्रश्नगत मकान की वसीयत कानपुर स्थित श्री विक्रमजीत सिंह सनातन धर्म महाविद्यालय के पक्ष में कर दी थी जिसका उल्लेख उन्होंने अपनी तारीख 11 फरवरी, 1960 की रजिस्ट्रीकृत वसीयत के पैरा (ई) में किया है और जिसका अनुमोदन जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा 1964 के मामला संख्या 51 में किया गया है । उक्त दस्तावेज में यह उल्लेख भी किया गया है कि जवाहर लाल मिश्रा का पुत्र रघुनाथ मिश्रा प्रश्नगत मकान में उनके अभिकर्ता की हैसियत में एक भाग के कब्जे में था । जब उक्त अभिकर्ता रघुनाथ मिश्रा ने किराया और उससे संबंधित

खाते प्रस्तुत नहीं किए, तो मूल स्वामिनी और मकान मालिक ने उक्त अभिकर्ता के अभिकरण और उसकी अनुज्ञप्ति को तारीख 29 मई, 1958 की सूचना द्वारा समाप्त कर दिया । तत्पश्चात्, उन्होंने 1961 का मूल वाद संख्या 35 (**श्रीमती विद्यावती देवी** बनाम **रघुनाथ मिश्रा**) वाराणसी के सिविल न्यायाधीश के न्यायालय में रघुनाथ मिश्रा के निष्कासन के लिए फाइल किया, जो तारीख 17 मई, 1988 के निर्णय और डिक्री द्वारा डिक्री कर दिया गया और श्रीमती विद्यावती देवी को प्रश्नगत मकान की स्वामिनी घोषित कर दिया गया और रघुनाथ मिश्रा को उनका अभिकर्ता और केयरटेकर घोषित कर दिया और प्रतिवादियों को निर्देशित किया कि वे किराए की वसूली में मध्यक्षेप न करें । याची ने तारीख 17 मई, 1988 के निर्णय के विरुद्ध 1988 की सिविल अपील संख्या 600 (**विश्वनाथ मिश्रा** बनाम **नरेन्द्रजीत सिंह**) फाइल की, जिसको वाराणसी के चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश द्वारा पारित तारीख 30 मई, 1998 के निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया । याची ने इस निर्णय के विरुद्ध 1998 की द्वितीय अपील संख्या 1196 (**विश्वनाथ मिश्रा** बनाम **रतनशंकर चौरसिया**) फाइल की, जिसमें तारीख 3 सितंबर, 1998 का अंतरिम आदेश 2,500/- रुपए प्रतिमाह की रकम जमा करते रहने की शर्त के अध्यधीन रहते हुए डिक्री को स्थगित करते हुए पारित किया गया । उक्त अपील वर्तमान में लंबित है ।

4. कानपुर स्थित उपरोक्त श्री विक्रम सिंह जीत सिंह सनातन धर्म महाविद्यालय ने तारीख 2 फरवरी, 1983 को एक प्रस्ताव पारित किया जिसके द्वारा महाविद्यालय के अध्यक्ष नरेन्द्रजीत सिंह को प्रश्नगत भवन का विक्रय विलेख रतनशंकर चौरसिया और अन्य (इस मामले के प्रत्यर्थी संख्या 3 और 4) के पक्ष में निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया गया और तद्नुसार प्रश्नगत भवन का तारीख 25 मार्च, 1983 का रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख पूर्वोक्त श्री रतनशंकर चौरसिया और अन्य के पक्ष में निष्पादित किया गया । पूर्वोक्त क्रेताओं ने वाराणसी के नगर महापालिका अभिलेखों में कर अधीक्षक द्वारा तारीख 6 जुलाई, 1985 को पारित आदेश के अधीन अपने नामों का नामांतरण करा लिया । वाराणसी की नगरपालिका के अपर आयुक्त के तारीख 5 नवंबर, 1960

के आदेश के अनुसार रघुनाथ मिश्रा (याची के पिता) का नाम श्रीमती विद्यावती, बद्रीनाथ के अभिकर्ता के रूप में अभिलिखित किया गया था । वाराणसी नगर महापालिका द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश की प्रतियों के अनुसार रघुनाथ मिश्रा का नाम मूल स्वामिनी और मकान मालिक श्रीमती विद्यावती, बद्रीनाथ के अभिकर्ता के रूप में उल्लिखित है ।

5. प्रश्नगत मकान के प्रथम तल पर श्रीमती सत्यभामा देवी नामक महिला कुछ भाग की किराएदार थी जिनकी मृत्यु तारीख 2 जनवरी, 1985 को हो गई थी । उनका कोई पुत्र नहीं था बल्कि केवल तीन पुत्रियां थी, जो विवाहित थीं । याची विश्वनाथ मिश्रा ने 1972 के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 की धारा 16(1)(ख) के अधीन तारीख 10 जनवरी, 1985 का निर्मुक्ति आवेदन उस भाग की निर्मुक्ति के प्रयोजनार्थ फाइल किया, जो किराएदार स्वर्गीय श्रीमती सत्यभामा देवी के कब्जे में था । याची ने अपने निर्मुक्ति आवेदन में अभिकथित किया है कि उसको अपने व्यक्तिगत प्रयोग हेतु भवन के प्रथम तल पर स्थित किराएदारी वाले भाग की सद्भाविक आवश्यकता है । प्रत्यर्थी संख्या 3 और 4 (तारीख 25 मार्च, 1983 के रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख द्वारा भवन के क्रेता) द्वारा भी एक निर्मुक्ति आवेदन फाइल किया गया । इस निर्मुक्ति आवेदन को 1985 के मामला संख्या 3 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया । वाराणसी के किराया नियंत्रण और निष्कासन अधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट ने तारीख 22 जुलाई, 1988 के आक्षेपित आदेश द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 3 और 4 के निर्मुक्ति आवेदन को मंजूर कर लिया और याची के निर्मुक्ति आवेदन को निम्नलिखित निष्कर्ष अभिलिखित करते हुए अस्वीकृत कर दिया :-

> "मैंने समस्त पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया । प्रश्नगत भवन संख्या सी. के. 19/8, ठठेरी बाजार, शहर वाराणसी के भवन स्वामी के निर्धारण का कोई अधिकार इस न्यायालय को नहीं है, परंतु प्रथम अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, वाराणसी महोदय के आदेश तारीख 17 मई, 1988 के अंतर्गत वाद संख्या 35 सन् 1961 द्वारा यह तथ्य निर्विवाद रूप से सिद्ध किया जा चुका है कि प्रश्नगत भवन के स्वामी प्रार्थी श्री विश्वनाथ मिश्रा नहीं हैं बल्कि

उन्हें उससे बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है, इस प्रकार प्रार्थी श्री विश्वनाथ मिश्रा के निर्मुक्ति प्रार्थनापत्र तारीख 10 जनवरी, 1985 को स्वीकार करने का कोई औचित्य ही नहीं है । दीवानी अदालत के आदेश तारीख 17 मई, 1988 में वाद बिंदु संख्या 20, 21 व 22 के निर्णय में न्यायालय द्वारा यह निर्णीत किया गया कि वादी संख्या 1 श्रीमती दीवानिनी, बद्रीनाथ साहिबा द्वारा नरेन्द्रजीत सिंह को भवन संख्या सी. के. 19/8 ठठेरी बाजार, वाराणसी का एक्जिक्यूटर उचित ढ़ंग से नियुक्त किया गया । इस प्रकार श्री नरेन्द्रजीत सिंह को आपत्तिकर्तागण श्री रतनशंकर चौरसिया आदि के पक्ष में बैनामा तारीख 25 मार्च, 1983 निष्पादित करने का पूर्ण अधिकार था और इसके आधार पर प्रश्नगत भवन के वर्तमान भवन स्वामी आपत्तिकर्ता श्री रतनशंकर चौरसिया आदि सिद्ध होते हैं । प्रश्नगत भवन का वह भाग, जो स्वर्गीय श्रीमती सत्यभामा देवी की किराएदारी में था तथा जो अब रिक्त है, को आपत्तिकर्तागण श्री रतनशंकर चौरसिया आदि के पक्ष में ही निर्मुक्ति किया जाना न्यायोचित है । इस प्रश्नगत भवन भाग के संबंध में अन्य आवेदकों का आबंटन प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है ।

स्वर्गीय श्रीमती सत्यभामा देवी द्वारा प्रश्नगत भवन संख्या सी. के. 19/8 ठठेरी बाजार, शहर वाराणसी के प्रथम तल का एक दो दरी कमरा, एक कोठरी मय दालान व अन्य भाग, जो उनकी किराएदारी में था, आपत्तिकर्तागण श्री रजनशंकर चौरसिया आदि के पक्ष में निर्मुक्त किया जाता है । औपचारित आदेश निर्गत हो"

6. याची ने वाराणसी के किराया नियंत्रण और निष्कासन अधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट द्वारा तारीख 22 जुलाई, 1988 के पूर्वोक्त आदेश से व्यथित होकर 1988 की किराया पुनरीक्षण संख्या 150 (**डा. विश्वनाथ मिश्रा** बनाम **किराया नियंत्रण और निष्कासन अधिकारी/ नगर मजिस्ट्रेट, वाराणसी और एक अन्य**) 1972 के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 की धारा 18 के अधीन फाइल की, जिसमें उन्होंने स्वयं के प्रश्नगत मकान का मकान मालिक होने का दावा इस आधार पर किया

कि उनके दादा जवाहर लाल मिश्रा और तत्पश्चात् उनके पिता रघुनाथ मिश्रा और वर्तमान में वह प्रश्नगत मकान के कब्जे में है । 1988 की पूर्वोक्त किराया पुनरीक्षण संख्या 150 (**डा. विश्वनाथ मिश्रा** बनाम **किराया नियंत्रण और निष्कासन अधिकारी/ नगर मजिस्ट्रेट, वाराणसी और एक अन्य)** को वाराणसी के त्रयोदश अपर जिला न्यायाधीश द्वारा पारित तारीख 24 अक्तूबर, 2000 के आक्षेपित निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया । पुनरीक्षण न्यायालय ने जो निष्कर्ष अभिलिखित किए, वे निम्नलिखित हैं :-

"मैंने एकपक्षीय रूप से प्रार्थी को सुना और पत्रावली का अध्ययन किया ।

विवादित मकान संख्या सी. के. 19/8, ठठेरी बाजार, शहर वाराणसी में स्थित है, इस पर विवाद नहीं है । प्रश्नगत भवन के जिस अंश के बारे में, जिसका विवरण प्रार्थी के निर्मुक्ति प्रार्थनापत्र के अंत में दिया गया है, निर्मुक्ति आदेश चाहा गया है और उसमें श्रीमती सत्यभामा किराएदार थीं, जिनकी मृत्यु हो गई है, इस पर भी विवाद नहीं है । प्रार्थी निगरानीकर्ता की ओर से यह कहा गया कि अवर न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को नजरअंदाज करते हुए मनमाने तरीके से निर्णय दिया है, जबकि विवादित मकान का वास्तव में मालिक प्रार्थी विश्वनाथ मिश्रा है । अब देखना है कि क्या विवादित मकान का स्वामी पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रार्थी सिद्ध होता है । यह सत्य है कि अधिनियम संख्या 13/72 की धारा 16(1)(बी) में निर्मुक्ति आदेश पारित करते समय केवल मकान मालिक देखा जाना आवश्यक है, स्वामित्व देखा जाना आवश्यक नहीं । लेकिन चूंकि इस मामले में विपक्षीगण रतनशंकर चौरसिया आदि ने प्रार्थी को मकान मालिक का केयरटेकर (एजेंट) बताया है, इसलिए निर्मुक्ति प्रार्थनापत्र के निस्तारण में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर स्वामित्व पर विचार करना आवश्यक है, क्योंकि एजेंट धारा 3(जे), ऐक्ट संख्या 13/1972 के अनुसार लैंडलॉर्ड तो हो सकता है, लेकिन इसी धारा 3(जी) के अनुसार एजेंट लैंडलॉर्ड धारा 16(ए) अथवा धारा 21 के अंतर्गत अपनी आवश्यकता

व उपयोग के लिए निर्मुक्ति का प्रार्थनापत्र नहीं दे सकता । प्रार्थी ने यह कहा है कि विवादित मकान के मालिक पहले उसके बाबा जवाहर मिश्रा थे, उसके बाद उसके पिता रघुनाथ मिश्रा हुए और अब वह मालिक है । स्वामित्व वादी के बाबा को कैसे प्राप्त हुआ, इसके बारे में वादी ने कहीं कुछ नहीं कहा । जबकि विपक्षीगण ने सूची 149 द्वारा 19 अद्द कागजात दाखिल किए हैं जिसमें से प्रथम कागज प्रार्थनापत्र रघुनाथ संवत् 1986 का है, जिसमें रघुनाथ मिश्रा ने, जो प्रार्थी के पिता हैं, यह साफ स्वीकार किया है कि विवादित मकान की मलकियत से उनका कोई ताल्लुकात व वास्ता सरोकार नहीं है । कागज संख्या 156 हुकुमनामा अषाढ़ 15 संवत् 1986 बाबत नियुक्ति रघुनाथ मिश्रा एजेंट/केयरटेकर है । कागज संख्या 159 नकल वसीयतनामा है, जिसे विद्यावती देवी ने विक्रमजीत सिंह सनातन धर्म कालेज, कानपुर के पक्ष में विवादित मकान के बाबत निष्पादित किया है । मूल वाद संख्या 35 सन् 1961 की प्रति कागज संख्या 162 है, जिसे विद्यावती देवी ने वादी व उसके पिता के विरुद्ध दाखिल किया है । इसके अलावा कागज संख्या 168 लगायत 188 हिसाब और पत्र हैं, जिसे रघुनाथ मिश्रा ने दीवानिनी विद्यावती देवी व स्टेट जम्मू कश्मीर को भेजा है । कागज संख्या 194 कर निर्धारण अधिकारी को सन् 1959 में भेजा गया पत्र है । इसमें रघुनाथ मिश्रा ने अपने को एजेंट आफ अमरनाथ विवादित मकान के संबंध में बताया है । इन तमाम अभिलेखीय साक्ष्यों, जिसका विवरण अवर न्यायालय ने नहीं किया है, से स्पष्ट हो जाता है कि विवादित मकान दीवान इस्टेट जम्मू-कश्मीर का था और बाद में दीवानिनी श्रीमती विद्यावती देवी को प्राप्त हुआ और दीवानिनी ने इस मकान की वसीयत विक्रमजीत सिंह सनातन धर्म कालेज, कानपुर के पक्ष में कर दी । यह सभी अभिलेख व तथ्य 147(ग) शपथपत्र, जो रतनशंकर चौरसिया द्वारा दिया गया, से समर्थित हैं । प्रार्थी की ओर से अपर आयुक्त के निर्णय तारीख 5 नवंबर, 1960 का हवाला देते हुए कहा गया कि विवादित मकान पर नगर महापालिका के कागजात में उसका नाम

दर्ज है । मेरे विचार से यह निर्णय जो कागज संख्या 207 है, जो प्रार्थी को लाभ नहीं देता क्योंकि इसमें प्रार्थी के पिता रघुनाथ मिश्रा का नाम बतौर एजेंट श्रीमती विद्यावती देवी अंकित है । द्वितीय दाखिल खारिज अपील का निर्णय तारीख 24 अप्रैल, 1991, जो द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, वाराणसी द्वारा रतनशंकर चौरसिया **बनाम** नगर महापालिका आदि में पारित किया गया है तथा लघुवाद न्यायाधीश द्वारा विश्वनाथ मिश्रा **बनाम** जुगलकिशोर मिश्रा, लघुवाद संख्या 495/1979 में जो निर्णय तारीख 24 अगस्त, 1991 को दिया गया, उनके आधार पर भी विवादित मकान का स्वामी प्रार्थी नहीं कहा जा सकता, बल्कि मात्र एजेंट कहा जाएगा । नगर पालिका, वाराणसी के कर निर्धारण पंजिका की नकल प्रार्थी ने फाइल की है, जिसमें भी रघुनाथ मिश्रा एजेंट बद्रीनाथ मिश्रा अंकित है । इस तरह पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, जिनका विचारण अवर न्यायालय में नहीं किया गया, से भी इस स्तर पर यह स्पष्ट है कि वादी अपने पिता के समय से मात्र विवादित मकान का एजेंट है । धारा 3(जे) अधिनियम संख्या 13, 1972 में वह एजेंट के नाते लैंडलॉर्ड है, लेकिन उसे अपनी आवश्यकता व जरुरत के लिए मकान को निर्मुक्त कराने का अधिकार नहीं है । प्रार्थी का यह कथन कि अवर न्यायालय का निर्णय स्वामित्व के संदर्भ में साक्ष्य के विपरीत है, ऐसा नहीं कहा जा सकता । अवर न्यायालय ने मूल वाद संख्या 35/1961 में पारित निर्णय के आधार पर अपना आदेश पारित किया है । उक्त निर्णय में श्रीमती विद्यावती देवी को विवादित मकान का मालिक घोषित किया गया है । प्रार्थी की ओर से यह कहा गया कि उक्त निर्णय की डिक्री का क्रियान्वयन माननीय उच्च न्यायालय के अपील संख्या 600/1988, विश्वनाथ **बनाम** नरेन्द्रजीत में पारित आदेश में स्थगित है, इसलिए उक्त मूल वाद संख्या 35/1961 के आधार पर पारित अवर न्यायालय का निर्णय अवैधानिक है । मेरे विचार से प्रार्थी की यह बहस भी उचित नहीं है, क्योंकि मूल वाद संख्या 35/1961 में उपरोक्त डिक्री अपास्त नहीं हुई है, इसका क्रियान्वयन भी स्थगित नहीं है, बल्कि इस

डिक्री के आधार पर कराए जाने वाले निष्पादन को माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश तारीख 19 दिसंबर, 1988 द्वारा स्थगित किया है । अत:, ऐसा नहीं माना जा सकता कि मामला संख्या 35/1961 में विद्वान् सिविल जज द्वारा पारित निर्णय समाप्त हो चुका है । प्रार्थी की ओर से निर्णीत विधि श्रीमती केलसाश्वासी **बनाम** चतुर्थ अपर जिला जज आदि, (ए. आर. सी. 1961 पृष्ठ 43), कुंवर गुलाब **बनाम** जिला आपूर्ति अधिकारी आदि, (ए. आर. सी. 1980, पृष्ठ 502), तेजभान सदन **बनाम** द्वितीय अपर जिला जज, इलाहाबाद आदि (ए. आर. सी. 1982 पृष्ठ 120), रघुनाथ प्रसाद **बनाम** प्रथम अपर जिला जज, नैनीताल का हवाला दिया । इन सभी निर्णयज विधियों में माननीय उच्च न्यायालय ने मूलत: यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि जहां स्वत्व संबंधी मूढ़ प्रश्न बाद में उठता है, वहां स्वत्व संबंधी ऐसे प्रश्न को निर्णीत करना निर्मुक्ति प्रार्थनापत्र के निस्तारण के दौरान उचित नहीं है, क्योंकि यह संक्षिप्त कार्यवाही है । मेरे विचार से उक्त निर्णीत विधियों का लाभ वर्तमान मामले में प्रार्थी को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यहां पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रार्थनापत्र के निस्तारण के लिए स्वामित्व का निर्धारण करना पूरी तरह संभव है । इस स्तर पर यह प्रश्न निर्णीत किया जा सकता है कि प्रार्थी एजेंट है या मालिक । वास्तव में स्वत्व का निर्धारण मूल वाद संख्या 35/1961 की डिक्री से हो चुका है, जिसका निर्णय भी पत्रावली पर उपलब्ध है । अत: ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अवर न्यायालय ने स्वत्व के बारे में अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करते हुए निर्णय दिया है ।

अगला बिंदु अवधारण हेतु यह है कि क्या स्वर्गीय सत्यभामा व प्रार्थी का रिश्ता किराएदार व लैंडलॉर्ड का रहा है तथा रतनशंकर चौरसिया अजनबी व्यक्ति है और उनसे इस मकान से कोई मतलब नहीं है । जहां तक सत्यभामा व प्रार्थी के बीच किराएदार व मकान मालिक के रिश्ते का प्रश्न है, यह पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से साबित है, लेकिन प्रार्थी-मकान मालिक किराया वसूलने के लिए

एजेंट की हैसियत में था, वास्तविक स्वामी की हैसियत में नहीं । प्रारंभ में सत्यभामा की दो लड़कियों ने अनापत्ति दाखिल करके प्रार्थी के प्रार्थनापत्र का विरोध किया था । दिनेश कुमार और विमला अग्रवाल के पुत्र ने अपना शपथपत्र कागज संख्या 40ग देकर विपक्षी रतनशंकर चौरसिया के केसेज को स्वीकार किया है और यह कहा है कि विवादित मकान दीवान इस्टेट जम्मू-कश्मीर की संपत्ति है और प्रार्थी मात्र उसका केयरटेकर व एजेंट है । बाद में दिनेश कुमार अग्रवाल ने अपना एक शपथपत्र देकर प्रार्थी के केसेज को स्वीकार किया, लेकिन इस स्वीकारोक्ति का कोई असर नहीं पड़ता और इससे प्रार्थी विवादित मकान का वास्तविक स्वामी नहीं बन जाएगा, अधिक से अधिक एजेंट/केयरटेकर होगा । जैसा कि मैंने बताया है, एजेंट अपने उपयोग व आवश्यकता के लिए धारा 16(2)(बी) के अंतर्गत भवन को निर्मुक्त नहीं करा सकता । रतनशंकर चौरसिया के संबंध में वादी की ओर से यह कहा गया कि वह मकान व किराएदार के लिए अजनबी व्यक्ति है । इस संदर्भ में प्रार्थी का कथन भी मानने योग्य नहीं है । श्रीमती दीवानिनी विद्यावती देवी ने एक वसीयतनामा तारीख 3 अक्तूबर, 1960 को निष्पादित करके विवादित मकान का स्वामित्व विक्रमजीत सिंह सनातन धर्म कॉलेज, कानपुर को दे दिया था । उनकी मृत्यु के पश्चात् मकान मालिक विक्रमजीत सिंह सनातन धर्म कालेज, कानपुर हो गया और विक्रमजीत सिंह सनातन धर्म कालेज, कानपुर के सचिव तथा अध्यक्ष नरेन्द्रजीत सिंह ने एक बैनामा तारीख 25 मार्च, 1983 को निष्पादित करके विवादित भवन रतनशंकर चौरसिया व उनके पुत्रों को बेच दिया । इस बैनामा की छायाप्रति कागज संख्या 113 पत्रावली पर उपलब्ध है । इस तरह विवादित मकान के संबंध में रतनशंकर चौरसिया को अजनबी व्यक्ति नहीं कहा जा सकता । प्रार्थी की ओर से यह कहा गया कि रतनशंकर चौरसिया आदि ने मूल वाद संख्या 35/1961 में पक्ष बनाने का प्रार्थनापत्र दिया था, जिसे विद्वान् सिविल जज द्वारा स्वीकर कर लिया गया था, जिसके विरुद्ध निगरानी माननीय उच्च न्यायालय में प्रार्थी ने दाखिल की थी और रतनशंकर चौरसिया

आदि पक्ष नहीं बन पाए । मेरे विचार से इससे कोई अंतर नहीं पड़ता । यदि मूल वाद संख्या 35/1961 के वाद बिंदुओं का निस्तारण रतनशंकर चौरसिया को बिना पक्ष बनाए किया जा सकता था, तो उन्हें पक्ष नहीं बनाया गया, लेकिन उनके पक्ष न बनाए जाने से उनका बैनामा एवम् विवादित भवन के संदर्भ में दिया गया अधिकार समाप्त नहीं हो जाएगा । प्रार्थी की ओर से एक तथ्य यह रखा गया कि बैनामा निष्पादित करने से रोकने के लिए मूल वाद संख्या 223/1979, विश्वनाथ मिश्रा **बनाम** नरेन्द्रजीत सिंह दाखिल किया गया था जिसमें प्रतिवादी को बैनाम निष्पादन से रोक दिया गया था । इसके बावजूद प्रतिवादी ने निष्पादन किया, अत: बैनामा शून्य है और मेरे विचार से ऐसा नहीं है । वाद के दौरान कोई बैनामा जहां पर निष्पादित हुआ है, वहां पर वाद के अंतिम निर्णय पर उसका अस्तित्व निर्भर करता है, मूलत: बैनामा शून्य नहीं है । इस तरह मेरे विचार से विवादित संपत्ति का स्वामित्व बैनामे के बाद से रतनशंकर चौरसिया आदि के पास है वह प्रार्थी की ओर से यह बहस की गई कि रतनशंकर चौरसिया द्वारा निर्मुक्ति का कोई प्रार्थनापत्र नहीं दिया गया, इसके बावजूद भी अवर न्यायालय ने उसके पक्ष में निर्मुक्ति आदेश पारित किया । मेरे विचार से अवर न्यायालय का आदेश इस आधार पर अवैधानिक नहीं है, क्योंकि धारा 16(2)(बी) की कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही होती है । इसमें आपत्ति व प्रार्थनापत्र पर विचार करने के उपरांत यदि न्यायालय आपत्तिकर्ता के तथ्य को सही मानता है, तो निर्मुक्ति आदेश आपत्तिकर्ता के पक्ष में पारित किया जा सकता है तथा इस आधार पर अवर न्यायालय का आदेश अवैधानिक नहीं है ।

प्रार्थी पक्ष की ओर से एक तथ्य यह रखा गया है कि उन्होंने अवर न्यायालय के विरुद्ध स्थानांतरण प्रार्थनापत्र जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया था । जिलाधिकारी महोदय ने पत्रावली तलब की थी, लेकिन इस स्थानांतरण के तथ्य को नजरअंदाज करते हुए अवर न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया

गया है, जिससे प्रार्थी का हित प्रभावित हुआ है । मेरे विचार से प्रार्थी का यह कथन भी माने जाने योग्य नहीं है, क्योंकि स्थानांतरण प्रार्थनापत्र पर फाइल तलब होने से अथवा स्थानांतरण प्रार्थनापत्र दिए जाने से न्यायालय कोई निर्णय देने से वंचित नहीं हो जाता, जब तक कि मुकदमे की कार्यवाही को प्रवर न्यायालय स्थगित न कर दे । वैसे भी जो निर्णय अवर न्यायालय दिया गया है, उससे ऐसा नहीं लगता कि नाराज होकर अथवा साक्ष्य व विधि के सिद्धांतों को तिलांजली देकर आदेश पारित किया गया है । ऐसा भी नहीं है कि स्थानांतरण प्रार्थनापत्र दिए जाने के बावजूद अवर न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से अवैधानिक तरीके से प्रार्थी का हित प्रभावित हुआ है ।

उपरोक्त विवेचना से मेरे विचार से विद्वान् किराया नियंत्रण एवं निष्कासन अधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय पूर्णतया तथ्य व विधि के अनुसार है । निर्णय पारित करने में किराया नियंत्रण एवं निष्कासन अधिकारी ने अपने क्षेत्राधिकार के परे कार्य नहीं किया है और न ही क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में असफल हुए हैं ।

निष्कर्षत:, यह निगरानी बलहीन है और निरस्त किए जाने योग्य है ।

आदेश

निगरानीकर्ता की यह निगरानी सव्यय निरस्त की जाती है । निर्मुक्ति वाद संख्या 3/1985, विश्वनाथ मिश्रा **बनाम** सरकार में किराया नियंत्रण और निष्कासन अधिकारी द्वारा तारीख 22 जुलाई, 1988 को पारित निर्णय की पुष्टि की जाती है ।"

7. याची ने किराया नियंत्रण और निष्कासन अधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट, वाराणसी द्वारा 1972 के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 की धारा 16(1)(ख) के अधीन 1985 के मामला संख्या 3 में पारित तारीख 22 जुलाई, 1988 के आदेश, जिसके द्वारा याची के तारीख 8 जनवरी, 1985 के निर्मुक्ति आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया था

और 1988 के किराया पुनरीक्षण संख्या 150 में वाराणसी के त्रयोदश अपर जिला न्यायाधीश द्वारा तारीख 24 अक्तूबर, 2000 को पारित आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन वर्तमान रिट याचिका फाइल की जिसको बाद में संशोधित करके अनुच्छेद 227 के अधीन फाइल की गई रिट याचिका बना दिया गया ।

8. इस याचिका को इस न्यायालय द्वारा पारित तारीख 30 नवंबर, 2012 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था जिसके विरुद्ध याची ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष 2017 की सिविल अपील संख्या 1328 फाइल की । माननीय उच्चतम न्यायालय ने तारीख 1 फरवरी, 2017 को पारित आदेश द्वारा तारीख 30 नवंबर, 2012 को पारित पूर्वोक्त आदेश को अभिखंडित कर दिया और मामले को निम्नलिखित मताभिव्यक्तियां करते हुए प्रतिप्रेक्षित कर दिया :-

> "हम मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस बाबत संतुष्ट हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विधि की चूक द्वारा ग्रसित है, जो उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक था, वह यह विनिर्धारित किया जाना था कि प्रश्नगत भवन का मकान मालिक कौन है अर्थात् भवन का किराया किसको संदेय था । ऐसी स्थिति में स्वत्व का प्रश्न, जो कि एक द्वितीयक प्रश्न है, को विनिर्धारित किया जाना आवश्यक नहीं था । अतः, न्यायहित में यह समुचित होता कि उच्च न्यायालय इस प्रश्न को विनिर्धारित करता ।
>
> हम मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आक्षेपित आदेश और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त करना और इस प्रश्न पर विनिश्चय के लिए उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेक्षित करना उचित समझते हैं कि प्रश्नगत परिसर का मकान मालिक कौन है । हम तद्नुसार आदेश पारित करते हैं । उच्च न्यायालय इन निष्कर्षों के अनुसार प्रश्नगत भवन को निर्मुक्त किए जाने के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन को पुनः निर्णीत करेगा । उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाता है कि इस

मामले का निर्णय विधि अनुसार और गुणागुण के आधार पर शीघ्रातिशीघ्र करे ।

इन निर्देशों के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है ।"

9. प्रत्यर्थी संख्या 3/1, 3/2, 3/4 की तरफ से तारीख 30 नवंबर, 2017 का खंडन शपथपत्र फाइल किया गया जिसका उत्तर याची द्वारा तारीख 4 फरवरी, 2018 के रिज्वाइंडर शपथपत्र द्वारा दिया गया । खंडन शपथपत्र का पैराग्राफ संख्या 6 और 7 और रिज्वाइंडर शपथपत्र के पैराग्राफ 7 के उत्तर को नीचे प्रत्युत्पादित किया गया है :-

खंडन शपथपत्र	**रिज्वाइंडर शपथपत्र**
पैरा 6. यह कि जब अभिकर्ता रघुनाथ मिश्रा ने खाता और किराया प्रस्तुत नहीं किया, तो मकान मालिक ने तारीख 29 मई, 1958 की सूचना द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति को समाप्त कर दिया और वाराणसी के सिविल न्यायाधीश के समक्ष अधिशेष किराया और बेदखली के लिए 1961 का वाद संख्या 35 (श्रीमती विद्यावती देवी **बनाम** रघुनाथ मिश्रा) फाइल किया । वाद के लंबन के दौरान श्रीमती दीवानिनी, विद्यावती, बद्रीनाथ की तारीख 14 जून, 1964 को मृत्यु हो गई और उनको नरेन्द्रजीत सिंह और सुशील देवी द्वारा और तत्पश्चात् जवाब प्रस्तुत करने वाले प्रत्यर्थियों द्वारा	**पैरा 7.** खंडन शपथपत्र के पैराग्राफ संख्या 6 और 7 की अंतर्वस्तु अभिलेख का मामला है, जिसको अभिलेख से ही सत्यापित किया जा सकता है । तथापि, आगे यह निवेदन किया जाता है कि ऐसा कोई अंतरण विलेख/अभिकथित वसीयत विलेख विद्यमान नहीं है जिसे श्रीमती दीवानिनी, विद्यावती बद्रीनाथ, श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) द्वारा वी. एस. एस. डी. महाविद्यालय, कानपुर के पक्ष में अभिकथित रूप से निष्पादित किया गया, अत: उक्त महाविद्यालय/ श्री नरेन्द्रजीत सिंह द्वारा जवाब देने वाले प्रत्यर्थी के पक्ष में निष्पादित तारीख 6 अप्रैल, 1983 के विक्रय विलेख का कोई आधार

प्रतिस्थापित किया गया, जिन्होंने तारीख 6 अप्रैल, 1983 के रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख द्वारा भवन को क्रय किया था ।	नहीं है और यह एक व्यर्थ दस्तावेज है और उत्तर देने वाले प्रत्यर्थी के पक्ष में किसी हक, स्वत्व और हित का सृजन नहीं करता ।
पैरा 7. विचारण न्यायालय के समक्ष ऊपर वर्णित वाद के लंबन के दौरान वी. एस. एस. डी. महाविद्यालय के सचिव नरेन्द्रजीत सिंह ने तारीख 6 अप्रैल, 1983 को जवाब देने वाले प्रत्यर्थी अर्थात् रतनशंकर चौरसिया (प्रत्यर्थी संख्या 3, जो अब जीवित नहीं हैं) और उनके तीन पुत्रों भोलानाथ चौरसिया, जवाहर लाल चौरसिया और गोपाल जी चौरसिया के पक्ष में संयुक्त रूप से रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख निष्पादित किया । तारीख 6 अप्रैल, 1983 के रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख की सत्य प्रति इस खंडन शपथपत्र का संलग्नक सी. ए. - 1 है ।	

10. याची के विद्वान् काउंसेल ने निम्नलिखित निवेदन किए :-

"(i) याची प्रश्नगत मकान के स्वामी अर्थात् श्रीमती विद्यावती, बद्रीनाथ का अभिकर्ता होने के नाते इस मकान का मकान मालिक है और इसलिए उसके द्वारा अधिनियम की धारा 16(1)(ख) के अधीन फाइल किया गया निर्मुक्ति आवेदन वाराणसी के किराया

नियंत्रण और निष्कासन अधिकारी द्वारा मंजूर किया जाना चाहिए था । इस न्यायालय द्वारा राम प्रकाश गुप्ता **बनाम** जिला न्यायाधीश कानपुर [2004 (1) इलाहाबाद रेंट केसेज 409] वाले मामले में दिए गए निर्णय का अवलंब लिया गया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिनियम की धारा 3(त्र) के अधीन किसी किराए पर दी गई संपत्ति का प्रबंध देखने और किराया एकत्रित करने के लिए मकान मालिक की तरफ से प्राधिकृत व्यक्ति भी अधिनियम की धारा 3(त्र) के अधीन मकान मालिक है ।

(ii) 1988 के किराया पुनरीक्षण संख्या 150 में तारीख 24 अक्तूबर, 2000 को पारित आक्षेपित निर्णय में पुनरीक्षण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि याची किराएदार है, जैसाकि इस याचिका के पृष्ठ 120 पर अभिलिखित है । इसलिए, निचले न्यायालय के समक्ष किराया नियंत्रण और निष्कासन अधिकारी/ नगर मजिस्ट्रेट वाराणसी द्वारा 1972 के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 की धारा 16(1)(ख) के अधीन फाइल किए गए 1985 के मामला संख्या 3 में पारित तारीख 22 जुलाई, 1988 के आदेश को मान्य ठहराए जाने का कोई कारण नहीं था ।

(iii) 1979 के एक अन्य लघुवाद वाद संख्या 495 (विश्वनाथ मिश्रा **बनाम** जगत किशोर मिश्रा) वाले मामले में, जो तारीख 24 अगस्त, 1991 को निर्णीत किया गया, में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि याची मकान मालिक है । इसलिए तारीख 24 अक्तूबर, 2000 का आक्षेपित आदेश पारित करते हुए विद्वान् पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा याची को विवादित मकान संख्या सी. के.-19/8, ठठेरी बाजार, वाराणसी के मकान मालिक के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए था ।

(iv) याची द्वारा 1972 के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 की धारा 16(1)(ख) के अधीन तारीख 10 जनवरी, 1985 को फाइल किया गया निर्मुक्ति आवेदन किराएदार स्वर्गीय श्रीमती सत्यभामा

देवी के कब्जे वाले विवादित भाग को अपनी स्वयं की आवश्यकता के लिए निर्मुक्त किए जाने के लिए के प्रयोजनार्थ फाइल किया गया था । इसलिए, यह निर्मुक्ति आवेदन मंजूर किए जाने योग्य था ।

(v) धारा 16(1)(ख) के अधीन फाइल किए गए निर्मुक्ति आवेदन याची और साथ ही प्रत्यर्थी संख्या 3 और 4 द्वारा फाइल किए गए थे । याची ने अपनी सद्भाविक आवश्यकता दर्शित की है, किंतु प्रत्यर्थी संख्या 3 और 4 ने अपने निर्मुक्ति आवेदनों में विवादित भाग के बाबत अपनी सद्भाविक आवश्यकता दर्शित नहीं की है । परिणामस्वरूप, याची का निर्मुक्ति आवेदन मंजूर किए जाने योग्य था और प्रत्यर्थी संख्या 3 और 4 द्वारा फाइल किए गए निर्मुक्ति आवेदन अस्वीकृत किए जाने योग्य थे । किंतु, निचले न्यायालय ने किराया नियंत्रण और निष्कासन अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 3 और 4 द्वारा फाइल किए गए निर्मुक्ति आवेदनों को मंजूर करते हुए पारित किए गए आदेश को मान्य ठहराते हुए विधि की दृष्टि में प्रकट रूप से त्रुटि कारित की है ।

(vi) प्रत्यर्थी संख्या 3 और 4 की सद्भाविक आवश्यकता के बिंदु पर किराया नियंत्रण और निष्कासन अधिकारी या निचले न्यायालय द्वारा अपने-अपने आक्षेपित निर्णयों में कोई भी निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया गया । इसलिए, प्रत्यर्थी संख्या 3 और 4 के पक्ष में पारित निर्मुक्ति आदेश स्वयमेव ही दोषपूर्ण हैं ।"

11. याची के विद्वान् काउंसेल ने इस निवेदन के समर्थन में कि याची विवादित मकान का मकान मालिक है, **डा. सीता राम गांधी** बनाम **चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश और एक अन्य**[1] और **ब्रजभूषण शर्मा** बनाम **कमला प्रसाद**[2] वाले मामलों में दिए गए निर्णयों का अवलंब लिया ।

12. याची के विद्वान् काउंसेल द्वारा मेरे समक्ष पूर्वोक्त निर्णयों के अतिरिक्त न तो किसी अन्य बिंदु पर बहस की गई और न ही कोई अन्य निर्णय उद्धृत किया गया ।

---

[1] 1983 इलाहाबाद रेंट केसेज 782.

[2] 2011 (3) इलाहाबाद रेंट केसेज 381.

भवन स्वामी – प्रत्यर्थियों की तरफ से किए गए निवेदन –

13. प्रत्यर्थियों के विद्वान् काउंसेल ने निम्नलिखित निवेदन किए :–

"(i) श्रीमती दीवानिनी, विद्यावती, बद्रीनाथ निर्विवाद रूप से प्रश्नगत मकान की स्वामिनी और मकान मालिक थी । रघुनाथ मिश्रा (याची के पिता) पूर्वोक्त स्वामिनी और मकान मालिक के अभिकर्ता थे । पूर्वोक्त मकान मालिक ने रघुनाथ मिश्रा द्वारा खाते और किराए का विवरण प्रस्तुत न किए जाने के कारण तारीख 29 मई, 1958 की सूचना द्वारा उनका अभिकर्ता का पद और उनकी अनुज्ञप्ति को समाप्त कर दिया था और वाराणसी के सिविल न्यायाधीश के समक्ष उनके निष्कासन और किराया वसूली के लिए 1961 का वाद संख्या 35 फाइल किया था ।

(ii) वाद के लंबन के दौरान श्रीमती दीवानिनी, विद्यावती, बद्रीनाथ की तारीख 14 जून, 1964 को मृत्यु हो गई थी । उनको कानपुर के वी. एन. एस. डी. महाविद्यालय के सचिव श्री नरेन्द्रजीत सिंह द्वारा प्रतिस्थापित किया गया और तत्पश्चात् तारीख 6 अप्रैल, 1983 के रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख द्वारा प्रत्यर्थियों द्वारा इस भवन को क्रय किए जाने के पश्चात् प्रत्यर्थियों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था । याची द्वारा तारीख 30 नवंबर, 2017 के खंडन शपथपत्र के पैरा संख्या 6 और 7 में किए गए प्रकथनों को अपने रिज्वांइडर शपथपत्र के पैरा संख्या 7 में स्वीकार किया है । अतः, निर्विवाद रूप से श्री रघुनाथ मिश्रा अभिकर्ता थे और उनके अभिकर्ता के पद को भवन स्वामिनी और मकान मालिक श्रीमती दीवानिनी, विद्यावती, बद्रीनाथ द्वारा समाप्त कर दिया गया था । इसलिए याची मकान मालिक नहीं है और उसके द्वारा फाइल किए गए निर्मुक्ति आवेदन को निचले न्यायालय द्वारा विधितः अस्वीकृत किया गया ।

(iii) किराया नियंत्रण और निष्कासन अधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट, वाराणसी और पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा अभिलिखित

निष्कर्ष तथ्यों पर आधारित हैं, जो अभिलेख पर उपलब्ध सुसंगत साक्ष्यों पर आधारित हैं, जिसके द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रत्यर्थी और न की याची भवन के क्रेता हैं और वही भवन के स्वामी और मकान मालिक भी हैं । तथ्यों के यह निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध सुसंगत साक्ष्यों पर आधारित हैं, जिनमें संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करते हुए मध्यक्षेप नहीं किया जा सकता ।

(iv) 1961 के वाद संख्या 35 (श्रीमती विद्यावती देवी **बनाम** रघुनाथ मिश्रा) वाले मामले में दिए गए निर्णय में वाराणसी के सिविल न्यायाधीश ने पूर्वोक्त मूल स्वामी और मकान मालिक को विवादित मकान का स्वामी घोषित कर दिया था ।

(v) 1961 के मूल वाद संख्या 35 में दिए गए निर्णय से व्यथित होकर इस मामले के याची ने 1988 की सिविल अपील संख्या 600 (विश्वनाथ मिश्रा **बनाम** नरेन्द्रजीत सिंह) फाइल की, जो वाराणसी के चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश द्वारा तारीख 30 मई, 1998 को पारित निर्णय द्वारा खारिज कर दी गई और यह निष्कर्ष निकाला गया कि श्रीमती दीवानिनी, विद्यावती, बद्रीनाथ विवादित मकान की स्वामिनी थी और जवाहर मिश्ता और रघुनाथ मिश्रा उपरोक्त स्वामिनी द्वारा नियुक्त उक्त संपत्ति के अभिकर्ता और केयरटेकर थे जो श्रीमती दीवानिनी, विद्यावती, बद्रीनाथ के समक्ष समस्त खाते प्रस्तुत किया करते थे । यह निष्कर्ष भी निकाला गया कि इस मामले के याची ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि किराए की आय का खाता पूर्वोक्त मूल स्वामिनी और मकान मालिक के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा था । प्रत्यर्थियों के विद्वान् काउंसेल ने इस संबंध में अपील न्यायालय द्वारा 1988 की सिविल अपील संख्या 600 में निकाले गए निष्कर्षों को तारीख 30 मई, 1998 को पारित निर्णय के आंतरिक पैरा 22 में विनिर्दिष्ट रूप से उद्धृत किया है ।

(vi) मात्र इस कारणवश कि अभिकर्ता रघुनाथ मिश्रा विवादित

मकान का किराया मूल स्वामिनी और मकान मालिक की तरफ से एकत्रित कर रहे थे, वह या उसका पुत्र अर्थात् वर्तमान याची 1972 के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 की धारा 3(त्र) के अर्थान्तर्गत मकान मालिक नहीं बन सकते ।"

14. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **एम. एम. कासिम** बनाम **मनोहर लाल शर्मा और अन्य**[1] और इस न्यायालय द्वारा **फुरकान अहमद** उर्फ **माना और एक अन्य** बनाम **पंचम अपर जिला न्यायाधीश और अन्य**[2] और **मामचंद** बनाम **प्रमोदिनी श्रीवास्तव**[3] वाले मामले में दिए गए निर्णयों का अवलंब लिया गया ।

चर्चा और निष्कर्ष

15. मैंने पक्षों के विद्वान् काउंसेलों के निवेदनों पर सावधानीपूर्वक विचार किया और अभिलेख का परिशीलन किया ।

16. इस न्यायालय के समक्ष यह स्वीकार किया गया है और जैसाकि याची के विद्वान् काउंसेल द्वारा किए गए निवेदनों से भी स्पष्ट होता है और जैसाकि ऊपर पैराग्राफ 9(i) में भी उल्लिखित है, जम्मू और कश्मीर की श्रीमती दीवानिनी, विद्यावती, बद्रीनाथ विवादित भवन की स्वामिनी और मकान मालिक थीं । उन्होंने विवादित मकान के संबंध में याची के दादा और तत्पश्चात् पिता को अपने अभिकर्ता और केयरटेकर के रूप में नियुक्त किया था । ये अभिकर्ता मकान की देखभाल करते थे और किराया एकत्रित करते थे और मूल स्वामिनी और मकान मालिक के समक्ष खाते प्रस्तुत करते थे । प्रत्यर्थियों ने खंडन शपथपत्र के पैरा 6 में अभिकथित किया है कि जब अभिकर्ता रघुनाथ मिश्रा (याची के पिता) ने खाते और किराया प्रस्तुत नहीं किया, तो मकान मालिक श्रीमती दीवानिनी, विद्यावती, बद्रीनाथ ने उनकी अनुज्ञप्ति को समाप्त कर दिया । इस तथ्य को याची द्वारा रिज्वांइडर शपथपत्र के पैरा 7 में स्वीकार किया गया है । याची ने इस बात का दावा किया है कि वह मकान

---

[1] (1981) 3 एस. सी. सी. 36.

[2] 2005 इलाहाबाद ला जर्नल 119.

[3] (2014) 5 इलाहाबाद डिसीजन जर्नल 231.

मालिक का अभिकर्ता था और इसलिए उसने तारीख 10 जनवरी, 1985 का निर्मुक्ति आवेदन किराएदार श्रीमती सत्यभामा देवी की तारीख 2 जनवरी, 1985 को मृत्यु हो जाने के कारण किराएदारी वाले भाग के रिक्त हो जाने पर प्रस्तुत किया था और इस आवेदन को मंजूर किया जाना चाहिए था । अतः, मामले के पूर्वोक्त स्वीकृत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस याचिका में जो प्रश्न माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 1 फरवरी, 2017 के आदेश में दिए निर्देशों के प्रकाश में विचारार्थ उद्भूत होता है, वह निम्नलिखित है :-

> **"प्रश्न - क्या याची प्रश्नगत मकान की मूल स्वामिनी और मकान मालिक का अभिकर्ता होने के नाते 1972 के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 की धारा 3(त्र) के अर्थान्तर्गत मकान मालिक है ?"**

17. पूर्वोक्त प्रश्न पक्षों के विद्वान् काउंसेलों की सहमति से इस याचिका के विनिर्धारण के प्रयोजनार्थ विरचित किया गया है ।

अभिकर्ता/याची की हैसियत -

18. 1872 के अधिनियम के अध्याय 10 में अभिकर्ता और अभिकरण के संबंध में विस्तारपूर्वक उपबंध समाविष्ट हैं ।

19. 'अभिकर्ता' शब्द को 1972 के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 में परिभाषित किया गया है । इस शब्द को भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 182 में भी परिभाषित किया गया है, जो निम्नलिखित है :-

> **"182. 'अभिकर्ता' और 'मालिक' की परिभाषा** - 'अभिकर्ता' वह व्यक्ति है, जो अन्य की ओर से कोई कार्य करने के लिए या पर व्यक्तियों से व्यावहारों में किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित है । वह व्यक्ति, जिसके लिए ऐसा कार्य किया जाता है या जिसका इस प्रकार प्रतिनिधित्व किया जाता है, 'मालिक' कहलाता है ।"

20. चूंकि, वर्तमान याचिका में विवाद अभिकर्ता के प्रश्न तक

सीमित है जो अधिनियम की धारा 3(त्र) के निबंधनों के अनुसार मकान मालिक बन जाता है, इसलिए, यह समुचित होगा कि इस प्रश्न का परीक्षण किया जाए कि क्या कोई अभिकर्ता या केयरटेकर किसी संपत्ति के स्वामी के अधिकारों में मध्यक्षेप कर सकता है और उसके कब्जे की प्रकृति क्या होगी । इन प्रश्नों पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विस्तारपूर्वक विचार किया गया है ।

21. **सदर्न रोडवेज़ लिमिटेड, मदुरई, जिसका प्रतिनिधित्व सचिव द्वारा किया गया** बनाम **एस. एम. कृष्णन**[1] वाले मामले में (पैराग्राफ संख्या 11, 12, 14, 18 और 22) माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो अभिनिर्धारित किया, वह निम्नलिखित है :-

> 11. "आरंभिकत:, हम यह अभिकथित करते हैं कि हम वादग्रस्त संपत्तियों के वास्तविक कब्जों के संबंध में किए गए परस्पर दावों से बहुत अधिक संबद्ध नहीं हैं । वास्तव में यह कंपनी के अधिकारों को विनिर्धारित किए जाने के प्रयोजनार्थ नितांत रूप से असुसंगत है कि वह अपने कारबार का संचालन करे । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल श्री वेणुगोपाल ने भी इस विवाद का प्रत्यक्षत: उल्लेख नहीं किया । तथापि, उन्होंने अपने मामले को कतिपय ऐसे तथ्यों पर आधारित रखा, जो साबित हो चुके हैं या जिनके संबंध में सहमति बन चुकी है । उन कतिपय तथ्यों को निम्नलिखित शब्दों में अभिकथित किया जा रहा है –
>
> > 'कंपनी वादग्रस्त भवनों की किराएदार थी और है और भवन स्वामी को किराए का संदाय करती रही है । इन भवनों के संबंध में पट्टे का नवीनीकरण तारीख 22 नवंबर, 1993 को किया जा चुका है । इसी कंपनी ने पट्टा निष्पादित किया था, न कि प्रत्यर्थी ने । प्रत्यर्थी को अभिकर्ता के रूप में इन भवनों के कब्जे में बने रहने की अनुज्ञा प्रदान की गई थी । यह मात्र कंपनी के कारबार को चलाने के प्रयोजनार्थ किया गया था । उनके अभिकरण को समाप्त कर दिया गया है और

[1] (1989) 4 एस. सी. सी. 603.

उनके कंपनी के लिए कार्य करने के प्राधिकार को भी समाप्त कर दिया गया है । ये तथ्य विवादित नहीं हैं । इन तथ्यों के आधार पर विद्वान् काउंसेल की दलील यह है कि जब अभिकरण को समाप्त कर दिया गया है, तो प्रत्यर्थी को भवन के कब्जे में बने रहने या कंपनी के कारबार क्रियाकलापों में मध्यक्षेप करने का अधिकार नहीं है ।'

12. इस दलील में कोई बल नहीं है और यह नहीं कहा जा सकता कि कोई लाभ प्राप्त हुआ । हमारे विचार में विद्वान् काउंसेल भ्रमित प्रतीत होते हैं । कंपनी को अपने अभिकर्ता को हटाने के बाद भी सामान्य रूप से कारबार चलाने का अधिकार है । न्यायालय विरलतम मामलों में ही इस प्रकार की कोई शर्त अधिरोपित करने के लिए इच्छुक होते हैं, जो कंपनी के स्वातंत्र्य पर अवरोध उत्पन्न करती हो, जब तक कि ऐसी शर्तें अधिरोपित किए जाने के प्रयोजनार्थ कोई करार न हो । इस मामले में पक्षों के मध्य करार प्रत्यर्थी को अभिकरण की समाप्ति के पश्चात् भी वादग्रस्त संपत्ति के कब्जे में बने रहने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता । इस प्रकार का कोई करार कंपनी के कारबार में मध्यक्षेप के प्रयोजनार्थ किसी भी पक्ष के अधिकारों को परिरक्षित भी नहीं करता । इसके विपरीत, इस प्रकार का कोई भी करार यह उपबंधित करता है कि प्रत्यर्थी को बिना किसी सूचना के किसी भी समय बेदखल किया जा सकता है और उसको बेदखल किए जाने के पश्चात् कंपनी सामान्य रूप से अपना कारबार चला सकेगी । इसलिए, करार के निबंधनों के अंतर्गत कंपनी अपने अधिकारों का आश्रय ले सकती है और उनका प्रयोग कर सकती है, जिसे प्रत्यर्थी विवादित या इनकार नहीं कर सकता ।

14. हमको किसी अभिकर्ता के अधिकारों पर विचार करते समय एक अन्य महत्वपूर्ण कारक को ध्यान में रखना होगा । कोई अभिकर्ता, जो अपने मालिक से या मालिक की तरफ से कोई संपत्ति या धन प्राप्त करता है, तो वह उस संपत्ति या धन के संबंध में स्वयं के लिए कोई हित अभिप्राप्त नहीं करता । जब वह

ऐसी किसी संपत्ति को प्राप्त करता है, तो वह इस बाबत बाध्य है कि उस संपत्ति या धन को अपनी स्वयं की संपत्ति या धन या अन्य की संपत्ति या धन से पृथक रखे । पूर्व में, लॉर्ड कॉर्टेनहार्म, एल. सी. ने फॉले बनाम हिल [2 एच. एल. सी. 28 = 1843 - 60 आल इंग्लैंड रिपोर्टर (पुर्नमुद्रित)] वाले मामले के पैरा 16 और 19 में यह कहा –

> 'अत: यह उस अभिकर्ता के संबंध में है, जो संपत्ति से संबंधित कार्य करता है, तो वह अपने पारितोषित के परे जाकर किसी भी विषय-वस्तु में स्वमेव ही कोई हित प्राप्त नहीं करता ; वह सदैव किसी अन्य की तरफ से कार्य करता है और यद्यपि वह इस शर्त के कड़ाईपूर्वक किए गए तकनीकी अर्थान्वयन के अनुसार न्यासी नहीं होता, फिर भी वह किसी विशिष्ट संव्यवहार, जिसके लिए उसको अंतर्वलित किया गया है, के संबंध में अर्धन्यासी होता है ।'

18. मामले का सार यह है कि कोई अभिकर्ता किसी संपत्ति के स्वामी की संपत्ति का धारण केवल स्वामी की तरफ से करता है । वह उस संपत्ति में स्वमेव कोई हित अर्जित नहीं करता । वह संपत्ति के संबंध में संपत्ति के स्वामी के स्वत्व से इनकार नहीं कर सकता । साथ ही वह उस संपत्ति को किसी अन्य प्रकार या किसी अन्य प्रयोग की संपत्ति में परिवर्तित नहीं कर सकता । उसका कब्जा समस्त प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुए संपत्ति के स्वामी का कब्जा होता है । जैसीकि मताभिव्यक्ति केरल उच्च न्यायालय ने नारायणी अम्मा **बनाम** भाषकरन पिल्लई [ए. आई. आर. 1969 केरल 214] वाले मामले में की है –

> 'अभिकर्ता का कब्जा उसका स्वयं का कब्जा नहीं होता । उसका कब्जा, जिसे केयरटेकर का कब्जा कहते हैं, वास्तव में संपत्ति के स्वामी का कब्जा होता है ।'

22. इस मामले में वादग्रस्त भवन के संबंध में प्रत्यर्थी का कब्जा कंपनी की तरफ से था और उसके अपने अधिकार के

अंतर्गत नहीं । अत:, कंपनी के लिए यह अनावश्यक है कि वह कब्जे की प्राप्ति के लिए वाद फाइल करे । प्रत्यर्थी को उसके अभिकरण की समाप्ति के पश्चात् वादग्रस्त परिसर के कब्जे में बने रहने का अधिकार नहीं है । उसको कंपनी के कारबार में भी मध्यक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है । अत: इस मामले में अस्थायी व्यादेश प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है । उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश अपने निर्णय में व्यादेश जारी करते हुए न्यायसंगत थे । उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने स्पष्टत: उस व्यादेश को रिक्त करके त्रुटि कारित की ।"

22. **श्रीमती चंद्रकांता बेन** बनाम **वाडीलाल बापा लाल मोदी और अन्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभिकर्ता का कब्जा स्वामी का कब्जा होता है और उसको वैश्वासिक संबंध को ध्यान में रखते हुए अपने स्वयं के कब्जे का दावा करने की अनुज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती । अत:, अभिकर्ता स्वामी का विस्तारित अधिकार होता है ।

23. अत:, अभिकर्ता, जो अपने स्वामी से या स्वामी के लिए कोई संपत्ति या धन प्राप्त करता है, तो वह उस धन या संपत्ति में अपने स्वयं के लिए कोई हित अभिप्राप्त नहीं करता । कोई अभिकर्ता केवल किसी संपत्ति के स्वामी की तरफ से उस संपत्ति को धारण करता है । वह उस संपत्ति में स्वयं के लिए कोई हित अर्जित नहीं करता । वह उस संपत्ति के संबंध में संपत्ति के स्वामी के स्वत्व से इनकार नहीं कर सकता । साथ ही वह उस संपत्ति को किसी अन्य प्रकार या प्रयोग की संपत्ति में परिवर्तित नहीं कर सकता । उसका कब्जा समस्त प्रयोजनों के लिए संपत्ति के स्वामी का कब्जा होता है । अभिकर्ता का कब्जा उसका स्वयं का कब्जा नहीं होता । केयरटेकर (अभिकर्ता) का कब्जा संपत्ति के स्वामी का कब्जा होता है । अभिकर्ता का कब्जा संपत्ति के स्वामी का कब्जा होता है और उसको वैश्वासिक संबंध को ध्यान में रखते हुए अपने स्वयं के कब्जे का दावा करने की अनुज्ञा प्रदान नहीं की

---

[1] (1989) 2 एस. सी. सी. 630.

जा सकती । अत:, अभिकर्ता संपत्ति के स्वामी का विस्तारित अधिकार होता है । इसलिए, याची के पिता ने अभिकर्ता की हैसियत से और यह उपधारणा करते हुए कि याची भी अभिकर्ता है, संपत्ति के स्वामी स्वर्गीय दीवानिनी विद्यावती बद्रीनाथ की विवादित संपत्ति में कोई हित अर्जित नहीं किया है और उसको वैश्वासिक संबंध को ध्यान में रखते हुए उस संपत्ति के कब्जे का दावा करने की अनुज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती । उसका कब्जा समस्त प्रयोजनों के लिए संपत्ति के स्वामी का कब्जा है ।

<u>क्या कोई अभिकर्ता और किराएदार धारा 3(त्र) के अधीन मकान मालिक होता है और वह संपत्ति के स्वामी/प्रधान की हैसियत रखता है</u> :-

24. 1972 के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 की धारा 3(त्र) 'मकान मालिक' शब्द को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित करती है :-

> "जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न करे -
>
> 'मकान मालिक', से किसी भवन के संबंध में ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसको उसका किराया, यदि भवन किराए पर दिया गया है, संदेय होगा और इसमें सिवाए खंड (छ) के कोई अभिकर्ता या एटार्नी या अन्य व्यक्ति सम्मिलित होगा ;"

25. 1972 के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 की धारा 3(छ) इस प्रकार है :-

> "जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न करे -
>
> किसी भवन के मकान मालिक या किराएदार के संबंध में 'कुटुम्ब' से आशय उसके
>
> (i) पति या पत्नी ;
>
> (ii) पुर्लिंग उत्तरजीवी ;
>
> (iii) वे पिता-माता, दादा-दादी और कोई अविवाहित या विधवा या विवाह विच्छेदित या न्यायिक रूप से पृथक् पुत्री या किसी पुर्लिंग उत्तरजीवी की पुत्री, जो उसके साथ सामान्यत: निवास करती है,
>
> और इसमें किसी मकान मालिक के संबंध में कोई महिला, जो

उस भवन में निवास का विधिक अधिकार रखती है, सम्मिलित है ;"

26. 1972 के अधिनियम संख्या 13 की धारा 3(त्र) 'मकान मालिक' शब्द को परिभाषित करती है । इस परिभाषा में मकान मालिक का कोई अभिकर्ता या एटार्नी सम्मिलित है, सिवाए खंड (छ) में परिभाषित शब्द के, जो 'कुटुम्ब' शब्द को परिभाषित करता है । यहां पर यह उल्लेख करना भी सुसंगत है कि धारा 3 के परिभाषा खंड "जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न करे" शब्दों के साथ अग्रसर होती है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन शब्दों का निर्वचन **इच्छापुर इंडस्ट्रीयल कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड** बनाम **सक्षम प्राधिकारी, तेल और प्राकृत गैस आयोग और एक अन्य**[1], **के. बी. मुथू** बनाम **अंगमुथू अम्माल**[2] और **दमादिलाल और अन्य** बनाम **पाराश्रम और अन्य**[3] वाले मामलों में किया । इस न्यायालय ने इन निर्णयों का अवलंब लेते हुए 2019 के लघुवाद पुनरीक्षण संख्या 86 (**मुन्नू यादव** बनाम **राम कुमार यादव और एक अन्य**) में तारीख 9 सितंबर, 2019 को निर्णय पारित करते हुए अभिनिर्धारित किया कि 'जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न करे' वाक्यांश से यह उपदर्शित होता है कि न्यायालय को अर्थान्वयन और निर्वचन करते हुए और परिभाषा खंड को लागू करते हुए विधायी आज्ञा को ध्यान में रखना चाहिए और इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या संदर्भ के अनुसार अन्यथा अपेक्षित है । जहां परिभाषा 'जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न करे' वाक्यांश द्वारा अग्रसर है, तो अर्थान्वयन यह होगा कि सामान्यत: धारा में दी गई परिभाषा लागू की जानी चाहिए और उसको प्रभावी किया जाना चाहिए । किंतु इस परिभाषा में दिए गए आशय का अनदेखा किया जा सकता है यदि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित करता हो ।

27. 'मकान मालिक की परिभाषा' इस भाव में सम्मिलित है कि

---

[1] (1997) 2 एस. सी. सी. 42.

[2] (1997) 2 एस. सी. सी. 53.

[3] (1976) 4 एस. सी. सी. 855.

यह 'अभिकर्ता' या 'एटार्नी' को भी विस्तारित होती है, इसलिए मकान मालिक (स्वामी), जिसको किराया संदेय होता है, यदि उसने किसी अभिकर्ता या एटार्नी को किराए के संग्रहण के पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए प्राधिकृत कर दिया है, तो वह अभिकर्ता या एटार्नी अर्थात् किराएदार भी 1972 के अधिनियम की धारा 3(त्र) के अधीन मकान मालिक की परिभाषा में सम्मिलित हो जाएगा । वह संदर्भ, जिसमें 'मकान मालिक' शब्द का प्रयोग किया गया है, को एक से अधिक वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है । प्रथम वर्ग किराए के संग्रहण के संदर्भ में है । किराया भवन के संदर्भ में भवन के स्वामी को संदेय होगा और वह नि:संदेहरूप से 'मकान मालिक' शब्द में सम्मिलित होगा । द्वितीयत:, कोई पट्टेदार, जिसे भवन को पुन: पट्टे पर देने का अधिकार है अर्थात् वह व्यक्ति जिसको उसने भवन किराए पर दिया है, ऐसा उप-पट्टेदार भी 'मकान मालिक' होगा । तृतीयत:, यदि भवन के स्वामी ने अपने अभिकर्ता अर्थात् किराएदार को किराए का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है, तो भवन के स्वामी का वह किराएदार भी 1972 के अधिनियम की धारा 3(त्र) के अंतर्गत 'मकान मालिक' होगा । यही स्थिति एटार्नी की भी है ।

28. इसलिए, किराएदार, अभिकर्ता या एटार्नी को सम्मिलित करते हुए, जो धारा 3(त्र) के अधीन 'मकान मालिक' की परिभाषा में सम्मिलित होते हैं, ऐसे व्यक्ति होंगे जो अभिकर्ता या एटार्नी के रूप में किसी विशिष्ट रीति में कोई कार्य करने या न करने के प्रयोजनार्थ संपत्ति के स्वामी के प्रतिनिधित्व का प्राधिकार धारण करते हैं, जैसाकि स्वामी द्वारा प्राधिकृत किया गया हो । एटार्नी और अभिकर्ता स्वयंमेव ही संपत्ति के स्वामी होने का दावा नहीं कर सकते और साथ ही साथ इस बात का दावा नहीं कर सकते कि वे 'मकान मालिक' की परिभाषा में सम्मिलित हैं ।

29. **राज मोहन कृष्ण** बनाम **द्वितीय जिला अपर न्यायाधीश**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि विहित प्राधिकारी

---

[1] ए. आई. आर. 1993 इलाहाबाद 40.

सीमित अधिकारिता वाला अधिकरण है, जिसको 1972 के उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए ऊपर उठाया जाना, किराया और निष्कासन का विनियमन) अधिनियम की धारा 21 या इस अधिनियम में उल्लिखित अन्य उपबंधों के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदनों को निर्णीत किए जाने के प्रयोजनार्थ गठित किया गया है । इस अधिकरण को सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा पारित किसी डिक्री की शुद्धता का परीक्षण या अन्यथा के प्रयोजनार्थ कोई अधिकारिता प्राप्त नहीं है । इस अधिकरण को इस आधार पर अग्रसर होना होता है कि किसी सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिक्री एक विधिमान्य डिक्री है और उसी के आधार पर पक्षों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करनी होती है । **खेमचंद्र** बनाम **चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है किसी पक्ष को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की शुद्धता को विहित प्राधिकारी के समक्ष चुनौती दे और जब तक डिक्री अपास्त नहीं होती, उसको असली डिक्री के रूप में स्वीकार किया जाना होता है । हमारे समक्ष उपस्थित वर्तमान तथ्यों के समुच्चय को ध्यान में रखते हुए 1961 के मूल वाद संख्या 35 (**श्रीमती विद्यावती देवी** बनाम **रघुनाथ मिश्रा**) में वाराणसी के सिविल न्यायाधीश द्वारा **रघुनाथ मिश्रा** (याची के पिता) के निष्कासन के लिए तारीख 17 मई, 1988 को निर्णय और डिक्री पारित की गई और इसमें के याची द्वारा फाइल की गई 1988 की सिविल अपील संख्या 600 (**विश्वनाथ मिश्रा** बनाम **नरेन्द्रजीत सिंह**) को वाराणसी के चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश द्वारा पारित तारीख 30 मई, 1998 के निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसके विरुद्ध इसमें के याची ने 1988 की द्वितीय अपील संख्या 1196 (**विश्वनाथ मिश्रा** बनाम **रतनशंकर चौरसिया**) फाइल की, जो अभिकथित रूप से लंबित है । 1961 के मूल वाद संख्या 35 में वाराणसी के सिविल न्यायाधीश की न्यायालय द्वारा पारित तारीख 17 मई, 1988 के निर्णय और डिक्री को स्वीकृतत: न तो अपास्त किया गया है और न ही उपांतरित ।

---

[1] 1989 (2) इलाहाबाद रेंट केसेज, 344.

30. **विनोद कुमार अग्रवाल** बनाम **चतुर्दश अपर जिला न्यायाधीश, इलाहाबाद**[1] वाले मामले में इस न्यायालय की न्यायपीठ ने 1972 के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 की धारा 3(त्र) पर विचार किया और इस न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अनेक विनिश्चयों को निर्दिष्ट करने के पश्चात् अभिनिर्धारित किया :-

"45. 'स्वयं या परिवार के अन्य सदस्यों के कब्जे के अंतर्गत' शब्दों के संदर्भ में मतांतर है ; क्या ये शब्द किसी भी व्यक्ति पर लागू होंगे और केवल संपत्ति के स्वामी तक सीमित नहीं रहेंगे ।

46. इस संबंध में जो प्राचीनतम विनिश्चय उपलब्ध है, **श्री लक्ष्मी शंकर मिश्रा** बनाम **प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, इलाहाबाद और अन्य** [1977 ए. आर. सी. 7.] वाला मामला है । इस मामले में माननीय न्यायमूर्ति एन. डी. ओझा (जो तत्कालीन न्यायाधीश थे) ने यह मत व्यक्त किया :-

'किसी भवन के संबंध में अधिनियम की धारा 3(त्र) में मकान मालिक के रूप में परिभाषित व्यक्ति से आशय किसी ऐसे व्यक्ति से है, जिसे उस भवन का किराया संदेय है या यदि वह भवन किराए पर दिया गया, तो संदेय था और इसमें सिवाय खंड (छ) के, उस व्यक्ति का अभिकर्ता या एटार्नी भी सम्मिलित है । ऐसे मामलों में जहां दो व्यक्तियों के मध्य संविदात्मक संबंध हैं, जिनके मतावलंबन में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को उसके कब्जे वाले भवन के संबंध में किराएदार की हैसियत में किराया संदेय है, तो वह व्यक्ति जिसको करार को दृष्टि में रखते हुए किराया संदेय है, उस व्यक्ति का मकान मालिक होगा जिसके द्वारा इस तथ्य के बावजूद किराया संदेय होगा कि संपत्ति का वास्तविक स्वामी कौन था । यह एक ऐसा मामला होगा जो परिभाषा के प्रथम भाग द्वारा आच्छादित होगा अर्थात् मकान मालिक ऐसा व्यक्ति होगा, जिसको भवन का किराया संदेय है । तथापि,

[1] 2013 (6) इलाहाबाद ला जर्नल 110.

विधि की दृष्टि में किसी ऐसे भवन के सम्बंध में भिन्न होगी, जो रिक्त है और यह प्रश्न उद्भूत होता है कि मकान मालिक कौन है, जिसको पूर्वोक्त नियम के नियम 8 और 9 द्वारा अनुध्यात सूचनाएं आबंटन का आदेश पारित किए जाने के पूर्व दी जानी हैं, स्थिति भिन्न होगी । इस प्रक्रम पर परिभाषा का द्वितीय भाग आकर्षित होगा अर्थात् मकान मालिक वह व्यक्ति होगा, जिसको यदि भवन किराए पर दिया जाता है, तो किराया संदेय होगा । यहां पर इस बात पर जोर दिया जाता है कि किसी भी स्थिति में मकान मालिक वह व्यक्ति होगा, जिसको किराया संदेय है या होगा, जैसा भी मामला हो और वह व्यक्ति नहीं होगा जिसके द्वारा शारीरिक रूप से मकान मालिक की तरफ से किराए का संग्रहण किया जाता है और वह स्वयम मकान मालिक हो जाएगा । यदि भवन को किराए पर उठाया जाता है, तो वह व्यक्ति कौन होगा जिसको किराया संदेय होगा, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है । यह वह व्यक्ति होगा, जो भवन को किराए पर उठाने और किराएदारों से किराया वसूल करने के लिए प्राधिकृत होगा । सामान्यतः, वह व्यक्ति भवन का स्वामी होगा । तथापि, यदि भवन का स्वामी किसी अन्य व्यक्ति के साथ किसी करार में प्रविष्ट हो जाता है और उस व्यक्ति को अभिकर्ता या एटार्नी के रूप में रिक्त भवन को किराए पर उठाने के लिए और किराएदारों से किराया वसूल करने के लिए प्राधिकृत कर देता है, तो यही वह व्यक्ति होगा, जिसको अधिनियम के अंतर्गत उक्त पद की परिभाषा के अंतर्गत मकान मालिक कहा जाएगा । इसी प्रकार का मामला तब भी उद्भूत हो सकता है जब या तो न्यायालय के आदेश द्वारा या किसी विधि के क्रियान्वयन द्वारा प्रथम बार किसी भवन को किराए पर उठाए जाने और किराएदारों से किराया वसूल करने के अधिकार भवन के स्वामी के अतिरिक्त किसी ऐसे व्यक्ति में निहित हो जाते हैं ।'

(अधोरेखांकन पर बल दिया गया)

47. तत्पश्चात् **ई. ई. दयाल** बनाम **श्रीमती फुलमणि दयाल और अन्य** [1977 इलाहाबाद रेंट केसेस (एस. एन. 5) 4.] वाले मामले में माननीय न्यायमूर्ति आर. एन. सहाय (जो उस समय न्यायाधीश थे) ने अभिनिर्धारित किया कि इस बाबत सहमत होना कठिन है कि मात्र इस कारणवश कि प्रत्यर्थी को न्यास द्वारा किराए का संग्रहण करने के लिए अनुज्ञा प्रदान की गई थी और याची ने न्यास के प्रधान अधिकारी से प्राप्त इस संसूचना को दृष्टि में रखते हुए किराए का संदाय करना आरंभ कर दिया था, प्रत्यर्थी उस भवन का मकान मालिक हो गया । मात्र यह तथ्य कि वह किराए का संदाय कर रहा था, जिसका संग्रहण प्रत्यर्थी द्वारा न्यास की तरफ से किया जा रहा था, का यह अर्थ नहीं है कि उसको विवादित भवन का स्वामी स्वीकार कर लिया गया था । न्यायालय ने आगे कहा कि धारा 21 के प्रयोजनार्थ इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि कोई एटार्नी या अभिकर्ता, जो परिभाषा खंड को दृष्टि में रखते हुए मकान मालिक हो जाता है, किराएदार के निष्कासन के लिए इस आधार पर आवेदन फाइल कर सकता है कि एटार्नी या अभिकर्ता की आवश्यकता वास्तविक है । धारा 21 के अधीन जिस बात पर विचार किया जाना चाहिए, वह मकान मालिक-स्वामी की आवश्यकता है । यह संभव है कि मकान मालिक को भवन की आवश्यकता अपने अभिकर्ता या एटार्नी के लिए हो, किंतु यह कहना भिन्न बात होगी कि अधिनियम एटार्नी या अभिकर्ता को किराएदारी वाले भाग को निर्मुक्त किए जाने के लिए इस आधार पर आवेदन फाइल करने का कोई अधिकार प्रदान करता है कि उनको अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए भवन की आवश्यकता है ।

48. अगला विनिश्चय **प्रेम चंद्र पाचित** बनाम **द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, सहारनपुर और अन्य** [1978 इलाहाबाद रेंट केसेज 394] वाला मामला है, जिसमें न्यायमूर्ति के. सी. अग्रवाल द्वारा विनिश्चय दिया गया । इस मामले में प्रेम चंद्र पाचित भवन का स्वामी था । उसका दावा था कि उसने भवन को भ्रमण आवास

के रूप में प्रयोग करने के लिए ठेका प्राप्त कर लिया है । उसने भवन में किराएदार रामलाल नामक एक व्यक्ति के निष्कासन के लिए 1972 के अधिनियम की धारा 21(1)(क) के अधीन आवेदन फाइल किया । इस संबंध में यह आक्षेप उठाया गया कि प्रेम चंद्र पाचित भवन का स्वामी न होने के कारण किराएदार भी नहीं था और इसलिए उसको 1972 के अधिनियम की धारा 21(1)(क) के अधीन आवेदन फाइल करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था । न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि श्री प्रेम चंद्र पाचित ने मात्र प्रबंधक होने के नाते धारा 21(1)(क) की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं किया, जिसके अधीन यह अनुध्यात है कि इस प्रकार का आवेदन केवल मकान मालिक द्वारा फाइल किया जा सकता है, जिसको अपने स्वयं के लिए या अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए भवन की आवश्यकता होती है । वह (प्रेम चंद्र पाचित) मकान मालिक अर्थात् भवन के स्वामी के परिवार का सदस्य नहीं था ।

49. तत्पश्चात्, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **एम. एम. कासिम** बनाम **मनोहर लाल शर्मा और अन्य** [1981(3) एस. सी. सी. 26] वाले मामले में दिया गया विनिश्चय है, जो तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा दिया गया । इस मामले में विवाद 1947 के बिहार भवन (पट्टा, किराया और निष्कासन) नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत हुआ था । इस मामले में बिहार के कानून की धारा 2(घ) में समाविष्ट 'मकान मालिक' अभिव्यक्ति की परिभाषा 1972 के अधिनियम की धारा 3(त्र) के लगभग समरूप है । धारा 21 के लगभग समरूप उपबंध उस अधिनियम की धारा 11 में समाविष्ट था । बिहार और उत्तर प्रदेश के किराया कानूनों में जिस अंतर को चिह्नित किया गया है, वह धारा 11(1)(ग) में एक स्पष्टीकरण का है, जो कहता है कि इस खंड में 'मकान मालिक' शब्द में धारा 2 के खंड (घ) में निर्दिष्ट अभिकर्ता सम्मिलित नहीं होगा । पूर्वोक्त स्पष्टीकरण को निर्दिष्ट किए जाने के बावजूद माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जिस प्रश्न पर विचार किया जाना था, वह यह था कि 'कब्जा' शब्द का आशय

किसी ऐसे व्यक्ति से होगा जो भवन में अधिकारपूर्वक कब्जा करने की हैसियत रखता हो और वह कोई ऐसा व्यक्ति हो जो भवन का स्वामी हो । सुसंगत मताभिव्यक्ति को नीचे उद्धृत किया गया है :-

'अब हम माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **एम. एम. कासिम बनाम मनोहर लाल शर्मा और अन्य** [(1981)3 एस. सी. सी. 36] वाले मामले में तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा दिए गए निर्णय पर विचार करते हैं । यह मामला 1947 के बिहार भवन (पट्टा, किराया और निष्कासन) नियंत्रण अधिनियम से उद्भूत हुआ । इस मामले में बिहार कानून की धारा 2(घ) में समाविष्ट 'मकान मालिक' अभिव्यक्ति की परिभाषा 1972 के अधिनियम की धारा 3(त्र) के लगभग समरूप है । यह उपबंध, जो लगभग धारा 21 के उपबंध के समरूप है, बिहार कानून की धारा 11 में समाविष्ट है । बिहार और उत्तर प्रदेश के किराया कानूनों में जो भिन्नता चिह्नित की गई, वह धारा 11(1)(ग) में स्पष्टीकरण के संबंध में है, जो यह कहता है कि इस खंड में 'मकान मालिक' शब्द में धारा 2 के खंड(घ) में निर्दिष्ट अभिकर्ता सम्मिलित नहीं होगा । माननीय उच्चतम न्यायालय पूर्वोक्त स्पष्टीकरण को निर्दिष्ट किए जाने के बावजूद इस बाबत चिंतित था कि 'कब्जा' शब्द का अर्थ यह होगा कि कोई व्यक्ति, जो अधिकारपूर्वक भवन पर कब्जा रखने की हैसियत रखता है और यह वह व्यक्ति होना चाहिए जो भवन का स्वामी है । सुसंगत मताभिव्यक्ति को निम्न प्रकार उद्धृत किया जाता है :-

'अत: कोई व्यक्ति, जो धारा 11(1)(ग) में अधिनियमित समर्थकारी उपबंध का लाभ लेते हुए पट्टागत भवन के संबंध में अपनी युक्तिसंगत आवश्यकता के आधार पर कब्जे का दावा करता है, तो उसको यह दर्शित करना होगा कि वह इस भाव में मकान मालिक है कि वह भवन का स्वामी है और उसको उस भवन को अपने स्वंय के अधिकार के अंतर्गत

कब्जे में रखने का अधिकार है । यद्यपि मात्र किराए के संग्रहणकर्ता को किराएदार की अभिव्यक्ति में व्यापक भाव में सम्मिलित किया जा सकता है, फिर भी उसको धारा 11(1)(ग) के प्रयोजनार्थ मकान मालिक नहीं माना जा सकता । यह उपधारा के साथ संलग्न स्पष्टीकरण से प्रकटत: स्पष्ट हो जाता है । विधानमंडल का प्रकटत: आशय धारा 11(1)(ग) के प्रयोजनार्थ किराएदार अभिव्यक्ति के अर्थ को निर्बंधित किए जाने के द्वारा अपने आशय को स्पष्ट करना था । अर्थात् यह कि मकान मालिक अकेले ही अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता के आधार पर निष्कासन की ईप्सा कर सकता है, यदि वह ऐसा व्यक्ति है जिसे संपूर्ण संसार के विरुद्ध भवन का कब्जा अपने पास अपने स्वयमं के लिए रखने का अधिकार है और किसी भी ऐसे व्यक्ति को विवर्जित करने का अधिकार है जो उसके स्वत्व से निम्नतर स्वत्व धारण करता है । ऐसा कोई भी मकान मालिक, जो भवन का स्वामी है और जिसको अपने स्वयं के अधिकार के अंतर्गत भवन पर कब्जा रखने का अधिकार है, अपने स्वयं के उपयोग के लिए भवन के कब्जे की ईप्सा कर सकता है । इस धारा के पश्चात्वर्ती भाग के अधीन ऐसी स्थिति के बारे में परिकल्पित किया गया है कि जहां मकान मालिक किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए किसी भवन का कब्जा धारण करता है, किंतु उस मामले में मकान मालिक न केवल अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए किराएदार के निष्कासन की ईप्सा कर सकता है, बल्कि उस व्यक्ति की व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए भी किराएदार के निष्कासन की ईप्सा कर सकता है, जिसके लाभ के लिए वह भवन का कब्जा धारण करता है । द्वितीय खंड न्यासियों और न्यासहितग्राही के बारे में अनुध्यात करता है, किंतु जब

मामला धारा 11 की उपधारा (1) के उपखंड (ग) के प्रथम भाग द्वारा शासित है, तो व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए कब्जे का दावा करने वाला व्यक्ति ऐसा मकान मालिक होना चाहिए, जो अपने स्वयं के अधिभोग के लिए कब्जा चाहता है और इसका अर्थ यह होगा कि वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसे संपूर्ण संसार के विरुद्ध भवन के अधिभोग में बने रहने का अधिकार प्राप्त हो और न कि वह व्यक्ति, जिसका उस संपत्ति में कोई हित विद्यमान नहीं है और जो मात्र किराए का संग्रहण करता है, जैसेकि कोई अभिकर्ता, निष्पादक, प्रशासक या संपत्ति का रिसीवर । इसलिए, धारा 11(1)(ग) के प्रयोजनों के लिए मकान मालिक अभिव्यक्ति का आशय ऐसे व्यक्ति से है, जो भवन का स्वामी है और जिसे प्रत्येक अन्य व्यक्ति के अपवर्जन में भवन के अधिभोग और वास्तविक कब्जे में बने रहने का अधिकार है । यह वह व्यक्ति होता है, जो किसी किराएदार के इस आधार पर निष्कासन की ईप्सा कर सकता है कि उसे अपने स्वयं के अधिभोग के लिए सद्भाविक रूप से भवन का कब्जा अपेक्षित है । किराए के संग्रहणकर्ता या अभिकर्ता को अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए भवन के अधिभोग में बने रहने का अधिकार नहीं होता । चाहे वह व्यक्ति पट्टाधारक ही क्यों न हो और इसलिए कोई मकान मालिक अभिव्यक्ति मकान मालिक की विस्तारित सम्मिलित परिभाषा के अंतर्गत इस आधार पर किराएदार के निष्कासन की ईप्सा नहीं कर सकता कि वह व्यक्तिगत रूप से भवन का अधिभोग चाहता है । वह वास्तविक स्वामी के विरुद्ध इस प्रकार के किसी अधिकार का दावा नहीं कर सकता और इसका आवश्यक रूप से परिणाम यह होगा कि वह इस आधार पर किराएदार के निष्कासन की ईप्सा नहीं कर सकता कि

> वह परिसर का कब्जा अपने स्वयं के अधिभोग के लिए चाहता है । यही एकमात्र तर्कसंगत निर्वचन हो सकता है, जो कोई भी व्यक्ति धारा 11(1) के उपखंड (ग) के तत्वों के संबंध में प्रस्तुत कर सकता है : 'जहां कोई भवन युक्तियुक्त और सद्भाविक रूप से मकान मालिक द्वारा अपने स्वयं के अधिभोग के लिए अपेक्षित है...' यह उपधारणा करते हुए कि 'मकान मालिक' अभिव्यक्ति को उसी अर्थ में समझा जाना चाहिए, जैसाकि उसको परिभाषा खंड द्वारा स्पष्ट किया गया है, यहां तक कि दिवाला कार्यवाहियों में न्यायालय द्वारा नियुक्त संपत्ति का किराया संग्रहणकर्ता या रिसीवर यह अभिकथन करते हुए वह किराएदार को निष्कासित करने के समर्थ होगा कि उसको भवन की अपने स्वयं के अधिभोग के लिए आवश्यकता है, एक ऐसा अधिकार है जिसका दावा वह वास्तविक स्वामी के विरुद्ध नहीं कर सकता था । इसलिए, खंड (घ) का स्पष्टीकरण, जो 'मकान मालिक' अभिव्यक्ति के व्यापक परिमाण में कटौती करता है, से बिना किसी त्रुटि के यह दर्शित होता है कि खंड (ग) के प्रयोजनार्थ वह मकान मालिक, जो इस भाव में, जिसमें 'स्वामी' शब्द को समझा जाता है, का प्रत्येक के अपर्वजन में अधिकार के रूप में दावा कर सकता है, जो मकान के अधिभोग के संबंध में अपने स्वयं के अधिभोग के लिए किराएदार को निष्कासित करने का हकदार होगा ।'
>
> <u>अधोरेखांकन पर बल दिया गया ।</u>

50. इस मामले में, न्यायालय ने जिस स्पष्टीकरण को पढ़ा, वह मात्र स्पष्टीकरण के बाबत है, किंतु जो सैद्धांतिक रूप से यह अभिनिर्धारित करता है कि निष्कासन कार्यवाही मकान मालिक, जो संपत्ति का स्वामी है, द्वारा आरंभ की जानी चाहिए ।

51. तत्पश्चात् **श्रीमती सुघरा बेगम** बनाम **श्री राम और अन्य** [1983(2) इलाहाबाद रेंट केसेस, 143] वाले मामले में विद्वान् एकल न्यायाधीश (माननीय न्यायमूर्ति के. सी. अग्रवाल) द्वारा दिए गए विनिश्चय पर विचार किया जाता है । इस मामले में माननीय न्यायालय ने **एम. एम. कासीम** (उपरोक्त) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए विनिश्चय का अवलंब लेते हुए निर्णय के पैरा 8 और 10 में यह मताभिव्यक्ति की :-

> '8. ..... धारा 21 के अधीन मकान मालिक स्वयं या उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा अधिभोग के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है । यह तथ्य कि केवल वही व्यक्ति, जो अधिभोग का हकदार है, आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, से यह उपदर्शित होता है कि वह व्यक्ति जो अधिभोग का या अपने स्वयं के अधिकार के अंतर्गत अधिभोग का हकदार नहीं है, धारा 21 के अधीन निर्मुक्ति के लिए आवेदन नहीं कर सकता । भवन के स्वामी का अभिकर्ता या एटोर्नी उस मकान का किराया वसूल सकता है, जिसके संबंध में उसको स्वामी द्वारा ऐसा करने की शक्ति प्रदत्त है और उसको इस प्रयोजनार्थ धारा 3 में परिभाषित उस अभिव्यक्ति के अर्थान्तर्गत मकान मालिक माना जा सकता है, किंतु ऐसा व्यक्ति धारा 21 के अधीन आवेदन प्रस्तुत करने का हकदार नहीं होगा ।
>
> 10. उस व्यक्ति को धारा 21(1) के अधीन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए हकदार होने हेतु अपने स्वयं के अधिकार के अंतर्गत भवन के अधिभोग का हकदार होना चाहिए । 'परिवार के सदस्यों या स्वयं के लिए अधिभोग' अभिव्यक्ति का प्रयोग विधानमंडल द्वारा जानबूझकर इस आशय को प्रदर्शित किए जाने के प्रयोजनार्थ किया गया है कि केवल मकान मालिक ही अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता के आधार पर निष्कासन की ईप्सा कर सकता है, यदि वह ऐसा

व्यक्ति है, जिसको संपूर्ण संसार के विरुद्ध भवन के अधिभोग का अधिकार प्राप्त है ।'

अधोरेखांकन पर बल दिया गया ।

52. **नसीरुद्दीन और अन्य** बनाम **नियत प्राधिकार, मेरठ और अन्य** [1988(1) इलाहाबाद रेंट केसेस 517.] वाले मामले में माननीय न्यायमूर्ति आर. पी. सिंह ने निर्णय के पैरा 5 में यह मत भी व्यक्त किया, 'अत: किसी मकान के स्वामी का कोई अभिकर्ता या एटोर्नी मकान का किराया वसूल कर सकता है किंतु ऐसे व्यक्ति को धारा 21(1) के अधीन आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा ।'

53. उन व्यक्तियों, जिनके लाभार्थ ऐसा कोई आवेदन फाइल किया गया है, की सद्भाविक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए धारा 21(1)(क) में उपरोक्त वाक्यांश में परिवार की परिभाषा को कुछ निर्णयज विधियों में विस्तार दिया गया अर्थात् **मिश्री लाल** बनाम **विशेष न्यायाधीश (अपर जिला न्यायाधीश), गोरखपुर और अन्य** [1988 (2) इलाहाबाद रेंट केसेस 430] माननीय न्यायमूर्ति आर. के. गुलाटी ने उपरोक्त वाक्यांश को मकान मालिक के घरेलू सेवकों तक विस्तारित कर दिया । न्यायालय ने कहा कि यद्यपि तकनीकी रूप से अधिनियम की धारा 3(छ) के अधीन परिवार की परिभाषा का समाधान नहीं कर सकते, फिर भी इस परिभाषा में भावना को सम्मिलित किया जा सकता है । इसी प्रकार से इस परिभाषा को सास, बहू, नाती-पोते इत्यादि तक भी विस्तारित किया गया ; किंतु 'मकान मालिक' शब्द के अर्थ के संदर्भ में, जो कार्यवाही को आरंभ कर सकता है, यह स्थिति कुछ जटिल ही बनी रही ।

54. श्रीमती वेद रानी दीवान और एक अन्य **बनाम** अष्टम अपर जिला न्यायाधीश, गाजियाबाद और अन्य [1996 (2) इलाहाबाद रेंट केसेज 14] वाले मामले में माननीय न्यायमूर्ति सुधीर नारायण ने निर्णय के पैरा 7 में यह मताभिव्यक्ति की –

"7..... धारा 21(1)(क) के संदर्भ में 'मकान मालिक' शब्द का आशय ऐसे व्यक्ति से होगा, जो न केवल किराया वसूल करने का हकदार है, बल्कि जिसको विधि के अंतर्गत अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए अधिभोग का भी अधिकार है और केवल वही व्यक्ति अधिनियम की धारा 21(1)(क) के अधीन आवेदन फाइल कर सकता है ।"

55. फकरुद्दीन खान [(मृतक) द्वारा विधिक प्रतिनिधि सलमा खान (विधवा) और सलमा खान (पुत्र)] **बनाम** दशम अपर जिला न्यायाधीश, कानपुर और अन्य [1998 (1) इलाहाबाद रेंट केसेज 449] वाले मामले में माननीय न्यायमूर्ति एस. आर. सिंह ने **एस. एम. कासिम** (उपरोक्त) वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए विनिश्चय का अनुसरण करते हुए पैरा 8 में अभिनिर्धारित किया –

"अधिनियम की धारा (1-क) में 'मकान मालिक' शब्द से आशय भवन का स्वामी होने के भाव में है ।"

56. फुरकान अहमद **उर्फ** माना और एक अन्य **बनाम** सप्तम अपर जिला न्यायाधीश और अन्य [2005 (2) इलाहाबाद वीकली केसेज 1161] वाले मामले में माननीय न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल ने भी **लक्ष्मी शंकर मिश्रा** (उपरोक्त) **श्रीमती सुधरा बेगम** (उपरोक्त); और **नसीरुद्दीन** (उपरोक्त) वाले मामलों में दिए गए विनिश्चयों का अनुसरण करते हुए निर्णय के पैरा 10 में अभिनिर्धारित किया –

"जैसाकि निवेदन याची के विद्वान् काउंसेल द्वारा किया गया है, उपरोक्त प्रतिपादना के संबंध में कोई विवाद नहीं है। वह व्यक्ति, जिसको मकान मालिक की तरफ से किराए की वसूली के लिए प्राधिकृत किया गया है, मकान मालिक हो जाता है, जैसाकि अधिनियम की धारा 3(त्र) के अधीन अनुध्यात है । किंतु उक्त अभिकर्ता अधिनियम की धारा 3(त्र) के अधीन अपनी स्वयं की या अपने कुटुंब के सदस्यों की आवश्यकता के लिए निर्मुक्ति आवेदन फाइल नहीं कर सकता,

चूंकि वह प्रश्नगत परिसर का स्वामी नहीं है । अधिनियम की धारा 21(1) के अधीन यथाउपबंधित 'स्वयं या कुटुंब के सदस्यों के अधिभोग' अभिव्यक्ति का आशय यह है कि व्यक्ति अपने स्वयं के अधिकार में परिसर के अधिभोग का हकदार होना चाहिए । निश्चित रूप से अभिकर्ता अपने स्वयं के अधिकार के अंतर्गत परिसर के अधिभोग के लिए प्राधिकृत नहीं है । इसलिए, अभिकर्ता अपनी स्वयं की निजी आवश्यकता के लिए परिसर को निर्मुक्त कराए जाने के प्रयोजनार्थ आवेदन फाइल नहीं कर सकता ।"

57. मैंने उदय सिंह भानुवंशी **बनाम** कुंज बिहारी तिवारी [2002 (1) इलाहाबाद वीकली केसेज 647] वाले मामले में एक असंगत टिप्पण पाया, जिसमें न्यायमूर्ति ए. के. योग ने मताभिव्यक्ति की कि जब विधानमंडल ने स्वयं ही धारा 3(त्र) में मकान मालिक शब्द को स्वामी तक सीमित नहीं रखा, तो 'स्वामित्व' शब्द को 'मकान मालिक' अभिव्यक्ति के संदर्भ में पढ़े जाने का कोई कारण नहीं है । तथापि, माननीय न्यायाधीशों ने यह मताभिव्यक्ति करते हुए आगे स्थिति को स्पष्ट किया कि इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित मामले में निचले न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में एक यह निष्कर्ष समाविष्ट है कि कुंज बिहारी तिवारी 'मकान मालिक' के रूप में किराए की वसूली के लिए प्राधिकृत था । इस निष्कर्ष के सम्बंध में कि वह मकान मालिक की भांति किराए की वसूली के लिए प्राधिकृत था, कोई चुनौती नहीं दी गई थी । न्यायालय ने मताभिव्यक्ति की कि भवन के एक भाग के मकान मालिक के रूप में उसकी हैसियत को पहले चुनौती नहीं दी गई थी और इसलिए मकान मालिक के रूप में उसकी हैसियत को इस न्यायालय के समक्ष सर्वप्रथम चुनौती देने की अनुज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती । इस प्रकार से इस न्यायालय ने **सुधरा बेगम** (उपरोक्त) ; **श्रीमती वेद रानी दीवान** (उपरोक्त) और **एम. एम. कासिम** (उपरोक्त) वाले मामलों में दिए गए पूर्ववर्ती विनिश्चयों को विभेदित किया । निर्णय का पैरा 20, जिसके द्वारा उपरोक्त मताभिव्यक्तियों को स्पष्ट किया गया, निम्नलिखित है –

"20. इस न्यायालय ने **श्रीमती सुधरा बेगम** (उपरोक्त), **श्रीमती वेद रानी दीवान** (उपरोक्त) और **एम. एम. कासिम** (उपरोक्त) वाले मामलों में अभिनिर्धारित किया कि कोई अभिकर्ता या ऐसा ही कोई अन्य व्यक्ति अधिनियम की धारा 21(1)(क) के अधीन निर्मुक्ति आवेदन फाइल नहीं कर सकता । उपरोक्त मामलों के तथ्य हमारे समक्ष प्रस्तुत मामले के तथ्यों से सर्वथा विभेदनीय हैं । हमारे समक्ष उपस्थित मामले में कुंज बिहारी तिवारी, जिसने निर्मुक्ति आवेदन फाइल किया, मकान मालिक के रूप में किराया वसूल करने के लिए प्राधिकृत था और इसलिए भवन के एक भाग के स्वामी/मकान मालिक के रूप में उसकी हैसियत जैसीकि ऊपर पहले ही चर्चा की जा चुकी है, को वर्तमान कार्यवाहियों में चुनौती नहीं दी जा सकती या उन पर आक्रमण नहीं किया जा सकता ।"

58. धारा 20 के प्रयोजनार्थ भी यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है इस बात का उल्लेख विनिर्दिष्ट रूप से नहीं किया गया है, कि वाद कौन संस्थित करा सकता है, किंतु विधायी योजना के सावधानीपूर्वक परिशीलन से यह प्रतीत नहीं होता कि निष्कासन के लिए वाद मात्र किसी अभिकर्ता या अटार्नी द्वारा फाइल किया जा सकता है, चाहे वास्तविक स्वामी/मकान मालिक कार्यवाहियों में सम्मिलित न हुआ हो । यदि भवन के स्वामी द्वारा किसी किराएदार को भवन में प्रवेश दिया गया है, तो इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि उसकी किराएदारी को किसी अभिकर्ता या अटार्नी द्वारा समाप्त किया जा सकता है, जब तक कि भवन के स्वामी द्वारा इस बात की अनुज्ञा प्रदान नहीं कर दी जाती ।

59. पुनः, जब 'मकान मालिक' की परिभाषा के अंतर्गत एक से अधिक व्यक्ति आते हैं, तो मकान मालिक ही वह व्यक्ति होता है, जो संपत्ति पर उत्तम अधिकार और स्वत्व रखता है और अन्य सभी को अपवर्जित करता है । धारा 3(च) को आकर्षित किए जाने के प्रयोजनार्थ किराए के निष्कासन की ईप्सा करने वाले वादी को

यह दर्शित करना होगा कि 'मकान मालिक' के स्वत्व से इनकार किया गया है । यहां पर 'स्वत्व' शब्द मकान मालिक को मात्र किराए के संग्रहण का प्राधिकार ही प्रदान नहीं करता, बल्कि स्वत्व से आशय उससे कुछ अधिक है । इसी कारणवश और इस बात को भलीभांति जानते हुए कि याची मकान मालिक की हैसियत प्राप्त किए बिना और विवादित संपत्ति पर स्वामित्व का सादृश्य रखे बिना सफल नहीं होगा, फिर भी याची के विद्वान् काउंसेल ने भवन के स्वामी के रूप में अपनी हैसियत अपने दावे को प्रस्तुत करने की ईप्सा की । किराए पर दिए गए भवन के स्वामी और मकान मालिक के रूप में उसकी हैसियत साधारणत: विक्रय करार, मुख्तारनामे और 1991 में इलाहाबाद आयुक्त द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित फ्री होल्ड विलेख पर आधारित है ।

60. याची के विद्वान् काउंसेल ने दलील दी कि 'स्वामित्व' की अवधारणा को इस मामले में लागू नहीं किया जाना चाहिए, चूंकि 'मकान मालिक' की परिभाषा स्वयमेव ही स्वामित्व तक विस्तारित है और इसकी परिधि के भीतर अभिकर्ता या अटार्नी भी सम्मिलित हैं ।

61. जिस प्रकार से इस मामले में निवेदन किए गए, मैं उनको स्वीकार कर पाने में असमर्थ हूं । परिभाषा खंड में समाविष्ट 'मकान मालिक' की परिभाषा उस संदर्भ में पढ़ी जानी चाहिए, जिसकी चर्चा ऊपर की गई है । जब किसी को किराए के संग्रहण के लिए प्राधिकृत किया जाता है, तो वह मात्र किराए का संग्रहणकर्ता होता है । यद्यपि मकान मालिक/स्वामी द्वारा किराएदार को जारी किए गए अनुदेशों को दृष्टि में रखते हुए किराए का संदाय उसी को किया जाता है और किराए का संदाय ऐसे ही अभिकर्ता या अटार्नी को किया जाना चाहिए और इस अर्थ में अभिकर्ता या अटार्नी को भी मकान मालिक की परिभाषा के भीतर सम्मिलित तथा आच्छादित किया जाना चाहिए, किंतु उसकी हैसियत आपातिक स्थिति वाली होती है और मकान मालिक/ स्वामी द्वारा किराएदार को दिए गए अनुदेशों में परिवर्तन को दृष्टि

में रखते हुए किराए का संदाय अभिकर्ता या अटार्नी को भी किया जाना चाहिए और उस भाव में अभिकर्ता या अटार्नी को 'मकान मालिक' की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित या आच्छादित किया जा सकता है, किंतु उसकी हैसियत आपवादिक होती है और वह मकान मालिक/स्वामी द्वारा किराएदार को अनुदेशों में परिवर्तन के साथ-साथ उस हैसियत को किसी भी समयबिंदु पर खो देता है/सकता है ।

67. उपरोक्त विनिश्चय अब इस मत की पुष्टि करते हैं कि कोई व्यक्ति 'मकान मालिक' शब्द के अंतर्गत कब आएगा, जिस पर कानूनी उपबंधों और संबद्ध अधिनियम के अन्य उपबंधों के संदर्भ में और हमारे समक्ष उपस्थित मामले के सुसंगत तथ्यों के प्रकाश में विचार किया जाना चाहिए । इस संबंध में किसी सर्वव्यापी सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता ।

31. 1972 के अधिनियम की धारा 16(1)(ख) उपबंधित करती है कि जिला मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए किसी संपूर्ण भवन या उसके किसी भाग या उसके साथ संलग्न किसी भूमि को मकान मालिक के पक्ष में आदेश द्वारा निर्मुक्त कर सकेगा । धारा 16 की उपधारा (2), जो कि वर्तमान मामले के प्रयोजनार्थ सुसंगत है, उपबंधित करती है कि उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कोई निर्मुक्ति आदेश पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि जिला मजिस्ट्रेट इस बाबत संतुष्ट नहीं हो जाता कि किसी भवन या उसका किसी भाग या उसके साथ संलग्न भूमि मकान मालिक द्वारा अपने स्वयं या उसके परिवार के किसी सदस्य या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके लाभ के लिए उसके द्वारा आवासिक प्रयोजनों या किसी वृत्ति, व्यापार या पेशे से संबंधित प्रयोजनों के लिए अभिनिर्धारित की गई है, के अधिभोग के लिए अपेक्षित है । याची ने स्वयं को विवादित भवन के स्वामी का अभिकर्ता या केयरटेकर अभिकथित करते हुए अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए 1972 के अधिनियम की धारा 16(1)(ख) के अधीन निर्मुक्ति आवेदन फाइल किया था, जबकि धारा 16 की उपधारा (2) किसी ऐसे

निर्मुक्ति आदेश के लिए उपबंधित करती है, जब किसी भवन या उसके किसी भाग या उसके साथ संलग्न किसी भूमि को मकान मालिक द्वारा स्वयं या उसके परिवार के किसी सदस्य के अधिभोग के लिए अपेक्षित है या किसी ऐसे व्यक्ति, जिसके लाभ के लिए उसके द्वारा आवासिक प्रयोजनों या किसी वृत्ति, व्यापार या पेशे के प्रयोजनार्थ अभिनिर्धारित किया गया है । अतः, याची द्वारा धारा 16(1)(ख) के प्रयोजनार्थ अभिकर्ता के रूप में अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए विवादित भाग की निर्मुक्ति के प्रयोजनार्थ आवेदन फाइल किए जाने के आधार पर 1972 के अधिनियम की धारा 3(त्र) के अधीन मकान मालिक नहीं हो जाता । स्वामियों-प्रत्यर्थियों ने भी निर्मुक्ति आवेदन फाइल किया था जिसको आक्षेपित आदेश द्वारा मंजूर कर लिया गया था । याची अधिक से अधिक स्वामियों का केयरटेकर या अभिकर्ता होने के नाते भवन के स्वामियों-मकान मालिकों के विरुद्ध स्वयं के मकान मालिक होने का दावा नहीं कर सकता । वह अपने स्वयं के अधिकार में विवादित भवन के अधिभोग का और भवन के स्वामियों के रूप में अपने पक्ष में भवन को निर्मुक्त कराने का हकदार नहीं है । 1972 के अधिनियम की धारा 3(त्र) में मकान मालिक की परिभाषा ऊपरवर्णित संदर्भ में पढ़ी जानी चाहिए ।

32. इसलिए, किराया नियंत्रण और निष्कासन अधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट, वाराणसी ने 1985 के वाद संख्या 3 में पारित तारीख 22 जुलाई, 1988 के आक्षेपित आदेश द्वारा याची के निर्मुक्ति आवेदन को अस्वीकृत करके और प्रत्यर्थियों-स्वामियों और मकान मालिकों के पक्ष में भवन को निर्मुक्त करके विधि की दृष्टि में कोई त्रुटि कारित नहीं की । वाराणसी के त्रयोदश अपर जिला न्यायाधीश ने भी याची द्वारा फाइल किए गए 1988 के किराया पुनरीक्षण संख्या 150 (**डा. विश्वनाथ शर्मा** बनाम **किराया नियंत्रण और निष्कासन अधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट, वाराणसी और एक अन्य**) को खारिज करके विधि की दृष्टि में कोई त्रुटि कारित नहीं की । आक्षेपित आदेश और निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध सुसंगत साक्षियों के विचारणा पर आधारित हैं, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करते हुए मध्यक्षेप नहीं किया जा सकता ।

निष्कर्ष

33. इस निर्णय के ऊपर वर्णित पैराग्राफों द्वारा निकाले गए निष्कर्ष संक्षेप में इस प्रकार हैं :–

(i) कोई अभिकर्ता या तो अपने स्वामी से या अपने स्वामी के लिए संपत्ति या धन प्राप्त करता है और वह उस संपत्ति में स्वयं के लिए कोई हित अभिप्राप्त नहीं करता है । अभिकर्ता अपने स्वामी की संपत्ति को केवल स्वामी की तरफ से धारण करता है । वह उस संपत्ति में स्वयं के लिए कोई हित अर्जित नहीं करता । वह संपत्ति में अपने स्वामी के स्वत्व से इनकार नहीं कर सकता । साथ ही वह उस संपत्ति को किसी अन्य प्रकार या प्रयोग में भी परिवर्तित नहीं कर सकता । उसका कब्जा समस्त प्रयोजनों के लिए संपत्ति के स्वामी का कब्जा होता है । अभिकर्ता का स्वयं का कोई कब्जा नहीं होता । केयरटेकर का कब्जा भी स्वामी का कब्जा होता है । अभिकर्ता का कब्जा स्वामी का कब्जा होता है और उसको न्यासीय संबंध को ध्यान में रखते हुए अपने स्वयं के कब्जे का दावा करने की अनुज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती । अभिकर्ता अपने स्वामी का विश्वासपात्र व्यक्ति होता है । इसलिए, अभिकर्ता के रूप में याची के पिता ने यह उपधारणा करते हुए कि वे अभिकर्ता या केयरटेकर हैं, भवन की स्वामिनी दिवानिनी स्वर्गीय विद्यावती बद्रीनाथ की विवादित संपत्ति में कोई हित अर्जित नहीं किया है और उसको न्यासीय संबंध को दृष्टि में रखते हुए अपने स्वयं के कब्जे का दावा करने की अनुज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती । उसका कब्जा समस्त प्रयोजनों के लिए स्वामी का कब्जा है ।

(ii) धारा 3 के परिभाषा खंडों के साथ अग्रसर होते हुए 'जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न करे' वाक्यांश से यह उपदर्शित होता है कि न्यायालय को परिभाषा खंड का अर्थान्वयन, निर्वचन और उपयोजन करते हुए विधायी आज्ञा को ध्यान में रखना होता है और इस बात पर विचार करना होता है कि क्या संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित है । जब परिभाषा 'जब

तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न करे' वाक्यांश के साथ अग्रसर होती है, तो इसका अर्थ यह होता है कि सामान्यत: वह परिभाषा, जैसी कि धारा में उल्लिखित है, लागू की जानी चाहिए और उसको प्रभावी किया जाना चाहिए किंतु उस धारा में उल्लिखित बातों से प्रस्थान भी किया जा सकता है, यदि संदर्भ अपेक्षित करे ।

(iii) 'मकान मालिक' की परिभाषा इस भाव में सम्मिलित परिभाषा है कि यह 'अभिकर्ता' या 'अटार्नी' को भी विस्तारित होती है । इसलिए यदि मकान मालिक (स्वामी), जिसको किराया संदेय है, ने किसी अभिकर्ता या अटार्नी को किराया के संग्रहण के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत कर दिया, तो जहां तक किराएदार का संबंध है, वह अभिकर्ता या अटार्नी भी 1972 के अधिनियम की धारा 3(त्र) के अधीन मकान मालिक की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित होगा । इसलिए, जहां तक किराएदार का संबंध है, अभिकर्ता या अटार्नी, जो धारा 3(त्र) के अधीन 'मकान मालिक' की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित होता है, वह व्यक्ति होगा जो किसी विशिष्ट रीति में किसी कार्य को करने या न करने के लिए या कोई कार्रवाई करने या न करने के लिए, जैसाकि स्वामी द्वारा प्राधिकृत किया गया है, सम्पत्ति के वास्तविक स्वामी के प्रतिनिधित्व के प्रयोजनार्थ अभिकर्ता या अटार्नी का प्राधिकार धारण करता है । अटार्नी या अभिकर्ता स्वमेव ही संपत्ति का स्वामी होने का दावा नहीं कर सकता और तत्समय यह दावा नहीं कर सकता कि वह 'मकान मालिक' की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित है ।

(iv) विहित प्राधिकारी सीमित अधिकारिता वाला अधिकरण है, जिसे अधिनियम के अंतर्गत उल्लिखित धारा 21 या अन्य उपबंधों के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदनों को निर्णीत किए जाने के प्रयोजनार्थ 1972 के उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए पर दिया जाना, किराया और निष्कासन) अधिनियम के अंतर्गत

गठित किया गया है । इस अधिकरण को किसी सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा पारित किसी डिक्री की शुद्धता या अन्यथा का परीक्षण करने की अधिकारिता कदापि प्राप्त नहीं होती । अधिकरण को इस आधार पर अग्रसर होना होता है कि किसी सिविल न्यायालय की डिक्री विधिमान्य डिक्री होती है, जिसके आधार पर पक्षों के अधिकारों को मान्यता प्रदान की जानी होती है । खेमचंद **बनाम** चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश [1989 (2) इलाहाबाद रेंट केसेस 344] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी पक्ष को यह अधिकार नहीं है कि वह विहित प्राधिकारी के समक्ष किसी सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की शुद्धता को चुनौती दे और जब तक डिक्री अपास्त नहीं कर दी जाती, उसको शुद्ध डिक्री के रूप में स्वीकार किया जाना होता है । तथ्यों के वर्तमान समुच्चय को ध्यान में रखते हुए 1961 के मूल वाद संख्या 35 (श्रीमती विद्यावती देवी **बनाम** रघुनाथ मिश्रा) वाले मामले में तारीख 17 मई, 1988 को रघुनाथ मिश्रा (याची के पिता) के निष्कासन के लिए निर्णय और डिक्री पारित की जा चुकी है और इस डिक्री के विरुद्ध याची द्वारा 1988 की सिविल अपील संख्या 600 (विश्वनाथ मिश्रा **बनाम** नरेन्द्रजीत सिंह) फाइल की गई, जिसको वाराणसी के चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश द्वारा तारीख 30 मई, 1998 के निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसके विरुद्ध याची ने 1998 की द्वितीय अपील संख्या 1196 (विश्वनाथ मिश्रा **बनाम** रतनशंकर चौरसिया) फाइल की, जो अभिकथित रूप से लंबित है । वाराणसी के सिविल न्यायाधीश न्यायालय द्वारा 1961 के मूल वाद संख्या 35 में तारीख 17 मई, 1988 के निर्णय और डिक्री को स्वीकृत रूप से न तो अपास्त किया गया है और न हीं उपांतरित ।

(v) 1972 के अधिनियम की धारा 16(1)(ख) उपबंधित करती है कि जिला मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए आदेश द्वारा मकान मालिक के पक्ष में संपूर्ण भवन या उसके किसी भाग या उसके साथ संलग्न किसी

भूमि को निर्मुक्त कर सकता है । धारा 16 की उपधारा (2) वर्तमान मामले के प्रयोजनार्थ सुसंगत है, जो यह उपबंधित करती है कि उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कोई भी निर्मुक्ति आदेश पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि जिला मजिस्ट्रेट इस बाबत संतुष्ट नहीं हो जाता कि किसी भवन या उसके किसी भाग या उसके साथ संलग्न किसी भूमि की मकान मालिक को स्वयं या उसके परिवार के किसी सदस्य के अधिभोग या किसी व्यक्ति, जिसके लाभार्थ उसके द्वारा इस संपत्ति को आवासिक प्रयोजनों या किसी वृत्ति, व्यापार या पेशे के प्रयोजन के लिए अभिनिर्धारित किया गया है, सद्भाविक रूप से आवश्यकता है । याची ने स्वयं को विवादित भवन के स्वामी के अभिकर्ता या केयरटेकर के रूप में अभिकथित करते हुए 1972 के अधिनियम की धारा 16(1)(ख) के अधीन अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए निर्मुक्ति आवेदन फाइल किया, जबकि धारा 16 की उपधारा (2) ऐसे निर्मुक्ति आदेश के लिए उपबंधित करती है, जब किसी भवन या उसके किसी भाग या उस भवन के साथ संलग्न किसी भूमि की मकान मालिक द्वारा अपने स्वयं या उसके परिवार के किसी सदस्य के अधिभोग या किसी ऐसे व्यक्ति जिसके लाभ के लिए उसने इस भवन को आवासिक प्रयोजनों या किसी वृत्ति, व्यापार या पेशे के प्रयोजनार्थ अभिनिर्धारित कर दिया है, सद्भाविक रूप से आवश्यकता है । अत: याची द्वारा धारा 16(ख) के प्रयोजनार्थ अभिकर्ता के रूप में अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए विवादित भवन को निर्मुक्त किए जाने के प्रयोजनार्थ आवेदन फाइल किए जाने से वह 1972 के अधिनियम की धारा 3(त्र) के अधीन मकान मालिक नहीं हो जाता । स्वामी-प्रत्यर्थियों ने भी निर्मुक्ति आवेदन फाइल किया, जिसे आक्षेपित आदेश द्वारा मंजूर कर लिया गया था । याची अधिक से अधिक स्वामियों का केवल केयरटेकर या अभिकर्ता होने के नाते भवन के स्वामियों - मकान मालिकों के विरुद्ध स्वयं मकान मालिक होने का दावा नहीं कर

सकता । वह अपने स्वयं के अधिकार के अंतर्गत विवादित भवन के अधिभोग और भवन के स्वामियों के विरुद्ध अपने पक्ष में भवन के किसी भाग को निर्मुक्ति कराने का हकदार नहीं है । वह मकान मालिक नहीं है । 1972 के अधिनियम की धारा 3(त्र) में मकान मालिक की परिभाषा उसी संदर्भ में पढ़ी जानी चाहिए, जैसीकि ऊपर चर्चा की गई है ।

(vi) इसलिए, वाराणसी के किराया नियंत्रक और निष्कासन अधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट ने 1985 के मामला संख्या 3 में पारित तारीख 22 जुलाई, 1988 के आक्षेपित आदेश द्वारा याची के निर्मुक्ति आवेदन को अस्वीकृत करके और प्रत्यर्थियों-स्वामियों और मकान मालिकों के पक्ष में भवन के एक भाग को निर्मुक्त करके विधि की दृष्टि में कोई त्रुटि कारित नहीं की । वाराणसी के त्रयोदश अपर जिला न्यायाधीश ने याची द्वारा फाइल किए गए 1988 के किराया पुनरीक्षण संख्या 150 (डा. विश्वनाथ मिश्रा **बनाम** किराया नियंत्रण और निष्कासन अधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट, वाराणसी और एक अन्य) को खारिज करके भी विधि की दृष्टि में कोई त्रुटि कारित नहीं की ।

34. आक्षेपित आदेश और निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध सुसंगत साक्षियों की विचारणा पर आधारित हैं जिनमें संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करते हुए मध्यक्षेप नहीं किया जा सकता ।

35. मैं ऊपरवर्णित कारणोंवश इस याचिका में कोई गुणागुण नहीं पाता । इसलिए, याचिका विफल होती है और एतद्द्वारा लागत सहित खारिज की जाती है ।

याचिका खारिज की गई ।

शु.

सरोज सिंह चौहान (श्रीमती)

बनाम

अरविन्द कुमार चौहान

(2017 की प्रथम अपील संख्या 737, साथ में 2018 की प्रथम अपील संख्या 672)

तारीख 1 अक्तूबर, 2019

न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) – आदेश 9, नियम 13 और आदेश 5, नियम 12, 17, 18 और 20 [सपठित कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 13(1)(ख)] – निचले न्यायालय द्वारा विवाह-विच्छेद याचिका में एकपक्षीय निर्णय और डिक्री पारित किए जाने के पूर्व पत्नी/अपीलार्थी पर समन तामील न किया जाना – निचले न्यायालय द्वारा इस बाबत कोई समाधान अभिलिखित न किया जाना कि समन का प्रकाशन ऐसे दैनिक समाचारपत्र में किया गया जो उस क्षेत्र में व्यापक रूप से परिचालित था, जहां पत्नी/अपीलार्थी निवास करती है – एकपक्षीय आदेश और डिक्री अपास्त किए जाने योग्य हैं ।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 – आदेश 9, नियम 13 और आदेश 5, नियम 12, 17, 18 और 20 – निचले न्यायालय द्वारा विवाह-विच्छेद याचिका में एकपक्षीय निर्णय और डिक्री पारित किए जाने के पूर्व पत्नी/अपीलार्थी पर समन तामील न किया जाना – निचले न्यायालय को यथासंभव वाद के दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् निर्णय पारित करना चाहिए – दोनों पक्षों को सुने जाने के पश्चात् पारित निर्णय उस निर्णय से कहीं अधिक उत्तम होता है, जो एकपक्षीय रूप से पारित किया गया हो ।

संक्षेप में, मामले के तथ्य ये हैं कि प्रस्तुत अपीलें 1984 के कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम की धारा 19 के अधीन फाइल की गई । वाराणसी

के प्रधान कुटुम्ब न्यायालय ने पत्नी/अपीलार्थी को समन जारी किए थे जो तामील नहीं हुए । तामीलकर्ता ने इस बाबत कोई रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की जिसके आधार पर कुटुम्ब न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता कि पत्नी ने जानबूझकर समन प्राप्त करने से इनकार किया या वह जानबूझकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना नहीं चाहती थी । न्यायालय ने समन समाचारपत्र में प्रकाशित कराए जाने के लिए निर्देशित किया और समाचारपत्र एक स्थानीय समाचारपत्र में प्रकाशित भी किए गए । किंतु कुटुम्ब न्यायालय ने इस बाबत अपना समाधान अभिलिखित नहीं किया कि पत्नी पर तामीली के प्रयोजनार्थ समन जिस समाचारपत्र में प्रकाशित किए गए, वह समाचारपत्र उस क्षेत्र में व्यापक रूप से परिचालित है, जहां पत्नी निवास करती है । प्रकाशन द्वारा समन की तामीली को पर्याप्त मानते हुए कुटुम्ब न्यायालय ने पत्नी के विरुद्ध एकपक्षीय निर्णय और डिक्री पारित कर दी । पत्नी ने कुटुम्ब न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9, नियम 13 के अधीन एकपक्षीय निर्णय और डिक्री को अपास्त किए जाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया । किंतु इस आवेदन को भी इसी आधार पर निरस्त कर दिया गया कि पत्नी को एकपक्षीय डिक्री पारित किए जाने के पूर्व कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष विवाह-विच्छेद के मामले के विचाराधीन होने की पर्याप्त जानकारी थी, किंतु वह जानबूझकर कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुई, अत: विवाह-विच्छेद के एकपक्षीय निर्णय और डिक्री को वापस नहीं लिया जा सकता । पत्नी ने इन दोनों ही आदेशों को कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम की धारा 19 के अधीन प्रस्तुत अपील में इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी है । अपीलें मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – हमने स्वयं मूल अभिलेख की जांच की है । वाद का प्रस्तुतीकरण तारीख 31 अगस्त, 2007 को किया गया और समन तारीख 31 अगस्त, 2007 को ही अपीलार्थी को जारी कर दिए गए थे । समन तारीख 17 नवंबर, 2017 को बिना तामील वापस आ गए थे । अभिलेख पर तामीलकर्ता की कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है । न्यायालय ने तारीख 27 नवंबर 2007 को आदेश पारित किया कि तामीली के लिए

समन भेजे जाने हेतु पुनः आवश्यक कदम उठाए जाएं । अपीलार्थी पर तामीली के लिए तारीख 1 दिसम्बर, 2007 को समन भेजे जाने हेतु पुनः प्रक्रिया फाइल की गई । तारीख 7 जनवरी, 2008 को वादी द्वारा अपीलार्थी पर प्रकाशन द्वारा सूचना की तामीली के लिए एक आवेदन (कागज संख्या 11 जी. ए.) और साथ में शपथपत्र (कागज संख्या 12 जी. ए.) फाइल किए गए । न्यायालय ने इस आवेदन पर आदेश पारित किया कि अपीलार्थी पर समन की तामीली के लिए एक सप्ताह के भीतर प्रक्रिया फाइल की जाए । तारीख 10 जनवरी 2018 को न्यायालय ने यह आदेश पारित किया कि आपीलार्थी पर समाचारपत्र में प्रकाशन द्वारा समन की तामीली की जाए । तद्नुसार, दैनिक समाचारपत्र जनवार्ता के तारीख 17 जनवरी 2008 के संस्करण में अपीलार्थी के विरुद्ध समन का प्रकाशन कर दिया गया । अभिलेख पर हम एक रसीद पाते हैं जिसे सरोज सिंह चौहान को भेजी गई रजिस्ट्री के संबंध में डाक विभाग द्वारा जारी किया गया, जिसमें उसका पता निवाही, वाराणसी छावनी का दर्शित किया गया है । यहां पर यह भी अवेक्षित किया जाता है कि वैवाहिक याचिका में दर्शित अपीलार्थी का पता एस. 2/214, रिठौरी महल, थाना कैण्ट, जिला वाराणसी का है । आदेश पत्र में यह दर्शाने हेतु कुछ भी नहीं है कि न्यायालय ने वादी को अपीलार्थी पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा नोटिस तामील कराने के लिए अनुमति दे दी थी । जब हम प्रतिवादी-अपीलार्थी पर तामीली के लिए निचले न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का परीक्षण सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5, नियम 12, 17, 18 और 20 में समाविष्ट उपबंधों के प्रकाश में करते हैं, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 17 का अनुपालन नहीं हुआ है । द्वितीयतः सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5, नियम 18 के निबंधनों के अनुसार प्रक्रिया में तामीलकर्ता द्वारा कोई पृष्ठांकन नहीं किया गया है और न ही निचले न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5, नियम 19 के अधीन प्रक्रिया तामीलीकर्ता का परीक्षण किया गया । रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा समनों की तामीली, जो आदेश 5, नियम 19-क के अधीन अनुध्यात है, का 1999 के अधिनियम संख्या 46 द्वारा विलोपन कर

दिया गया था । इसलिए, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा कोई समन तामील नहीं किया जा सकता था । अंततः, निचले न्यायालय ने प्रतिवादी-अपीलार्थी पर प्रतिस्थापित तामीली द्वारा तामीली किए जाने के लिए निर्देशित करने के पूर्व सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5, नियम 20 की आज्ञा का अनुपालन नहीं किया । हम मामले के तथ्यों के प्रकाश में विधि के सुसंगत उपबंधों का परीक्षण करते हुए अपीलार्थी द्वारा किए गए अभिवाक् से संतुष्ट हैं कि एकपक्षीय निर्णय और डिक्री पारित किए जाने के पूर्व उस पर कोई समन तामील नहीं किए गए थे । हम इस बाबत भी संतुष्ट हैं कि निचले न्यायालय ने इस बाबत अपना समाधान अभिलिखित नहीं किया कि प्रकाशन एक ऐसे दैनिक समाचारपत्र में किया गया है, जो उस क्षेत्र में व्यापक परिचालन वाला समाचारपत्र है, जहां अपीलार्थी निवास करती है । अंततः, यह न्यायालय रामजी दास और अन्य बनाम मोहन सिंह वाले मामले में अधिकथित विधि के प्रति अनभिज्ञ नहीं है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने मताभिव्यक्ति की है कि पक्षकारों को सुने जाने के पश्चात् पारित निर्णय किसी ऐसे निर्णय से कहीं उत्तम होता है जो एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है । (पैरा 18, 19 और 20)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[1978] 1978 ए. आर. सी. 496 (एस. सी.) :
रामजी दास और अन्य बनाम **मोहन सिंह** । 20

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2017 की प्रथम अपील संख्या 737, साथ में 2018 की प्रथम अपील संख्या 672.

कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री त्रिलोक नाथ और टी. एन. तिवारी

प्रत्यर्थी की ओर से –

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा ने दिया ।

न्या. मिश्रा – दोनों प्रतिवादियों द्वारा ये प्रथम अपीलें 1984 के कुटुंब न्यायालय अधिनियम (जिसे इसमें इसके पश्चात् 1984 का "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 19 के अधीन फाइल की गई हैं ।

2. 2017 की प्रथम अपील संख्या 737 (**श्रीमती सरोज सिंह चौहान** बनाम **अरविन्द कुमार चौहान**) 2007 की विवाह-विच्छेद याचिका संख्या 565 (**अरविन्द कुमार चौहान** बनाम **सरोज सिंह चौहान**) में 2008 के प्रकीर्ण वाद संख्या 77 (**सरोज** बनाम **अरविन्द**) में वाराणसी के कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा तारीख 25 जुलाई, 2017 को पारित निर्णय और तारीख 23 अगस्त, 2017 को पारित डिक्री को चुनौती देते हुए फाइल की गई है, जिसके द्वारा और जिसके अधीन प्रतिवादी-अपीलार्थी (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अपीलार्थी" कह कर निर्दिष्ट किया गया है) द्वारा तारीख 8 मई, 2008 के एकपक्षीय निर्णय और तारीख 4 अगस्त, 2008 की डिक्री को वापस लिए जाने के प्रयोजनार्थ सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9, नियम 13 के अधीन फाइल किए गए तारीख 3 अक्तूबर, 2008 के आवदेन (कागज संख्या 4-ग) को अस्वीकृत कर दिया गया था ।

3. 2018 की प्रथम अपील संख्या 672 (**श्रीमती सरोज सिंह चौहान** बनाम **अरविन्द कुमार चौहान**) 2007 की विवाह-विच्छेद याचिका संख्या 565 (**अरविन्द कुमार चौहान** बनाम **सरोज सिंह चौहान**) में वाराणसी के कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा तारीख 8 मई, 2008 को पारित एकपक्षीप निर्णय और तारीख 4 सितंबर, 2008 को पारित डिक्री को चुनौती देते हुए फाइल की गई है, जिसके द्वारा निचले न्यायालय ने वादी-प्रत्यर्थी (जिसे इसमें इसके पश्चात् "वादी" कहकर निर्दिष्ट किया गया है) द्वारा फाइल की गई विवाह-विच्छेद याचिका को मंजूर कर लिया गया और परिमाणस्वरूप पक्षकारों का विवाह समाप्त हो गया ।

4. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल श्री टी. एन. तिवारी को सुना । प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

5. वादपत्र में समाविष्ट अभिकथनों के अनुसार अपीलार्थी का विवाह वादी के साथ हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार तारीख 3 मई, 2004 को सम्पन्न हुआ था । विवाह के पश्चात् अपीलार्थी तारीख 4 मई, 2004 को अपने वैवाहिक घर आ गई थी । वह अपनी ससुराल में लगभग तीन दिन रहने के पश्चात् अपने माता-पिता के घर चली गई और तत्पश्चात् एक महीने पश्चात् अपनी ससुराल पुन: वापस आई । वादी के अनुसार, अपीलार्थी ने अपने वैवाहिक दायित्वों का सम्यक् रूप से निर्वाह किया । वादी का पक्षकथन यह है कि विवाह के समय अपीलार्थी ने अपनी माध्यमिक परीक्षा अर्थात् 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की थी । किन्तु अपीलार्थी आगे भी अपना अध्ययन चालू रखना चाहती थी । वादी ने आगे अध्ययन की अपीलार्थी की अभिलाषा का मान रखते हुए अपने माता-पिता की अनुमति से उसको वाराणसी के काशी विद्यापीठ में बी. ए. प्रथम वर्ष में प्रवेश दिला दिया । परिणामस्वरूप, अपीलार्थी ने अपने माता-पिता के घर में रहते हुए पूर्वोक्त पाठ्यक्रम में अपने सहपाठियों के साथ अपनी शिक्षा आरंभ कर दी । वादी द्वारा यह अधिकथित किया गया है कि अपीलार्थी बी. ए. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के पश्चात् केवल दो मास के लिए अपनी ससुराल आई, किंतु तत्पश्चात् वादी द्वारा अपीलार्थी से लम्बी अवधियों तक के लिए अपने माता-पिता के घर में न रुके रहने के लिए बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद अपीलार्थी अधिकांश समय अपने मायके में ही रही । अपीलार्थी ने अध्ययन का बहाना लेकर वादी और उसके माता-पिता के अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं किया । इस प्रकार से अपीलार्थी अपनी इच्छानुसार ही अपने वैवाहिक घर जाया करती थी । अपीलार्थी गर्भवती भी हो गई थी । उसने अपनी गर्भावस्था के अंतिम दिनों में अपने माता-पिता के घर में रहने पर जोर दिया और तद्नुसार अपने माता-पिता के घर चली गई । अंततः, उसने अपने माता-पिता के घर में ही तारीख 29 जुलाई, 2005 को एक बालिका को जन्म दिया । यह अभिकथित किया गया है कि वादी उसकी माता और अन्य नातेदार अपीलार्थी के माता-पिता के घर गए और अपीलार्थी और नवजात शिशु की मंगल कामना के लिए यथासामर्थ्य

योगदान किया । वादी के अनुसार वह अपनी माता के साथ अपीलार्थी के माता-पिता के घर गया और तारीख 5 नवंबर, 2005 को अपीलार्थी को उसके वैवाहिक घर वापस ले आया । तथापि, मात्र दो दिन के पश्चात् ही अपीलार्थी अपने अध्ययन के बहाने जबरदस्ती अपने माता-पिता के घर चली गई । अपीलार्थी ने अपने माता-पिता के घर पर रहना आरंभ कर दिया । अपीलार्थी से अपने वैवाहिक घर वापस लौट आने के लिए वादी और उसकी माता द्वारा अनुरोध किए जाने पर भी वह नहीं मानी । इसके विपरीत, वह उक्त विवाद्यक पर "तमाशा" करने में लिप्त रहने लगी । इस प्रकार से अपीलार्थी अपने माता-पिता के घर पर ही रहने लगी और वह केवल अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पैसे लेने के लिए अपनी ससुराल आया करती थी । अभिकथित रूप से वादी द्वारा इस बाबत अनेक प्रयास किए गए कि अपीलार्थी को अपने वैवाहिक घर में रहने के लिए मनाया जाए, किन्तु वह कभी सहमत नहीं हुई । अंततः, अनेक प्रयासों के पश्चात् अपीलार्थी अपनी ससुराल आई, किन्तु पुनः अपने अध्ययन का बहाना करके अपने माता-पिता के घर वापस चली गई । वह अभिकथित रूप से अपने वैवाहिक घर में एक या दो दिन की अवधि के लिए रुकी रहने और वैवाहिक घर को छोड़ते समय वह विवाह के समय में उसके ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा दिए गए समस्त आभूषण और कपड़े अपने साथ ले गई । अपीलार्थी ने बी. ए. द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात् अपनी शिक्षा और दूसरे खर्चों के लिए धन की मांग की, ताकि वह बी. ए. तृतीय वर्ष पाठ्यक्रम के लिए फार्म भर सके । अपीलार्थी के इस अनुरोध को वादी और उसके कुटुंब के सदस्यों ने इस आधार पर नकार दिया कि यदि अपीलार्थी अपने अध्ययन को आगे जारी रखने की इच्छुक है, तो उसे अपने वैवाहिक घर में रहना चाहिए और वहीं रहकर अध्ययन करना चाहिए । तथापि, वादी के अनुसार अपीलार्थी उसके इस सुझाव से सहमत नहीं थी और वह अंतत: अपने माता-पिता के घर वापल लौट गई ।

6. वर्ष 2006 के अगस्त माह में एक दिन, जब वादी की माता घर पर अकेली थी और परिवार के अन्य सदस्य घर पर नहीं थे, तब

अपीलार्थी अपने भाई मनोज चौहान और पिता के साथ अपने वैवाहिक घर आई । उसने अपनी सास के साथ हाथापाई की और अपने कपड़े और अन्य सामान, जो उसके वैवाहिक घर में पड़े थे, अपने साथ ले गई । वादी, उसके पिता और बड़े भाई अखिलेश को उपरोक्त घटना के बारे में सायंकाल पता चला । अत: वे सभी अपीलार्थी के माता-पिता के घर गए । उन्होंने अपीलार्थी के कुटुंब के सदस्यों के साथ बातचीत की और अपीलार्थी को उसके समस्त आभूषणों और कपड़ों के साथ उसके वैवाहिक घर भेजने का अनुरोध किया । इस पर, अपीलार्थी के कुटुंब के सदस्य उत्तेजित हो गए और उन्होंने वादी के पिता के विरुद्ध अपशब्दों का प्रयोग किया । वे अपीलार्थी को उसके वैवाहिक घर भेजे जाने के लिए वादी और उसके कुटुंब के सदस्यों द्वारा किए गए अनुरोध से सहमत नहीं थे । कुछ समय पश्चात्, वादी अकेला ही अपीलार्थी से मिलने उसके माता-पिता के घर गया और उससे अपने वैवाहिक घर लौट चलने का अनुरोध किया । अपीलार्थी ने स्पष्टत: अपने वैवाहिक घर लौटने से इनकार कर दिया । वादी के अनुसार, उसने अभिकथित किया कि यदि वादी उसके साथ रिश्ता बनाए रखना चाहता है तो उसे अपने कुटुंब से पृथक् हो जाना चाहिए और अपीलार्थी के साथ उसके माता-पिता के घर में निवास करना आरंभ कर देना चाहिए । अत: वर्ष 2006 के अक्तूबर माह में अपीलार्थी के पिता और भाई वादी से अपीलार्थी के पृथक्करण/विवाह-विच्छेद के बारे में चर्चा करने के लिए वादी के घर गए । इस संबंध में पंचायत के आयोजन का अनुरोध किया । इस विवाद्यक पर वादी और अपीलार्थी के पिता/भाई के मध्य कथित तौर पर तीखे शब्दों का आदान-प्रदान हुआ । इस पर अपीलार्थी के पिता और उसके भाई, जो कुख्यात हैं और जिन्होंने एक गिरोह भी बना रखा है, ने वादी की माता को धमकी दी और तीखे शब्दों के आदान-प्रदान के पश्चात् वापस चले गए । "उपरोक्त घटना" के पश्चात् वादी और अपीलार्थी के नातेदार विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान चाहते थे । दुर्भाग्यवश तारीख 20 दिसम्बर, 2006 को अपीलार्थी के पिता और उसके भाई ने वादी की माता की हत्या की योजना बनाई । दुर्भाग्यवश, वादी की माता की मृत्यु उनके वैवाहिक घर में हो गई । उपरोक्त घटना के संबंध में प्रथम

इत्तिला रिपोर्ट अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज कराई गई । पुलिस ने जांच के पश्चात् अपीलार्थी के पिता और भाई को मामले में अभियुक्तों के रूप में अंतर्वलित किया । वे जमानत पर रिहा हो गए । अपीलार्थी तारीख 19 मई, 2005 के पश्चात् पत्नी के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करने में विफल रही और उसने दांपत्य संबंधों को भी स्थापित नहीं किया । तारीख 19 मई, 2005 के पश्चात् वादी के प्रति अपीलार्थी का आचरण क्रूरता से परिपूर्ण रहा है और अपीलार्थी ने बिना किसी कारण वादी का परित्याग कर रखा है । क्योंकि, वादी के प्रति अपीलार्थी का आचरण क्रूरता से परिपूर्ण है और उसने वादी का परित्याग कर रखा है, इसलिए वादी ने 1955 के हिन्दू विवाह अधिनियम (जिसे इसमें इसके पश्चात् 1955 का "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 13(1) के अधीन पूर्वोक्त आधारों पर विवाह-विच्छेद के लिए वाद फाइल किया ।

7. वाद संस्थित किए जाने के पश्चात् अपीलार्थी को समन जारी किए गए । अपीलार्थी द्वारा समन प्राप्त किए जाने से इनकार कर दिया गया । तत्पश्चात् समन रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए । अंतत: अपीलार्थी पर दैनिक समाचारपत्र "जनवार्ता" में तारीख 17 जनवरी, 2008 के संस्करण में प्रकाशन कराए जाने के द्वारा प्रतिस्थापित तामीली के माध्यम से समय तामील हो गए । उपरोक्त तामीली के बावजूद अपीलार्थी वाद में उपस्थित नहीं हुई ।

8. वादी ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए स्वयं का परीक्षण याची साक्षी 1 के रूप में, अरविन्द कुमार चौहान का परीक्षण याची साक्षी 2 के रूप में और अखिलेश कुमार चौहान का परीक्षण याची साक्षी 3 के रूप में कराया । वादी ने दस्तावेजों की सूची, जो कागज संख्या 20-ग है, द्वारा जिला वाराणसी के सारनाथ पुलिस थाना में दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दर्ज कराए गए 2007 के मामला संख्या 7751 (**राज्य** बनाम **अशोक चौहान और अन्य**) से संबंधित आरोप पत्र और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की प्रतियां फाइल की ।

9. विचारण न्यायालय ने वादी द्वारा फाइल किए गए वाद का विनिश्चय एकपक्षीय रूप से करने के लिए अग्रसर हुआ, चूंकि विचारण

न्यायालय की राय में अपीलार्थी नोटिस की तामीली के बावजूद, वाद में उपस्थित होने में विफल रही थी ।

10. निचले न्यायालय के अनुसार, वादी ने "क्रूरता" और "परित्यक्तता" के आधारों पर विवाह-विच्छेद का वाद फाइल किया था, जिसको 1955 के अधिनियम की धारा 13(1)(i-क) और 13(1)(i-ख) के अधीन विवाह-विच्छेद के आधारों के रूप में मान्यता प्राप्त है । तुरंत संदर्भ के लिए धारा 13(1)(i-क) और 13(1)(i-ख) को नीचे प्रत्युत्पादित किया गया है, जो इस प्रकार हैं :-

> "13. **विवाह-विच्छेद** - (1) कोई भी विवाह, वह इस अधिनियम के प्रारंभ के चाहे पूर्व अनुष्ठापित हुआ हो चाहे पश्चात्, पति अथवा पत्नी द्वारा उपस्थापित अर्जी पर विवाह-विच्छेद की डिक्री द्वारा इस आधार पर विघटित किया जा सकेगा कि -
>
> "(i) .....
>
> (i-क) दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात् अर्जीदार के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है ; या
>
> (i-ख) दूसरे पक्षकार ने अर्जी के पेश कि जाने के अव्यवहित पूर्व कम से कम दो वर्ष की निरंतर कालावधि भर अर्जीदार को अभित्यक्त रखा है ;"

11. यहां पर यह उल्लेखनीय है कि पक्षकारों का विवाह तारीख 3 मई, 2005 को अनुष्ठापित हुआ और विवाह-विच्छेद के लिए वाद तारीख 29 अगस्त, 2007 को फाइल किया गया है । इसलिए 1955 के अधिनियम की धारा 13(1)(i-ख) के अधिदेशानुसार तारीख 29 अगस्त, 2007 तक दो वर्ष की कालावधि व्यतीत हो जानी चाहिए थी । विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि वादपत्र के पैरा 10 में यह अभिवाक् किया गया है कि अपीलार्थी अपने पिता और भाई के साथ अपनी ससुराल आई थी, जब वादी की माता घर पर अकेली थी । उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता कि वाद के प्रस्तुतीकरण के तुरंत पूर्व दो वर्ष की कालावधि व्यतीत हो चुकी थी ।

अत: परित्यक्तता का आधार, जिसका अभिवाक् वादी द्वारा किया गया है, भ्रांत धारणा पर आधारित है । मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित आज्ञापक परित्यक्तता के अभिवाक् का अवलंब लिए जाने के प्रयोजनार्थ व्यतीत होना जाना अपेक्षित है । विचारण न्यायालय ने क्रूरता के संबंध में यह निष्कर्ष निकाला कि क्रूरता साबित करने के क्रम में वादी ने स्वयं और अखिलेख कुमार चौहान की परीक्षण कराया और दस्तावेजी साक्ष्य अर्थात् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की फोटोकापी और आरोप पत्र भी फाइल किए । तथापि, अपीलार्थी की ओर से वादपत्र में किए गए प्रकथनों का खंडन करते हुए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया । परिणामस्वरूप, निचले न्यायालय ने मात्र उपरोक्त आधार पर ही यह निष्कर्ष निकाला कि वादी के प्रति अपीलार्थी द्वारा "क्रूरता" किया जाना साबित हो गया है और परिणामस्वरूप, वादी द्वारा फाइल किए गए विवाह-विच्छेद के वाद को तारीख 8 मई, 2008 के निर्णय और तारीख 4 अगस्त, 2008 की डिक्री द्वारा "क्रूरता" के आधार पर डिक्री कर दिया ।

12. अपीलार्थी ने पूर्वोक्त एकपक्षीय निर्णय और डिक्री के बाबत जानकारी प्राप्त होने पर वाराणसी के कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा तारीख 25 जुलाई, 2017 को पारित एकपक्षीय निर्णय और तारीख 23 अगस्त, 2018 को पारित डिक्री के वापस लिए जाने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9, नियम 13 के अधीन तारीख 3 अक्तूबर, 2008 का आवेदन (कागज संख्या 4-ग) फाइल किया । चूंकि आक्षेपित निर्णय और डिक्री वापस लिए जाने के प्रयोजनार्थ फाइल किए गए आवेदन को फाइल करने में विलंब कारित हुआ था, अत: परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन विलंब क्षमा किए जाने के लिए आवेदन भी फाइल किया गया ।

13. अपीलार्थी द्वारा आक्षेपित निर्णय और डिक्री वापस लिए जाने के प्रयोजनार्थ फाइल किए गए आवेदन या विलंब क्षमा किए जाने के प्रयोजनार्थ फाइल किए गए आवेदन, के विरुद्ध वादी द्वारा कोई आपत्ति फाइल नहीं की गई । निचले न्यायालय ने तारीख 11 नवंबर, 2011 के

आदेश द्वारा विलंब क्षमा किए जाने के प्रयोजनार्थ फाइल किए गए आवेदन (कागज संख्या 6-ग) को मंजूर कर लिया किन्तु अंततः तारीख 25 जुलाई, 2017 के आदेश और तारीख 23 अगस्त, 2017 के औपचारिक आदेश द्वारा आपेक्षित निर्णय और डिक्री वापस लिए जाने के प्रयोजनार्थ फाइल किए गए आवेदन (कागज संख्या 4-ग) को अस्वीकृत कर दिया ।

14. तारीख 25 जुलाई, 2017 के आदेश के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि निचले न्यायालय ने यह निष्कर्ष अभिलिखित करते हुए अपीलार्थी द्वारा आक्षेपित निर्णय और डिक्री वापस लिए जाने के प्रयोजनार्थ फाइल किए गए आवेदन को यह निष्कर्ष अभिलिखित करते हुए खारिज कर दिया कि अपीलार्थी द्वारा एक पक्षीय डिक्री की जानकारी के बाबत दर्शित आधार विश्वास किए जाने योग्य नहीं है । विद्वान् न्यायालय ने आगे मताभिव्यक्ति की कि अपीलार्थी प्रतिस्थापित तरीके अर्थात् समाचारपत्र में प्रकाशन के माध्यम से तामीली के बावजूद उपस्थित नहीं हुई और उसने कार्यवाही में भाग नहीं लिया, इसलिए अपीलार्थी द्वारा आक्षेपित निर्णय और डिक्री वापस लिए जाने के प्रयोजनार्थ आवेदन मंजूर किए जाने का कोई आधार नहीं है ।

15. अपीलार्थी ने तारीख 25 जुलाई 2017 के आदेश और 23 अगस्त 2017 के औपचारिक आदेश से व्यथित हो कर 2017 की प्रथम अपील संख्या 737 (**श्रीमती सरोज सिंह चौहान** बनाम **अरविन्द कुमार चौहान**) फाइल की जबकि उसके द्वारा तारीख 8 मई 2008 के एकपक्षीय निर्णय और तारीख 4 अगस्त 2008 की डिक्री को चुनौती देते हुए 2018 की प्रथम अपील संख्या 672 फाइल की गई ।

16. हमने अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल श्री टी. एन. तिवारी को सुना । विद्वान् काउंसेल ने निचले न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री तथा आदेश को चुनौती देते हुए न्यायालय का ध्यान निचले न्यायालय के मूल अभिलेख की ओर आकर्षित किया । उन्होंने दलील दी कि अभिलेख पर यह दर्शित करने के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं है कि समन कब जारी किए गए और अपीलार्थी द्वारा किस तारीख को उनको

प्राप्त करने से इनकार किया गया । अभिलेख पर प्रक्रिया तामीलकर्ता की ऐसी कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर इस बात को साबित किया जा सके । तत्पश्चात् उन्होंने निवेदन किया कि अभिलेख पर डाक विभाग द्वारा जारी की गई मात्र एक रसीद ही उपलब्ध है, किंतु कोई अभिस्वीकृति या डाक विभाग के किसी अधिकारी द्वारा कोई पृष्ठांकन अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है, जिससे यह दर्शित हो सके कि रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी गई सूचनाएं अपीलार्थी पर तामील किया जाना अपेक्षित था, किंतु उसने तामीली से इनकार कर दिया । अंत में उन्होंने यह दलील दी कि प्रकाशन दैनिक समाचारपत्र "जनवार्ता" के तारीख 17 जनवरी, 2008 के संस्करण में किया गया है, जिसका जिला वाराणसी में व्यापक परिचालन नहीं है । अत: उन्होंने दलील दी कि अपीलार्थी पर तामीली के लिए अपनाई गई प्रक्रिया सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5, नियम 12, 17, 18 और 20 की आज्ञा के विपरीत है । अत: अपीलार्थी के विरुद्ध निचले न्यायालय द्वारा एकपक्षीय रूप से पारित आक्षेपित निर्णय और डिक्री इस न्यायालय द्वारा अपास्त किए जाने योग्य हैं ।

17. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा किए गए निवेदनों की शुद्धता पर विचार करने के लिए अग्रसर होने के पूर्व यह उचित होगा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5, नियम 12, 17, 18 और 20 को वर्तमान संदर्भ के प्रयोजनार्थ प्रत्युपादित किया जाए :-

> "12. जब साध्य हो, तब समन की तामील स्वयं प्रतिवादी पर अन्यथा उसके अभिकर्ता पर की जाएगी - जहां कहीं भी यह साध्य हो, वहां तामील स्वयं प्रतिवादी पर की जाएगी, किंतु यदि तामील का प्रतिग्रहण करने के लिए सशक्त उसका कोई अभिकर्ता है, तो उस पर उसकी तामील पर्याप्त होगी ।
>
> 17. जब प्रतिवादी तामील का प्रतिग्रहण करने से इनकार करे या न पाया जाए, तब प्रक्रिया - जहां प्रतिवादी या उसका अभिकर्ता या उपरोक्त जैसा अन्य व्यक्ति अभिस्वीकृति पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है या जहां तामील करने वाला अधिकारी सभी सम्यक् और युक्तयुक्त तत्परता बरतने के पश्चात् ऐसे प्रतिवादी को न पा सके, जो अपने निवास स्थान से उस समय अनुपस्थित

है, जब उस पर समन की तामील उसके निवास स्थान पर की जानी है और युक्तियुक्त समय के भीतर उसके निवास स्थान पर पाए जाने की संभावना नहीं है और ऐसा कोई अभिकर्ता नहीं है, जो समन की तामील का प्रतिग्रहण उसकी ओर से करने के लिए सशक्त है और न कोई ऐसा अन्य व्यक्ति है, जिस पर तामील की जा सके, वहां तामील करने वाला अधिकारी उस ग्रह के, जिसमें प्रतिवादी मामूली तौर पर समन की एक प्रति लगाएगा और तब वह मूल प्रति को उस पर पृष्ठांकित या उससे उपाबद्ध ऐसी रिपोर्ट के साथ, जिसमें यह कथित होगा कि उसने प्रति को ऐसे लगा दिया है और वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिनमें उसने ऐसा किया, कथित होंगी और जिसमें उस व्यक्ति का (यदि कोई हो) नाम और पता कथित होगा, जिसमें ग्रह पहचाना था और जिसकी उपस्थिति में प्रति लगाई गई थी, उस न्यायालय को लौटाएगा, जिसने समन निकाला था ।

18. तामील करने के समय और रीति का पृष्ठांकन – तामील करने वाला अधिकारी उन सभी दशाओं में, जिनमें समन की तामील नियम 16 के अधीन की गई है, उस समय को जब और उस रीति को जिससे समन की तामील की गई थी और यदि ऐसा कोई व्यक्ति है, जिसने उस व्यक्ति को, जिस पर तामील की गई है, पहचाना था और जो समन के परिदान या निविदान का साक्षी रहा था, तो उसका नाम और पता कथित करने वाली विवरणी मूल समन पर पृष्ठांकित करेगा या कराएगा या मूल समन से उपाबद्ध करेगा या कराएगा ।

20. प्रतिस्थापित तामील – (1) जहां न्यायालय का समाधान हो जाता है कि यह विश्वास करने के लिए कारण है कि प्रतिवादी इस प्रयोजन से कि उस पर तामील न होने पाए, सामने आने से बचता है या समन की तामील मामूली प्रकार से किसी अन्य कारण से नहीं की जा सकती, वहां न्यायालय आदेश देगा कि समन की तामील उसकी एक प्रति न्याय-सदन के किसी सहज दृश्य स्थान में लगाकर और (यदि ऐसा कोई ग्रह हो) तो उस ग्रह के, जिसमें प्रतिवादी का अंतिम बार निवास करना या कारबार करना या

अभिलाभ के लिए स्वयं काम करना ज्ञात है, किसी सहज दृश्य भाग पर भी लगाकर या ऐसी अन्य रीति से, जो न्यायालय ठीक समझे की जाए ।

(1-क) जहां उपनियम (1) के अधीन कार्य करने वाला न्यायालय समाचारपत्र में विज्ञापन द्वारा तामील का आदेश करता है, वहां वह समाचारपत्र ऐसा दैनिक समाचारपत्र होगा, जिसका परिचालन उस स्थानीय क्षेत्र में होता है, जिसमें प्रतिवादी का अंतिम बार वास्तव में और स्वेच्छया से निवास करना या कारबार करना या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करना ज्ञात है ।

(2) प्रतिस्थापित तामील का प्रभाव – न्यायालय के आदेश द्वारा प्रतिस्थापित तामील इस प्रकार प्रभावी होगी मानो वह स्वयं प्रतिवादी पर की गई हो ।

(3) जहां तामील प्रतिस्थापित की गई हों वहां उपसंजाती के लिए समय का नियत किया जाना – जहां तामील न्यायालय के आदेश द्वारा प्रतिस्थापित की गई है, वहां न्यायालय प्रतिवादी को उपसंजाती के लिए ऐसा समय नियत करेगा, जो उस मामले में अपेक्षित हो ।"

18. हमने स्वयं मूल अभिलेख की जांच की है । वाद का प्रस्तुतीकरण तारीख 31 अगस्त, 2007 को किया गया और समन तारीख 31 अगस्त, 2007 को ही अपीलार्थी को जारी कर दिए गए थे । समन तारीख 17 नवंबर, 2017 को बिना तामील वापस आ गए थे । अभिलेख पर तामीलकर्ता की कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है । न्यायालय ने तारीख 27 नवंबर 2007 को आदेश पारित किया कि तामीली के लिए समन भेजे जाने हेतु पुनः आवश्यक कदम उठाए जाएं । अपीलार्थी पर तामीली के लिए तारीख 1 दिसम्बर, 2007 को समन भेजे जाने हेतु पुनः प्रक्रिया फाइल की गई । तारीख 7 जनवरी, 2008 को वादी द्वारा अपीलार्थी पर प्रकाशन द्वारा सूचना की तामीली के लिए एक आवेदन (कागज संख्या 11 जी. ए.) और साथ में शपथपत्र (कागज संख्या 12 जी. ए.) फाइल किए गए । न्यायालय ने इस आवेदन पर आदेश पारित

किया कि अपीलार्थी पर समन की तामीली के लिए एक सप्ताह के भीतर प्रक्रिया फाइल की जाए । तारीख 10 जनवरी 2018 को न्यायालय ने यह आदेश पारित किया कि आपीलार्थी पर समाचारपत्र में प्रकाशन द्वारा समन की तामीली की जाए । तद्नुसार, दैनिक समाचारपत्र जनवार्ता के तारीख 17 जनवरी 2008 के संस्करण में अपीलार्थी के विरुद्ध समन का प्रकाशन कर दिया गया । अभिलेख पर हम एक रसीद पाते हैं जिसे सरोज सिंह चौहान को भेजी गई रजिस्ट्री के संबंध में डाक विभाग द्वारा जारी किया गया, जिसमें उसका पता निवाही, वाराणसी छावनी का दर्शित किया गया है । यहां पर यह भी अवेक्षित किया जाता है कि वैवाहिक याचिका में दर्शित अपीलार्थी का पता एस. 2/214, रिठौरी महल, थाना कैण्ट, जिला वाराणसी का है । आदेश पत्र में यह दर्शाने हेतु कुछ भी नहीं है कि न्यायालय ने वादी को अपीलार्थी पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा नोटिस तामील कराने के लिए अनुमति दे दी थी ।

19. जब हम प्रतिवादी-अपीलार्थी तामीली के लिए निचले न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का परीक्षण सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5, नियम 12, 17, 18 और 20 में समाविष्ट उपबंधों के प्रकाश में करते हैं, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5, नियम 17 का अनुपालन नहीं हुआ है । द्वितीयतः सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5, नियम 18 के निबंधनों के अनुसार प्रक्रिया में तामीलकर्ता द्वारा कोई पृष्ठांकन नहीं किया गया है और न ही निचले न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5, नियम 19 के अधीन प्रक्रिया तामीलीकर्ता का परीक्षण किया गया । रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा समनों की तामीली, जो आदेश 5, नियम 19-क के अधीन अनुध्यात है, का 1999 के अधिनियम संख्या 46 द्वारा विलोपन कर दिया गया था । इसलिए, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा कोई समन तामील नहीं किया जा सकता था । अंततः, निचले न्यायालय ने प्रतिवादी-अपीलार्थी पर प्रतिस्थापित तामीली द्वारा तामीली किए जाने के लिए निर्देशित करने के पूर्व सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5, नियम 20 की आज्ञा का अनुपालन नहीं किया ।

20. हम मामले के तथ्यों के प्रकाश में विधि के सुसंगत उपबंधों

का परीक्षण करते हुए अपीलार्थी द्वारा किए गए अभिवाक् से संतुष्ट हैं कि एकपक्षीय निर्णय और डिक्री पारित किए जाने के पूर्व उस पर कोई समन तामील नहीं किए गए थे । हम इस बाबत भी संतुष्ट हैं कि निचले न्यायालय ने इस बाबत अपना समाधान अभिलिखित नहीं किया कि प्रकाशन एक ऐसे दैनिक समाचारपत्र में किया गया है, जो उस क्षेत्र में व्यापक परिचालन वाला समाचारपत्र है, जहां अपीलार्थी निवास करती है । अंततः, यह न्यायालय **रामजी दास और अन्य** बनाम **मोहन सिंह**[1] वाले मामले में अधिकथित विधि के प्रति अनभिज्ञ नहीं है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने मताभिव्यक्ति की है कि पक्षकारों को सुने जाने के पश्चात् पारित निर्णय किसी ऐसे निर्णय से कहीं उत्तम होता है जो एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है । तुरंत निर्देश के लिए, **रामजी दास** (उपरोक्त) वाले मामले में की गई सुसंगत मताभिव्यक्ति इस प्रकार है :–

> "आठ वर्ष पूर्व पारित एकपक्षीय डिक्री को उसी न्यायालय द्वारा अपास्त किया गया, जिसने इसे पारित किया था और जिसकी पुष्टि जिला न्यायालय द्वारा कर दी गई थी । उच्च न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनेक आधारों पर उस डिक्री को अपास्त कर दिया । काउंसेल को सुनने के पश्चात्, हम इस विचार से सहमत होने के लिए आनत हैं कि जहां तक संभव हो सके, न्यायालय के विवेकाधिकार का प्रयोग सुनवाई के पक्ष में होना चाहिए, न कि सुनवाई को बंद किए जाने के पक्ष में । इसलिए हम समझते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश ऐसे न्यायहित में पारित नहीं किया जाना चाहिए था, जिसमें सदैव सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के अधीन शक्तियों का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है । इसलिए, हम उस आदेश और एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करते हैं । हम विचारण न्यायालय को निर्देशित करते हैं कि फाइल किए गए वाद को फाइल पर वापस ले और विचारण के लिए तुरंत अग्रसर हों । वाद बहुत पुराना है और इसका निस्तारण

---

[1] 1978 ए. आर. सी. 496 (एस. सी).

विचारण न्यायालय द्वारा इस आदेश की प्राप्ति से छह माह के भीतर किया जाना चाहिए । हम यह भी निदेश देते हैं कि एकपक्षीय डिक्री अपास्त किए जाने की शर्त यह होगी कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी को आज की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर लागत के रूप में 250/- रुपए की राशि का संदाय करेगा ।"

21. पूर्वोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए हमें इन अपीलों को मंजूर करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है । तद्नुसार, दोनों अपीलें मंजूर की जाती हैं । प्रतिवादी-अपीलार्थी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9, नियम 13 आक्षेपित निर्णय और डिक्री को वापस लिए जाने के प्रयोजनार्थ फाइल किए गए आवेदन को अस्वीकृत करने वाले तारीख 25 जुलाई, 2017 के निर्णय और तारीख 23 अगस्त 2017 के औपचारिक आदेश और साथ ही तारीख 8 मई, 2008 के निर्णय और तारीख 4 अगस्त, 2008 की डिक्री जिसके द्वारा वादी प्रत्यर्थी का वाद डिक्री किया गया, अपास्त किए जाते हैं । 2007 की विवाह-विच्छेद याचिका संख्या 565 (**अरविन्द कुमार चौहान** बनाम **सरोज सिंह चौहान**) को प्रत्यावर्तित (बहाल) किया जाता है । प्रतिवादी-अपीलार्थी को अपना लिखित कथन फाइल करने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है और तत्पश्चात् निचला न्यायालय गुणागुण पर विवाह याचिका को निर्णित करने के लिए पुनः अग्रसर होगा ।

22. अपीलार्थी अपनी लागत के लिए हकदार होगी, जिसे हम 50,000/- रुपए निर्धारित करते हैं । लागत की रकम वादी-प्रत्यर्थी द्वारा निचले न्यायालय के समक्ष जमा की जाएगी और प्रतिवादी-अपीलार्थी को देय होगी । पूर्वोक्त्त जमा आज से दो माह की अवधि के भीतर किया जाएगा, जिसमें विफल रहने पर निचला न्यायालय इस रकम की वसूली अपने आदेश के द्वारा वसूल करने के लिए अग्रसर होगा ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

महीं./शु.

(2020) 2 सि. नि. प. 102 इलाहाबाद

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

बनाम

श्रीमती द्रौपदी देवी और अन्य

(2016 की प्रथम अपील संख्या 1013)

तारीख 18 अक्तूबर, 2019

न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव

मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) – धारा 166 और 173 – प्रतिकर का निर्धारण – अधिकरण द्वारा प्रतिकर का निर्धारण करते हुए अत्यंत न्यून बातों को साबित किया जाना अपेक्षित होता है अर्थात् मृतक की आयु, मृतक की आय और मृतक के आश्रितों की संख्या, मृतक पर उत्तरजीवियों की निर्भरता के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मृतक की आय में किए जाने वाले जोड़/कटौतियां, मृतक के व्यक्तिगत/जीविका के खर्चों के बाबत की जाने वाली कटौतियां मृतक की आयु के संदर्भ में लागू किया जाने वाला गुणांक महत्वपूर्ण कारक होता है ।

संक्षेप में, मामले के तथ्य यह है कि प्रस्तुत अपील 2014 की मोटर दुर्घटना दावा याचिका संख्या 441 (श्रीमती द्रौपदी देवी और अन्य बनाम याद राम और अन्य) वाले मामले में आगरा के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/विशेष न्यायाधीश (डी. ए. ए.) द्वारा तारीख 1 दिसम्बर, 2015 को पारित अक्षेपित निर्णय और अधिनिर्णय के विरुद्ध फाइल की गई, जिसके द्वारा विद्वान् अधिकरण ने 27,85,495/- रुपए का प्रतिकर अधिनिर्णीत किया और इस रकम पर अपील फाइल किए जाने की तारीख से 7% साधारण वार्षिक दर से ब्याज का संदाय किए जाने के लिए आदेशित किया है । यह अपील इस आधार पर फाइल की गई कि अपराधकारी मारुति वैन के चालक द्वारा उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक चालन सिद्ध नहीं हुआ और इसलिए उक्त मारुति वैन दुर्घटना में अंतर्वलित नहीं थी, मृतक का वेतन निर्धारित नहीं था और कार्य की गुणवत्ता पर आधारित था, इसलिए विद्वान् अधिकरण ने मृतक के वेतन पर मासिक आधार पर विचार करके त्रुटि कारित की, वेतन की

औसत रकम पर विचार किया जाना चाहिए था, मृतक सेवानिवृत्त होने वाला था और 9 का गुणांक लागू किए जाने के बजाए 7 का गुणांक लागू किया जाना चाहिए था और प्रतिकर की राशि उच्चतर निर्धारित की गई है, इसलिए अधिनिर्णय अपास्त किए जाने योग्य है । अपील का निपटारा करते हुए,

अभिनिर्धारित – उपरोक्त विधि (सरला वर्मा बनाम दिल्ली परिवहन निगम) की प्रणय सेठी वाले मामले में गुणांक के बिंदु पर पुनः पुष्टि की गई है । उपरोक्त मताभिव्यक्ति से यह स्पष्ट हो जाता है कि 51 से 55 वर्ष की आयु के मध्य उपलब्ध गुणांक 11 है, चूंकि विद्वान् अधिकरण ने मृतक की आयु 50 वर्ष से अधिक निर्धारित की है, इसलिए 9 के गुणांक का प्रयोग किया गया है । सरला वर्मा वाले मामले को ध्यान में रखते हुए यह निम्नतर दिशा का सही गुणांक है और यह गुणांक 11 का होना चाहिए और अपीलार्थी की इस दलील में कोई नहीं बल नहीं है कि 7 का गुणांक लागू किया जाना चाहिए था । अत: प्रतिकर की रकम 4,06,584/- × 9 = 36,59,256/- रुपए होती है । उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, जिस बात का उल्लेख किया जाना रूचिकर होगा, यह है कि यदि अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा प्रस्तुत की गई वार्षिक आय में 11 का गुणांक लागू किया जाता है, तो 3,89,640 × 11 = 46,36,040/- रुपए की रकम होती है । विद्वान् अधिकरण ने वार्षिक आय में 20% की बढ़ोत्तरी करते हुए 40,66,084/- रुपए की वार्षिक आय निर्धारित की है और यदि इसको 9 से गुणा किया जाता है, तो 36,59,256/- रुपए की रकम होती है, जो अभी भी 11 के गुणांक से गुणा करके भविष्य की आय में 15% जोड़े जाने के आधार पर संगणित आय से कम है और 42,86,040/- रुपए होती है । अपीलार्थी को यह कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि सरला वर्मा और प्रणय सेठी वाले मामलों में अधिकथित सिद्धांत का इस सीमा तक विस्तारित किया जाना चाहिए कि वे अपीलार्थी के लिए लाभप्रद हो और प्रत्यर्थी-दावेदारों के लिए नहीं । इसलिए यह स्पष्टतः साबित हो जाता है कि प्रतिकर की रकम में 20,00,00/- रुपए से अधिक की बढ़ोत्तरी की जानी चाहिए । मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि अपील में उठाई गई शिकायत

का कोई विधिक आधार नहीं है और अधिर्निर्णीत रकम में समस्त पहलुओं पर विचार करते हुए व्यवधान किया जाना अपेक्षित नहीं है । उच्चतम न्यायालय द्वारा सरला वर्मा वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिकरण के समक्ष कार्यवाही जांच की प्रकृति की होती है, जिसमें अत्यंत न्यून बातों को साबित किया जाना अपेक्षित होता है । विद्वान् अधिकरण ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मृतक के कुटुंब में 5 उत्तरजीवी सदस्य हैं, व्यक्तिगत खर्चों के मद में एक चौथाई रकम की कटौती की है, इसलिए कुल रकम 36,59,256/- रुपए हैं और इसका एक चौथाई 9,14,814/- रुपए होता है और इस रकम की कटौती के पश्चात् शेष रकम यह 27,44,442/- रुपए होती है । विद्वान् अधिकरण ने पारंपरिक खर्चों के मद में पर्याप्त रकम की बढ़ोतरी की है, जो 41,000/- रुपए होती है, अत: कुल रकम 27,85,442/- रुपए होती है । पूर्वोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिकर की कुल रकम, जिसके दावेदार हकदार हैं, 27,85,442/- रुपए होगी । विद्वान् अधिकरण ने इस रकम की संगणना 27,85,496/- रुपए की है जो प्रतिकर राशि से 54 रुपए अधिक है और यह गणितीय त्रुटि प्रतीत होती है और तद्नुसार उसे शुद्ध करके 27,85,442/- रुपए किया जाता है । पूर्वोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, प्रतिकर की राशि को तद्नुसार शुद्ध किया जाता है और अपील का अंतत: निपटारा किया जाता है । यदि कोई स्थगनादेश पारित किया गया हो, तो उसे रिक्त किया जाता है । (पैरा 10, 11, 12, 13, 14 और 15)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2017] ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 5157 :
इंश्योरेंस कंपनी बनाम **प्रणय सेठी** ; 8

[2009] (2009) 6 एस. सी. सी. 121 :
सरला वर्मा बनाम **दिल्ली परिवहन निगम** । 9

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2016 की प्रथम अपील संख्या 1013.

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री सुशील कुमार मेहरोत्रा

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री आशुतोष कुमार पाण्डे और दिग्विजय सिंह

न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव – पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया ।

2. यह अपील 2014 की मोटर दुर्घटना दावा याचिका संख्या 441 (**श्रीमती द्रौपदी देवी और अन्य** बनाम **याद राम और अन्य**) वाले मामले में आगरा के मोटर दावा दुर्घटना अधिकरण/विशेष न्यायाधीश (डी. ए. ए.) द्वारा तारीख 1 दिसम्बर, 2015 को पारित आक्षेपित निर्णय और अधिनिर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है, जिसके द्वारा विद्वान् अधिकरण ने 27,85,495/- रुपए का प्रतिकर अधिनिर्णीत किया है और इस काम पर अपील फाइल किए जाने की तारीख से 7% साधारण वार्षिक दर से ब्याज का संदाय किए जाने के लिए आदेशित किया है ।

3. यह अपील आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर इस आधार पर फाइल की गई कि अपराधकारी मारुति वैन के चालक द्वारा उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक चालन सिद्ध नहीं हुआ और इसलिए उक्त मारुति वैन दुर्घटना में अंतर्वलित नहीं थी । मृतक का वेतन निर्धारित नहीं था और कार्य की गुणवत्ता पर आधारित था, इसलिए, विद्वान् अधिकरण ने मृतक की मासिक आधार पर वेतन पर विचार करके त्रुटि कारित की है । वेतन की औसत रकम पर विचार किया जाना चाहिए था । मृतक सेवानिवृत्त होने वाला था और 9 का गुणांक लागू किए जाने के बजाए 7 का गुणांक लागू किया जाना चाहिए था । प्रतिकर की राशि उच्चतर निर्धारित की गई है, इसलिए अधिनिर्णय अपास्त किए जाने योग्य है ।

4. विद्वान् अधिकरण द्वारा विवाद्यक विरचित किए गए और विद्वान् अधिकरण ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि अपराधकारी मारुति वैन का चालक वैन का चालन उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक कर रहा था और उसने मृतक की मोटरसाइकिल को टक्कर मारी थी, जिसकी उक्त दुर्घटना में बर्दाश्त की

गई क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई थी । उन्होंने यह निष्कर्ष भी निकाला कि दावेदार याची साक्षी-1 श्रीमती द्रोपदी देवी ने याचिका में लगाए गए आरोपों का समर्थन किया, किंतु वह दुर्घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं थी । याची साक्षी-3 राम बाबू का परीक्षण प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में किया गया था और उसने साबित किया कि मारुति वैन के चालक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी थी । वह मारुति वैन का चालन अत्यधिक उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक कर रहा था और दुर्घटना कारित करने के पश्चात् आगरा की ओर बच निकलते हुए भाग गया था । इस साक्षी ने यह अभिकथन भी किया कि दुर्घटना में संपूर्ण गलती मारुति वैन के चालक की थी । उसने उस स्थान की भी पहचान की जहां दुर्घटना घटित हुई थी । उसने आगे कथन किया कि मृतक मोटरसाइकिल का चालन बहुत धीमी गति से कर रहा था । उसके द्वारा यह अभिकथन भी किया गया है कि उसने पुलिस को उस मारुति वैन की रजिट्रेशन संख्या भी बताई थी जिसके द्वारा उक्त दुर्घटना कारित हुई थी, चूंकि उसने संपूर्ण दुर्घटना को घटित होते हुए देखा था ।

5. विद्वान् अधिकरण ने यह निष्कर्ष भी निकाला कि अभिलेख पर ऐसा कुछ भी उपलब्ध नहीं हैं, जिसके आधार पर साक्षी के कथन पर अविश्वास किया जा सके/पुलिस के कागजातों, जैसेकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, शव परीक्षा रिपोर्ट, आरोप पत्र और पुलिस द्वारा तैयार किया गया स्थल मानचित्र भी साक्ष्य में फाइल किया गया, जिनके द्वारा याचिका के वृत्तांत की पूर्ण रूप से पुष्टि हो गई थी । विद्वान् अधिकरण ने इस तर्क पर भी पर्याप्त रूप से विचार किया कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दुर्घटना की तारीख से 6 दिनों के पश्चात् दर्ज कराई गई थी । अतः मैं विद्वान् अधिकरण द्वारा निकाले गए निष्कर्ष में कोई अनुचित बात या अवैधता नहीं पाता ।

6. विद्वान् न्यायालय ने यह निष्कर्ष भी निकाला कि मारुति वैन का चालक दुर्घटना के समय विधिमान्य और प्रभावी अनुज्ञप्ति धारक था और मारुति वैन नेशनल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा बीमाकृत थी । इस प्रकार विद्वान् अधिकरण ने न्यायतः अभिनिर्धारित किया कि प्रतिकर के संदाय का दायित्व बीमा कंपनी का है ।

7. जहां तक प्रतिकर की राशि का संबंध है याची-साक्षी. 2 जे. एल. परिंद्रा ने मृतक का वेतन प्रमाणपत्र फाइल किया, जिसे उसके द्वारा साबित भी किया गया । वेतन प्रमाणपत्र के आधार पर विद्वान् अधिकरण द्वारा प्रतिकर की राशि निर्धारित की गई और मैं इसमें कोई अवैधता नहीं पाता । वेतन प्रमाणपत्र से यह दर्शित होता है कि मृतक का कटौती के पश्चात्, गृह खर्च के लिए प्राप्त होने वाला वेतन 28,235/- रुपए प्रतिमाह था । विद्वान् अधिकरण ने यह निष्कर्ष भी निकाला कि दुर्घटना के समय मृतक की आयु 50 वर्ष से अधिक थी और इसलिए उन्होंने मृतक की भविष्य की आय में 20% बढ़ोतरी कर दी ।

8. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल का निवेदन यह है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी** बनाम **प्रणय सेठी**[1] वाले मामले में दिए गए निर्णय को ध्यान रखते हुए 50 से 60 वर्ष की आयु वाले मृतकों के मामलों में भविष्य की आय में केवल 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी किया जाना आपेक्षित है । 28,235/- रुपए की मासिक आय का 15 प्रतिशत 4,235/- रुपए होता है, जबकि विद्वान् अधिकरण ने भविष्य की आय के प्रयोजनार्थ 5,647/- रुपए की बढ़ोतरी की । इसलिए, अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल की यह दलील कि 28,235/- + 4,235/- रुपए को जोड़कर भविष्य की मासिक आय 32,470/- रुपए होती है और इस प्रकार 12 के गुणांक का प्रयोग किए जाने पर वार्षिक आय 3,89,640/- रुपए होगी, न कि 4,06,584/- रुपए, जैसा कि विद्वान् अधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया ।

9. अतः उपरोक्त दलीलों को दृष्टिगत करते हुए, इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि **प्रणय सेठी** (उपरोक्त) वाले मामले में दिए गए निर्णय के लागू किए जाने पर और दोनों पक्षों को इस निर्णय का लाभ देते हुए अधिनिर्णीत रकम उच्चतर दिशा में है या उचित और युक्तिसंगत है । ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान् अधिकरण ने गुणांक को निम्नतर दिशा में लागू किया जिससे अपीलार्थी को व्यथित नहीं होना चाहिए चूंकि **सरला वर्मा** बनाम **दिल्ली परिवहन निगम**[2] वाले

---

[1] ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 5157.

[2] (2009) 6 एस. सी. सी. 121.

मामले में दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए 51 से 55 वर्ष की आयु के मृतकों के मामले में 11 का गुणांक उपलब्ध है । उच्चतम न्यायालय ने जो अधिकथित किया, वह निम्नलिखित है :-

> "इसलिए हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि जिस गुणांक का प्रयोग किया जाना है, उसका उल्लेख उपरोक्त तालिका के स्तम्भ (4) में किया गया है जिसको (**सुसम्मा थामस, त्रिलोक चन्द्र** और **चार्ली** वाले मामलों को लागू करते हुए तैयार किया है), जो 18 के क्रियात्मक गुणांक (15 से 20 और 21 से 25 वर्ष के आयु समूह के लिए) से आरंभ होती है और जिसे प्रत्येक पांच वर्ष के लिए एक यूनिट द्वारा घटा दिया गया है, अर्थात् 26 से 30 वर्ष के लिए एम - 17, 31 से 35 वर्ष के लिए एम-16, 36 से 40 वर्ष के लिए एम - 15, 41 से 45 वर्ष के लिए एम - 14 और 46 से 50 वर्ष के लिए एम - 13, तत्पश्चात् प्रत्येक पांच वर्ष के लिए दो यूनिट घटा दिया गया है, अर्थात् 51 से 55 वर्ष के लिए एम - 11, 56 से 60 वर्ष के लिए एम-9, 61 से 65 वर्ष के लिए एम - 7 और 66 से 70 वर्ष के लिए एम - 5 ।"

10. उपरोक्त विधि (**सरला वर्मा** बनाम **दिल्ली परिवहन निगम**) की **प्रणय सेठी** (उपरोक्त) वाले मामले में गुणांक के बिंदु पर पुनः पुष्टि की गई है । उपरोक्त मताभिव्यक्ति से यह स्पष्ट हो जाता है कि 51 से 55 वर्ष की आयु के मध्य उपलब्ध गुणांक 11 है, चूंकि विद्वान् अधिकरण ने मृतक की आयु 50 वर्ष से अधिक निर्धारित की है, इसलिए 9 के गुणांक का प्रयोग किया गया है । **सरला वर्मा** (उपरोक्त) वाले मामले को ध्यान में रखते हुए यह निम्नतर दिशा का सही गुणांक है और यह गुणांक 11 का होना चाहिए और अपीलार्थी की इस दलील में कोई नहीं बल नहीं है कि 7 का गुणांक लागू किया जाना चाहिए था । इस प्रकार प्रतिकर की रकम 4,06,584/- × 9 = 36,59,256/- रुपए होती है ।

11. उपरोक्त बातों का ध्यान में रखते हुए, जिस बात का उल्लेख किया जाना रूचिकर होगा, यह है कि यदि अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा प्रस्तुत की गई वार्षिक आय में 11 का गुणांक लागू

किया जाता है, तो 3,89,640/- × 11 = 46,36,040/- रुपए की रकम होती है । विद्वान् अधिकरण ने वार्षिक आय में 20% की बढ़ोतरी करते हुए 40,66,084/- रुपए की वार्षिक आय निर्धारित की है और यदि इसको 9 से गुणा किया जाता है, तो 36,59,256/- रुपए की रकम होती है, जो अभी भी 11 के गुणांक से गुणा करके भविष्य की आय में 15% जोड़े जाने के आधार पर संगणित आय से कम है और 42,86,040/- रुपए होती है । अपीलार्थी को यह कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि **सरला वर्मा** (उपरोक्त) और **प्रणय सेठी** (उपरोक्त) वाले मामलों में अधिकथित सिद्धांत का इस सीमा तक विस्तारित किया जाना चाहिए कि वे अपीलार्थी के लिए लाभप्रद हो और प्रत्यर्थी-दावेदारों के लिए नहीं । इसलिए यह स्पष्टतः साबित हो जाता है कि प्रतिकर की रकम में 20,00,00/- रुपए से अधिक की बढ़ोतरी की जानी चाहिए । मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि अपील में उठाई गई शिकायत का कोई विधिक आधार नहीं है और अधिर्निर्णीत रकम में समस्त पहलुओं पर विचार करते हुए व्यवधान किया जाना अपेक्षित नहीं है ।

12. उच्चतम न्यायालय द्वारा **सरला वर्मा** (उपरोक्त) वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिकरण के समक्ष कार्यवाही जांच की प्रकृति की होती है, जिसमें अत्यंत न्यून बातों को साबित किया जाना अपेक्षित होता है । इस मामले में न्यायालय द्वारा जो मताभिव्यक्ति की गई, वह निम्नलिखित है :-

> "मृत्यु के मामले में प्रतिकर निर्धारित किए जाने के लिए दावेदारों द्वारा आधारभूत रूप से केवल तीन तथ्यों को साबित किए जाने की आवश्यकता होती हैः (क) मृतक की आयु; (ख) मृतक की आय; और (ग) आश्रितों की संख्या । निर्भरता की हानि के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अधिकरण द्वारा विनिर्धारित विवाद्यक (i) आय का पता लगाने के लिए किए गए जोड़/कटौतियां; (ii) मृतक के व्यक्तिगत/जीविका के खार्चों के बाबत की जाने वाली कटौतियां; और (iii) मृतक की आयु के संदर्भ में लागू किया जाने वाला गुणांक ।"

13. विद्वान् अधिकरण ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मृतक के कुटुंब में 5 उत्तरजीवी सदस्य हैं, व्यक्तिगत खर्चों के मद में एक चौथाई रकम की कटौती की है, इसलिए कुल रकम 36,59,256/- रुपए हैं और इसका एक चौथाई 9,14,814/- रुपए होता है और इस रकम की कटौती के पश्चात् शेष रकम यह 27,44,442/- रुपए होती है । विद्वान् अधिकरण ने पारंपरिक खर्चों के मद में पर्याप्त रकम की बढ़ोत्तरी की है, जो 41,000/- रुपए होती है, अत: कुल रकम 27,85,442/- रुपए होती है ।

14. पूर्वोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिकर की कुल रकम जिसके दावेदार हकदार हैं, 27,85,442/- रुपए होगी । विद्वान् अधिकरण ने इस रकम की संगणना 27,85,496/- रुपए की है जो प्रतिकर राशि से 54 रुपए अधिक है और यह गणितीय त्रुटि प्रतीत होती है और तद्नुसार उसे शुद्ध करके 27,85,442/- रुपए किया जाता है ।

15. पूर्वोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, प्रतिकर की राशि को तद्नुसार शुद्ध किया जाता है और अपील का अंतत: निपटारा किया जाता है । यदि कोई स्थगनादेश पारित किया गया हो, तो उसे रिक्त किया जाता है ।

16. कार्यालय को अपील फाइल किए जाने के समय जमा की गई 25,000/- रुपए की रकम वापस किए जाने के लिए निर्देशित किया जाता है, जिसे अधिनिर्णीत रकम में समायोजित किया जाएगा ।

17. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित न्यायालय को सूचना और आवश्यक अनुपालन किए जाने के लिए उपलब्ध कराए ।

अपील का निपटारा किया गया ।

मही./शु.

राजस्थान राज्य

बनाम

संपत्त सिंह और अन्य

(2016 की एकल न्यायपीठ प्रथम सिविल अपील संख्या 293)

तारीख 19 जनवरी, 2019

न्यायमूर्ति महेंद्र महेश्वरी

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) [1 दिसंबर, 2004 को यथा विद्यमान] – धारा 96 – अपील न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आदेशात्मक भाग में संशोधन करते हुए वादियों को उनकी भूमि पर सड़क बनाए जाने के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत किए जाने का अवसर प्रदान किया जाना – यदि वादी निर्धारित अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आपत्ति नहीं प्रस्तुत करते, तो राज्य नियमानुसार सड़क बनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगा ।

संक्षेप में, प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादियों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करके अभिवचन किया गया कि ग्राम गिरधरपुर, तहसील भरतपुर में एक सार्वजनिक रास्ता वादपत्र में वर्णित खसरों से गुजर कर मरघट (शमशान) के लिए जाता है और यह रास्ता वादियों और उनके पूर्वजों द्वारा अपनी खातेदारी की आराजी के बीच छोड़ा हुआ है तथा पचास वर्षों से अधिक समय से कायम है, जिसका उक्त समय से वादीगण व समस्त ग्रामवासी निजी कार्यों व शमशान तक शव ले जाने के लिए उपयोग कर रहे हैं । वादपत्र के अनुसार प्रतिवादीगण उक्त रास्ते को नकार रहे हैं और इसे बंद करना चाहते हैं । अतः वांछित घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के क्रम में वाद डिक्री किए जाने की प्रार्थना की गई । प्रतिवादी संख्या-1 और 2 की तरफ से लिखित कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत

को नोटिस न दिए जाने के कारण वाद चलने योग्य नहीं है । लिखित कथन में यह अभिवचन भी किया गया कि खसरा संख्या 648 पर रास्ते की भूमि पर शमशान घाट के लिए सड़क निर्माण कराया जा रहा है । वादियों की आराजी में कोई भी निर्माण नहीं किया गया है । कृषि भूमि होने से अधीनस्थ न्यायालय को वाद की सुनवाई की अधिकारिता न होने का अभिवचन भी किया गया । दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद डिक्री कर आदेशित किया गया कि सड़क निर्माण से यदि वादियों के हित विपरित रूप से प्रभावित हो रहे हैं, तो वादी अपनी आपत्ति सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं और सक्षम अधिकारी आपत्तियों का लिखित में निस्तारण करें और तब तक प्रतिवादी किसी प्रकार का निर्माण कार्य न करें । उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थियों-प्रतिवादियों की ओर से यह अपील फाइल की गई । अपील का निपटारा करते हुए,

अभिनिर्धारित – के गुणागुण पर निस्तारण के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय, दोनों पक्षों के अभिवचनों और प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य की रोशनी में कथित स्थान, जहां सड़क बनाया जाना प्रस्तावित है, वह भू-भाग है, जिसके वादीगण व उसके पूर्वजों की खातेदारी में होने के नाते वादीगण को ही उपयोग में लेने का अधिकार है अथवा उक्त भू-भाग पर जनसाधारण के हित व उपयोग के लिए सड़क बनाई जा सकती है या नहीं, इस क्रम में दोनों पक्षों के मध्य विवाद की प्रकृति एवं जनसाधारण के हितों को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को आंशिक रूप से यथावत् रखा जाकर उसमें ये संशोधन किया जाना उचित प्रतीत होता है, यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आदेशात्मक भाग (operative part) में संशोधन करते हुए वादीगण को सक्षम अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु इस निर्णय से आगामी तीन माह की समयावधि निर्धारित की जाती है एवं निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत होने पर सक्षम अधिकारी दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिए जाने के पश्चात् प्रस्तुत आपत्ति को एक माह में निस्तारित करे । यह कि निर्धारित तीन

माह की अवधि में वादीगण की ओर से सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में अपीलार्थी-राज्य सरकार नियमानुसार सड़क बनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने को स्वतंत्र है । यह कि यदि वादीगण की ओर से प्रस्तुत आपत्ति पर सक्षम प्राधिकारी के आदेश से कोई पक्ष अपने आपको व्यथित महसूस करता है, तो विधि अनुसार कार्यवाही कर सकता है । (पैरा 11)

अपीली सिविल अधिकारिता : 2016 की एकल न्यायपीठ प्रथम सिविल अपील संख्या 293.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 96 के अधीन प्रथम अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सुश्री शीतल मिर्धा (अतिरिक्त महाधिवक्ता) और श्री प्रदीप सिंह

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री एन. के. सिंघल और बी. एस. कच्छवाहा

आदेश

अधीनस्थ न्यायालय, अपर जिला न्यायाधीश, क्रम संख्या 2, भरतपुर द्वारा 2004 के दीवानी वाद संख्या-47 में पारित निर्णय और डिक्री तारीख 21 अप्रैल, 2016 के विरुद्ध अपीलार्थी-प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है ।

2. अपील के निस्तारण के क्रम में संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण की ओर से वाद प्रस्तुत करके अभिवचन किया गया कि ग्राम गिरधरपुर, तहसील भरतपुर में एक सार्वजनिक रास्ता वादपत्र में वर्णित खसरों से गुजरकर मरघट (शमशान) के लिए पहुंचता है और यह रास्ता वादीगण एवं पूर्वजों द्वारा अपनी खातेदारी की आराजी के बीच छोड़ा हुआ है तथा पचास वर्षों से अधिक समय से कायम है, जिसका उक्त समय से वादीगण व समस्त ग्रामवासी निजी कार्य व शमशान तक शव ले जाने के लिए उपयोग कर रहे है । वादपत्र के अनुसार प्रतिवादीगण उक्त रास्ते को नकार रहे हैं एवं

इसे बंद करना चाहते हैं । अतः वांछित घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के क्रम में वाद डिक्री किए जाने की प्रार्थना की गई ।

3. प्रतिवादीगण संख्या-1 और 2 की तरफ से जवाबदावा प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत को नोटिस नहीं दिए जाने के कारण वाद चलने योग्य नहीं बताया गया । जवाबदावा में यह अभिवचन भी किया गया कि खसरा संख्या 648 में गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर शमशान घाट के लिए सड़क निर्माण कराया जा रहा है । वादीगण की आराजी में कोई भी निर्माण नहीं किया गया है । कृषि भूमि होने से अधीनस्थ न्यायालय को वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने का अभिवचन भी किया गया ।

4. प्रतिवादी संख्या-3 द्वारा अलग से जवाबदावा प्रस्तुत करते हुए प्रतिवादीगण संख्या-1 व 2 के जवाबदावा में वर्णित तथ्यों को मूल रूप से दोहराते हुए वाद खारिज किए जाने की प्रार्थना की गई ।

5. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आठ विवाद्यक कायम किए गए । साक्ष्य में वादीगण की ओर से तीन गवाह और प्रतिवादीगण की ओर से दो गवाह प्रस्तुत कर परीक्षित कराए गए ।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद डिक्री कर आदेशित किया गया कि सड़क निर्माण से यदि वादीगण के हित गलत रूप से प्रभावित हो रहे हैं तो वादीगण अपनी आपत्ति सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं और सक्षम अधिकारी आपत्तियों का लिखित में निस्तारण करें और तब तक प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करने से पाबंद किया गया । उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी-प्रतिवादीगण की ओर से यह अपील पेश की गई है ।

7. दोनों पक्षों ने निवेदन किया कि ग्रहणार्थ प्रक्रम पर ही अपील का निस्तारण कर दिया जाए । अतः दोनों पक्षों की बहस सुनी गई ।

8. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी का कथन रहा कि अधीनस्थ

न्यायालय का आक्षेपित निर्णय/आदेश, जिसके तहत संबंधित सड़क बनाए जाने के क्रम में रोक लगाई गई है, वह सड़क सार्वजनिक हित के लिए बनाई जा रही है और दूसरी ओर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में वादीगण को सक्षम अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है । ऐसी स्थिति में अनिश्चित काल के लिए सड़क निर्माण नहीं होने के परिणामस्वरूप जनसाधारण के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है । अतः अपील स्वीकार कर आक्षेपित निर्णय अपास्त किए जाने की प्रार्थना की गई ।

9. इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी-वादी का कथन रहा कि वे अधीनस्थ न्यायालय के निर्देशानुसार आवश्यक ऐतराज/आपत्ति प्रस्तुत करने को तैयार हैं, लेकिन इस क्रम में समुचित समय प्रदान किया जाए और आपत्ति अस्वीकार होने पर नियमानुसार कार्यवाही करने की छूट प्रदान की जाए ।

10. दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों की रोशनी में यह अपील विचारार्थ सुनवाई हेतु ग्रहण की जाती है ।

11. अपील के गुणागुण पर निस्तारण के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय, दोनों पक्षों के अभिवचनों और प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य की रोशनी में कथित स्थान, जहां सड़क बनाया जाना प्रस्तावित है, वह भू-भाग है, जिसके वादीगण व उसके पूर्वजों की खातेदारी में होने के नाते वादीगण को ही उपयोग में लेने का अधिकार है अथवा उक्त भू-भाग पर जनसाधारण के हित व उपयोग के लिए सड़क बनाई जा सकती है या नहीं, इस क्रम में दोनों पक्षों के मध्य विवाद की प्रकृति एवं जनसाधारण के हितों को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को आंशिक रूप से यथावत् रखा जाकर उसमें ये संशोधन किया जाना उचित प्रतीत होता है :-

> "1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आदेशात्मक भाग (operative part) में संशोधन करते हुए वादीगण को सक्षम अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु इस

निर्णय से आगामी तीन माह की समयावधि निर्धारित की जाती है एवं निर्धारित अवधि में आपत्ति प्रस्तुत होने पर सक्षम अधिकारी दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिए जाने के पश्चात् प्रस्तुत आपत्ति को एक माह में निस्तारित करे ।

2. यह कि निर्धारित तीन माह की अवधि में वादीगण की ओर से सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में अपीलार्थी-राज्य सरकार नियमानुसार सड़क बनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने को स्वतंत्र है ।

3. यहकि यदि वादीगण की ओर से प्रस्तुत आपत्ति पर सक्षम प्राधिकारी के आदेश से कोई पक्ष अपने आपको व्यथित महसूस करता है, तो विधि अनुसार कार्यवाही कर सकता है ।"

12. उपरोक्तानुसार अपील और स्थगन प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है ।

13. यह निर्णय आज तारीख 19 जनवरी, 2019 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348(1) के अधीन भारत सरकार की अधिसूचना राजपत्र संख्या-1, तारीख 02 जनवरी, 1999 और राजस्थान राजपत्र तारीख 10 मार्च, 1971 के तहत हिन्दी भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत किए जाने के परिणामस्वरूप हिन्दी भाषा में लिखाया गया ।

अपील का निपटारा किया गया ।

मही./शु.

आई. सी. आई. सी. आई. लोम्बार्ड जनरल एश्योरेंस कम्पनी लि.

बनाम

श्रीमती भवानी देवी और अन्य

(2012 का प्रथम अपील प्रथम आदेश आवेदन संख्या 368)

तारीख 16 अप्रैल, 2019

न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल

मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) – धारा 173 और 183 – मोटर यान दुर्घटना अधिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय के विरुद्ध अपील – चालन अनुज्ञप्ति का आरंभिकत: जाली अभिकथित किया जाना चालन बीमा कंपनी ने इस तथ्य को न्यायालय में साबित नहीं किया कि चालन अनुज्ञप्ति जाली है और फिर उसने चालक को यान चालन की अनुज्ञा प्रदान की – अभिलेख पर यह प्रदर्शित किए जाने के प्रयोजनार्थ कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं पाई गई कि यान का स्वामी किसी भी प्रक्रम पर इस तथ्य के बाबत जागरूक नहीं था कि चालक द्वारा धारित अनुज्ञप्ति आरंभ से ही जाली थी, अत: यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि विद्वान् आयुक्त ने बीमाकर्ता पर बीमाकृत की क्षतिपूर्ति का दायित्व अधिरोपित करके त्रुटि कारित की ।

वर्तमान अपील के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ आवश्यक संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि श्रीमती भवानी देवी, पत्नी स्वर्गीय श्री कृष्ण नेगी ने कर्मकार प्रतिकर अधिनियम की धारा 22 के अधीन आवेदन प्रतिकर मंजूर किए जाने के प्रयोजनार्थ अन्य बातों के साथ-साथ इन आधारों पर फाइल किया कि दावेदार के पति मृतक कृष्ण नेगी को मोटर यान संख्या एच. पी. 01ए 1185 के चालन हेतु श्री संजय कुमार (विद्वान् आयुक्त के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1) द्वारा नियुक्त किया गया था । इस नियोजन के दौरान मृतक की तारीख 24 अगस्त, 2007 को घटित दुर्घटना, जो हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी की चचीओट तहसील में सरोहा के निकट खयोग नाला नामक स्थान पर घटित हुई थी, में मृत्यु हो गई थी । दुर्घटना घटित होने के समय यान का चालन मृतक द्वारा

किया जा रहा था । दावेदार का पक्षकथन यह था कि मृत्यु के समय मृतक की मासिक मजदूरी 4,000/- रुपए थी और इसके अतिरिक्त उसको खुराक के लिए 50/- रुपए प्रतिदिन संदाय किया जाता था । मृतक की मृत्यु के समय आयु 24 वर्ष थी । नियोजक को सम्यक् रूप से सूचना भेजी गई थी । दुर्घटना का तथ्य और साथ ही मृतक कर्मकार की मृत्यु का तथ्य नियोजक की जानकारी में था । नियोजक द्वारा मोटर यान बीमा कंपनी-अपीलार्थी (विद्वान् आयुक्त के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 2) द्वारा बीमित था । नियोजक ने कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन मृतक का बीमा उपरोक्त बीमा कंपनी से कराया था । चूंकि नियोजक दावेदार की क्षतिपूर्ति करने में विफल रहा, इसलिए दुर्घटना अभिकरण के समक्ष दावा याचिका फाइल की गई । विद्वान् आयुक्त द्वारा दावा याचिका प्रतिकर देय होने की तारीख से संदाय की तारीख तक 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित 3,20,355/- रुपए का प्रतिकर अधिनिर्णीत करते हुए मंजूर कर ली गई । विद्वान् आयुक्त द्वारा पारित अधिनिर्णय को बीमा कंपनी द्वारा इस अपील के माध्यम से चुनौती दी गई है । इस अपील को विधि के इस सारभूत प्रश्न के आधार पर तारीख 13 सितंबर, 2012 को विचारार्थ ग्रहण किया गया, 'क्या बीमा कंपनी बीमित की क्षतिपूर्ति की दायी है और चालन अनुज्ञप्ति नवीकरण हो जाने पर विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति मानी जाएगी, वह भी तब जबकि मूल अनुज्ञप्ति जाली थी ?' अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – क्या अभिलेख पर उपलब्ध बीमा पालिसी में यह प्रदर्शित किए जाने के प्रयोजनार्थ कोई तत्व समाविष्ट है कि यान के चालक के पास यान के चालन के प्रयोजनार्थ विधिमान्य अनुज्ञप्ति नहीं थी, जो यान के स्वामी द्वारा चालक को हस्तगत कर दी गई थी, तो निश्चित रूप से आयुक्त बीमाकृत की क्षतिपूर्ति का दायित्य बीमा कंपनी पर अधिरोपित नहीं कर सकता था । तथापि, वर्तमान मामले में ऐसा नहीं हैं । अभिलेख पर ऐसा कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि यान के स्वामी को इस बात की जानकारी थी कि यान के चालक की चालन अनुज्ञप्ति जाली अनुज्ञप्ति थी । इसके अतिरिक्त, बीमाकर्ता द्वारा यान के स्वामी की प्रतिपरीक्षा के परिशीलन से यह प्रदर्शित होता है कि यान के स्वामी को ऐसा कोई भी सुझाव नहीं दिया गया कि उसे इस तथ्य की

जानकारी थी कि या तो यान का चालक जाली चालन अनुज्ञप्ति धारण कर रहा था, जिसका बाद में नवीकरण कराया गया था या उस तारीख को, जब दुर्घटना घटित हुई, उसको इस तथ्य की जानकारी थी कि चालक के पास विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति नहीं थी । माननीय उच्चतम न्यायालय ने राम चन्द्र सिंह बनाम राजाराम और अन्य वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि स्वामी को तथ्य की जानकारी थी कि चालन अनुज्ञप्ति जाली है, तो बीमाकर्ता (अपने दायित्व से) मुक्त हो जाएगा । तथापि, मात्र इस तथ्य के आधार पर कि चालन अनुज्ञप्ति जाली है, बीमाकर्ता मुक्त नहीं होगा । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि को ध्यान में रखते हुए जो एकमात्र निष्कर्ष निकाला जा सकता है, यह है कि यदि इस बाबत उपधारण कर ली जाती है कि वह अनुज्ञप्ति, जिसके कब्जे में चालक था, आरंभिकत: जाली अनुज्ञप्ति थी, फिर भी जब तक बीमा कंपनी ने इस बात को न्यायालय में साबित नहीं कर दिया कि यह तथ्य यान के स्वामी के संज्ञान में था, जिसके उक्त तथ्य के बाबत जागरूक होने के बावजूद कि चालक के कब्जे वाली अनुज्ञप्ति जाली अनुज्ञप्ति है, चालक को यान के चालन की अनुज्ञा प्रदान की, उसको उसके दायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता । चूंकि अभिलेख पर यह प्रदर्शित किए जाने के प्रयोजनार्थ कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं है कि वर्तमान मामले में यान का स्वामी किसी भी प्रक्रम पर इस तथ्य के बाबत जागरुक नहीं था कि चालक द्वारा धारित अनुज्ञप्ति आरंभ से ही जाली अनुज्ञप्ति थी, तो यह नहीं कहा जा सकता कि विद्वान् आयुक्त ने बीमाकर्ता पर बीमाकृत की क्षतिपूर्ति किए जाने का दायित्व अधिरोपित करके कोई त्रुटि कारित की । तद्नुसार, विधि के सारभूत प्रश्न का उत्तर दिया जाता है । (पैरा 15, 16 और 17)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2018] (2018) 8 एस. सी. सी. 799 :
राम चन्द्र सिंह बनाम **राजाराम और अन्य** । 16

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2012 का प्रथम अपील प्रथम आदेश आवेदन संख्या 368.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री जगदीश ठाकुर,

प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से श्री नवीन के. भारद्वाज

प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से सुश्री किरण धीमन

न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल – अपीलार्थी बीमा कंपनी ने इस अपील के द्वारा 2007 के मामला संख्या 11, **श्रीमती भवानी** बनाम **श्री संजय कुमार और एक अन्य** वाले मामले में हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पिती, कुल्लू के विद्वान् कर्मकार प्रतिकर आयुक्त द्वारा तारीख 16 मई, 2012 को पारित अधिनिर्णय, जिसके द्वारा कर्मकार प्रतिकर अधिनियम की धारा 22 के अधीन फाइल किए गए आवेदन को विद्वान् आयुक्त द्वारा निम्नलिखित निबंधनों के अन्तर्गत मंजूर किया था, को यह कहते हुए चुनौती दी है :-

> "25. पूर्वोक्त विवाद्यकों पर निकाले गए निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए आवेदन मंजूर किया जाता है और 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज, जो उस तारीख से, जब संदेय होगा, उस व्यक्ति तक, जब अधिनिर्णीत रकम का संदाय प्रत्यर्थी संख्या 2 के पक्ष में किया जाएगा, के साथ 3,20,355/- रुपए के प्रतिकर का अधिनिर्णय मंजूर किया जाता है । प्रत्यर्थी/अपीलार्थी मृतक के नियोजक, प्रत्यर्थी संख्या 1 से प्रतिकर की रकम पर 50 प्रतिशत की शास्ति का भी हकदार होगा । प्रत्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे आज की तारीख से 60 दिनों के भीतर उक्त रकम जमा करें ।"

2. वर्तमान अपील के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ आवश्यक संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि श्रीमती भवानी देवी, पत्नी स्वर्गीय श्री कृष्ण नेगी ने आवेदन प्रतिकर मंजूर किए जाने के लिए कर्मकार प्रतिकर अधिनियम की धारा 22 के अधीन अन्य बातों के साथ-साथ इन आधारों पर आवेदन फाइल किया कि दावेदार के पति मृतक कृष्ण नेगी को मोटर यान संख्या एच. पी. 01ए 1185 के चालन हेतु श्री संजय कुमार (विद्वान् आयुक्त के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1) द्वारा यान संख्या एच. पी. 01ए 1185 के चलान के लिए चालक के रूप में नियुक्त किया गया था । इस नियोजन के दौरान मृतक ने तारीख 24 अगस्त, 2007 को घटित दुर्घटना, जो

हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी की चचीओट तहसील में सरोहा के निकट खयोग नाला नामक स्थान पर घटित हुई थी, में अपना जीवन गवा दिया था । दुर्घटना घटित होने के समय यान का चालन मृतक द्वारा किया जा रहा था । दावेदार का पक्षकथन यह था कि मृत्यु के समय मृतक की मासिक मजदूरी 4,000/- रुपए थी और इसके अतिरिक्त उसको खुराक के लिए 50/- रुपए प्रतिदिन संदाय किया जाता था । मृतक की मृत्यु के समय आयु 24 वर्ष थी । नियोजक को सम्यक् रूप से सूचना भेजी गई थी । दुर्घटना का तथ्य और साथ ही मृतक कर्मकार की मृत्यु का तथ्य नियोजन की जानकारी में था । नियोजक द्वारा मोटर यान एश्योरेंस कंपनी-अपीलार्थी (विद्वान् आयुक्त के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 2) द्वारा बीमित था । नियोजक ने कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन मृतक का बीमा उपरोक्त बीमा कंपनी से कराया था । चुंकि नियोजक दावेदार की क्षतिपूर्ति करने में विफल रहा, इसलिए दावा याचिका फाइल की गई ।

3. प्रत्यर्थियों द्वारा दावे का विरोध किया गया । यद्यपि नियोजक ने यह स्वीकार किया कि मृतक कृष्ण नेगी, जिसकी तारीख 24 अगस्त, 2007 को उक्त यान का चालन करते हुए मृत्यु हो गई थी, का मासिक वेतन 3,000/- रुपए प्रतिमास था, न कि 4,000/- रुपए, जैसा कि दावेदार द्वारा अभिकथित किया गया है । नियोजक का पक्षकथन आगे यह था कि चूंकि प्रश्नगत यान बीमा कंपनी द्वारा पूर्णरूप से बीमित था, इसलिए प्रतिकर, यदि कोई हो, का संदाय करने का दायित्व, बीमा कंपनी का था ।

4. बीमा कंपनी द्वारा पृथक् प्रत्युत्तर फाइल करते हुए दावे का विरोध अन्य बातों के साथ इस आधार पर किया गया कि बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों का घोर उल्लंघन किया गया है । इस बात से इनकार नहीं किया गया कि मृतक को मासिक वेतन के रूप में 4,000/- रुपए और दैनिक खुराक के रूप में 50/- रुपए की रकम का संदाय किया जाता था ।

5. विद्वान् आयुक्त ने पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर, निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किए :-

"1. क्या मृतक कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अर्थांतर्गत कर्मकार था ? यदि नहीं, तो इसके प्रभाव ।

2. क्या दुर्घटना नियोजन के दौरान घटित हुई थी ? यदि नहीं, तो इसके प्रभाव ।

3. क्या याची प्रतिकर का हकदार है, जैसाकि अभिकथन किया गया है ? यदि नहीं, तो इसके प्रभाव ।

4. क्या याची मृतक का विधिक उत्तराधिकारी/आश्रित है ? यदि नहीं, तो इसके प्रभाव ।

5. क्या मृतक दुर्घटना के समय विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति धारक नहीं था ? यदि हां, तो इसके प्रभाव ।

6. क्या याचिका आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के कारण दूषित है ? यदि हां, तो इसके प्रभाव ।

7. क्या प्रत्यर्थी संख्या 1 बीमा पालिसी के नियमों और शर्तों के घोर उल्लंघन का दोषी है ? यदि हां, तो इसके प्रभाव ।

8. क्या कर्मकार प्रतिकर अधिनियम की धारा 10 के अधीन सूचना दी गई थी ? यदि हां, तो इसके प्रभाव ।

9. कोई अन्य अनुतोष ।"

6. पक्षकारों द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर विरचित किए गए उपरोक्त विवाद्यकों का उत्तर दिया गया, जो इस प्रकार है :-

विवाद्यक संख्या 1 : हां

विवाद्यक संख्या 2 : हां

विवाद्यक संख्या 3 : हां

विवाद्यक संख्या 4 : नहीं

विवाद्यक संख्या 5 : नहीं

विवाद्यक संख्या 6 : नहीं

विवाद्यक संख्या 7 : नहीं

विवाद्यक संख्या 8 : नहीं

अनुतोष : आवेदन निर्णय के क्रियान्वयन वाले भाग के अनुसार मंजूर किया जाता है ।

7. तद्नुसार विद्वान् आयुक्त द्वारा दावा याचिका प्रतिकर देय होने की तारीख से संदाय की तारीख तक 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित 3,20,355/- रुपए की रकम अधिनिर्णीत करते हुए मंजूर कर ली गई । दावेदार को प्रत्यर्थी संख्या 1 अर्थात् मृतक को नियोक्ता से प्रतिकर की रकम पर 50 प्रतिशत की सीमा तक शास्ति पाने का भी हकदार अभिनिर्धारित किया गया ।

8. विद्वान् आयुक्त द्वारा पारित अधिनिर्णय को बीमा कंपनी द्वारा इस अपील के माध्यम से चुनौती दी गई । नियोक्ता द्वारा इस अधिनिर्णय को चुनौती नहीं दी गई । इस अपील को विधि के निम्नलिखित सारभूत प्रश्न के आधार पर तारीख 13 सितंबर, 2012 को विचारार्थ ग्रहण किया गया :-

> "क्या बीमा कंपनी बीमित की क्षतिपूर्ति की दायी है और चालन अनुज्ञप्ति नवीकरण हो जाने पर विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति मानी जाएगी, वह भी तब जबकि मूल अनुज्ञप्ति जाली थी ?"

9. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह तर्क दिया कि वास्तव में विद्वान् आयुक्त द्वारा पारित अधिनिर्णय विधि की दृष्टि में कायम रखे जाने योग्य नहीं है, चूंकि विवाद्यक संख्या 5 का उत्तर देते हुए निष्कर्ष, जो विद्वान् आयुक्त द्वारा निकाले गए, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के विपरीत हैं । विद्वान् काउंसले ने अपीलार्थी द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेजों को निर्दिष्ट करते हुए यह तर्क दिया कि चूंकि इस मामले के अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि मृतक की चालन अनुज्ञप्ति, जैसीकि वर्ष 2006 में नवीकरण के पूर्व विद्यमान थी, जाली अनुज्ञप्ति थी, इसलिए प्रतिकर संदाय का दायित्व बीमा कंपनी पर नहीं डाला जाना चाहिए था, क्योंकि बीमाकर्ता बीमा पालिसी के नियमों और शर्तों के भंग को ध्यान में रखते हुए, बीमाकृत की क्षतिपूर्ति के लिए बाध्य नहीं था ।

10. किसी अन्य मुद्दे पर तर्क नहीं दिए गए ।

11. इसके विपरीत, प्रत्यर्थियों के विद्वान् काउंसेल ने यह तर्क दिया कि विद्वान् आयुक्त द्वारा पारित अधिनिर्णय में कोई शैथिल्य नहीं है, चूंकि विवाद्यक संख्या 5 को विनिश्चित करते हुए निकाले गए निष्कर्ष मामले के अभिलेख के आधार पर स्पष्ट रूप से साबित हो गए हैं । उन्होंने निवेदन किया कि अभिलेख के आधार पर यह स्पष्ट है कि मृतक पिछले अनेक वर्षों से वाहन चालन के कार्य में संलग्न था और वह निपुण चालक था । उन्होंने आगे निवेदन किया कि अभिलेख के आधार पर यह भी स्पष्ट है कि उस तारीख को, जब दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना घटित हुई, प्रश्नगत यान बीमा कंपनी से विधिवत रूप से बीमाकृत था और मृतक कृष्ण नेगी प्रश्नगत यान, जो दुर्घटना में अतर्वलित था, के चालन अनुज्ञप्ति का धारक था और उसकी उक्त अनुज्ञप्ति तारीख 12 जून, 2006 से 11 जून, 2009 तक विधिमान्य थी । उन्होने आगे तर्क दिया कि अपीलार्थी-कंपनी का पक्षकथन यह नहीं है कि इन तारीखों के दौरान मृतक की अनुज्ञप्ति, जिसका अवलंब लिया गया, जाली अनुज्ञप्ति पाई गई थी ।

12. मैंने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुना और अधिनिर्णय और मामले के अभिलेख का परिशीलन किया ।

13. मामले के उपलब्ध अभिलेख के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि विवाद्यक संख्या 5, जिसको विद्वान् आयुक्त द्वारा विरचित किया गया यह था कि क्या मृतक दुर्घटना के समय विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति धारक था ? अभिलेख से यह स्पष्ट हो जाता है कि उस तारीख को अर्थात् 24 अगस्त, 2007 को जब दुर्घटना घटित हुई, मृतक चालन अनुज्ञप्ति का धारक था । यह विवादित नहीं है कि चालन अनुज्ञप्ति के निबंधनों, जो तारीख 12 जून, 2006 से 11 जून, 2009 तक विधिमान्य थी, के अनुसार मृतक उस यान का चालन करने के लिए प्राधिकृत था, जो दुर्घटना में अंतर्वलित था । अब इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए न्यायालय को जिस बात पर विचार करना है, वह यह है कि क्या अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल की यह दलील मान्य ठहराए जाने योग्य है या नही कि अधिनिर्णय इस आधार पर अपास्त किए जाने योग्य है कि अभिलेख पर यह प्रदर्शित किए जाने के प्रयोजनार्थ पर्याप्त सामग्री थी कि क्या वह अनुज्ञप्ति, जिसका नवीकरण किया गया, जाली अनुज्ञप्ति थी ?

14. मैं पुनरावृत्ति करता हूं कि दुर्घटना की तारीख 24 अगस्त, 2007 थी । उस तारीख को, जब दुर्घटना घटित हुई, मृतक के पक्ष में जारी (चालन) अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता तारीख 12 जून, 2006 से 11 जून, 2009 तक थी । मेरी सुविचारित मत में विरचित किए गए विधि के सारभूत प्रश्न का उत्तर देते हुए, इस न्यायालय को जिस बात पर विचार करना है, वह यह है कि क्या बीमित व्यक्ति द्वारा बीमा पालिसी के निबंधनों और शर्तों का अभिव्यक्त रूप से और जानबूझ कर उल्लंघन किया गया था या नहीं । बीमा पालिसी प्रदर्श डी. 2 के रूप में अभिलेख पर उपलब्ध है । यह बीमा पालिसी तारीख 10 अप्रैल, 2007 से तारीख 9 अप्रैल, 2008 तक विधिमान्य थी । अब क्या वह चालक, जो यान का चालन कर रहा था और जिसकी दुर्भाग्यवश दुर्घटना में मृत्यु हो गई, चालन अनुज्ञप्ति धारक था ।

15. क्या अभिलेख पर उपलब्ध बीमा पालिसी में यह प्रदर्शित किए जाने के प्रयोजनार्थ कोई तत्व समाविष्ट है कि यान के चालक के पास यान के चालन के प्रयोजनार्थ विधिमान्य अनुज्ञप्ति नहीं थी, जो यान के स्वामी द्वारा चालक को हस्तगत की गई थी, तो निश्चित रूप से आयुक्त बीमाकृत की क्षतिपूर्ति का दायित्व बीमा कंपनी पर अधिरोपित नहीं कर सकता था । तथापि, वर्तमान मामले में ऐसा नहीं है । अभिलेख पर ऐसा कोई भी, साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि यान के स्वामी को इस बात की जानकारी थी कि चालक की चालन अनुज्ञप्ति जाली थी । इसके अतिरिक्त, बीमाकर्ता द्वारा यान के स्वामी की प्रतिपरीक्षा के परिशीलन से यह प्रदर्शित होता है कि यान के स्वामी को ऐसा कोई भी सुझाव नहीं दिया था कि उसे इस तथ्य की जानकारी थी कि या तो यान का चालक जाली चालन अनुज्ञप्ति धारण कर रहा था, जिसका बाद में नवीकरण कराया गया था या उस तारीख को, जब दुर्घटना घटित हुई, उसको इस तथ्य की जानकारी थी कि चालक के पास विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति नहीं थी ।

16. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **राम चन्द्र सिंह** बनाम **राजाराम और अन्य**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि

---

[1] (2018) 8 एस. सी. सी. 799.

यान के स्वामी को इस तथ्य की जानकारी थी कि चालन अनुज्ञप्ति जाली थी, तो बीमाकर्ता (अपने दायित्व से) मुक्त हो जाएगा । तथापि, मात्र इस तथ्य के आधार पर कि चालन अनुज्ञप्ति जाली है, बीमाकर्ता मुक्त नहीं होगा ।

17. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि को ध्यान में रखते हुए जो एकमात्र निष्कर्ष निकाला जा सकता है, यह है कि यदि इस बाबत उपधारण कर ली जाती है कि वह अनुज्ञप्ति, जिसके कब्जे में चालक था, आरंभिकत: जाली अनुज्ञप्ति थी, फिर भी जब तक बीमा कंपनी ने इस बात को न्यायालय में साबित नहीं कर दिया कि यह तथ्य यान के स्वामी के संज्ञान में था, जिसके उक्त तथ्य के बाबत जागरुक होने के बावजूद कि चालक के कब्जे वाली अनुज्ञप्ति जाली है, चालक को यान के चालन की अनुज्ञा प्रदान कर दी, उसको उसके दायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता । चूंकि अभिलेख पर यह प्रदर्शित किए जाने के प्रयोजनार्थ कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं है कि वर्तमान मामले में यान का स्वामी किसी भी प्रक्रम पर इस तथ्य के बाबत जागरुक नहीं था कि चालक द्वारा धारित अनुज्ञप्ति आरंभ से ही जाली अनुज्ञप्ति थी, तो यह नहीं कहा जा सकता कि विद्वान् आयुक्त ने बीमाकर्ता पर बीमाकृत की क्षतिपूर्ति किए जाने का दायित्व अधिरोपित करके त्रुटि कारित की । तद्नुसार, विधि के सारभूत प्रश्न का उत्तर दिया जाता है ।

18. तद्नुसार, चूंकि यह न्यायालय वर्तमान अपील में कोई गुणागुण नहीं पाती, इस अपील को खारिज किया जाता है और साथ ही यदि कोई प्रकीर्ण आवेदन लंबित हो, तो उसे भी खारिज किया जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

मही./शु.

संसद् के अधिनियम

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005

(2005 का अधिनियम संख्यांक 53)

[23 दिसंबर, 2005]

आपदाओं के प्रभावी प्रबन्धन और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ - (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ; और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए और भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी राज्य के संबंध में इस अधिनियम के किसी उपबंध के प्रारम्भ के प्रति किसी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में उस उपबंध के प्रारम्भ के प्रतिनिर्देश है ।

2. परिभाषाएं - इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) "प्रभावित क्षेत्र" से देश का ऐसा क्षेत्र या भाग अभिप्रेत है जो किसी आपदा से प्रभावित है ;

(ख) "क्षमता निर्माण" के अन्तर्गत निम्नलिखित है -

(i) विद्यमान संसाधनों और अर्जित या सृजित किए जाने वाले संसाधनों की पहचान ;

(ii) उपखंड (i) के अधीन पहचान किए गए संसाधनों को अर्जित करना या सृजित करना ;

(iii) आपदाओं के प्रभावी प्रबन्धन के लिए कार्मिक का गठन और प्रशिक्षण तथा ऐसे प्रशिक्षण का समन्वयन ;

(ग) "केन्द्रीय सरकार" से भारत सरकार का ऐसा मंत्रालय या विभाग अभिप्रेत है जिसका आपदा प्रबन्धन पर प्रशासनिक नियंत्रण है ;

(घ) "आपदा" से किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानवकृत कारणों से या दुर्घटना या उपेक्षा से उद्भूत ऐसी कोई महाविपत्ति, अनिष्ट, विपत्ति या घोर घटना अभिप्रेत है जिसका परिणाम जीवन की सारवान् हानि या मानवीय पीड़ाएं, या संपत्ति का नुकसान और विनाश या पर्यावरण का नुकसान या अवक्रमण है और ऐसी प्रकृति या परिमाण का है, जो प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की सामना करने की क्षमता से परे है ;

(ङ) "आपदा प्रबन्धन" से योजना, संगठन, समन्वयन और कार्यान्वयन की निरन्तर और एकीकृत प्रक्रिया अभिप्रेत है जो निम्नलिखित के लिए आवश्यक या समीचीन हैं –

(i) किसी आपदा के खतरे या उसकी आशंका का निवारण ;

(ii) किसी आपदा या उसकी गंभीरता या उसके परिणामों के जोखिम का शमन या कमी ;

(iii) क्षमता निर्माण ;

(iv) किसी आपदा से निपटने के लिए तैयारियां ;

(v) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा से तुरन्त बचाव ;

(vi) किसी आपदा के प्रभाव की गंभीरता या परिमाण का निर्धारण ;

(vii) निष्क्रमण, बचाव और राहत ;

(viii) पुनर्वास और पुनर्निर्माण ;

(च) "जिला प्राधिकरण" से धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन गठित जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(छ) "जिला योजना" से धारा 31 के अधीन जिले के लिए तैयार की गई आपदा प्रबन्धन योजना अभिप्रेत है ;

(ज) "स्थानीय प्राधिकारी" के अतंर्गत पंचायती राज संस्थाएं, नगरपालिकाएं, जिला बोर्ड, छावनी बोर्ड, नगर योजना प्राधिकारी या जिला परिषद् या किसी भी नाम से ज्ञात कोई अन्य निकाय या प्राधिकारी है जिनमें तत्समय विधि द्वारा किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के भीतर आवश्यक सेवाएं प्रदान करने की नागरिक सेवाओं के नियंत्रण और प्रबन्धन सहित शक्तियां विनिहित की गई हैं ;

(झ) "शमन" से किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति के जोखिम, समाघात या प्रभाव को कम करने के लिए आशयित उपाय अभिप्रेत है ;

(ञ) "राष्ट्रीय प्राधिकरण" से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(ट) "राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति" से धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति अभिप्रेत है ;

(ठ) "राष्ट्रीय योजना" से धारा 11 के अधीन संपूर्ण देश के लिए तैयार की गई आपदा प्रबन्धन योजना अभिप्रेत है ;

(ड) "तैयारी" से किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तैयार रहने की स्थिति अभिप्रेत है ;

(ढ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ण) "पुनर्निर्माण" से आपदा के पश्चात् किसी संपत्ति का सन्निर्माण या प्रत्यावर्तन अभिप्रेत है ;

(त) "संसाधन" के अन्तर्गत जनशक्ति, सेवाएं, सामग्री और रसद भी हैं ;

(थ) "राज्य प्राधिकरण" से धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत उस धारा के अधीन गठित संघ राज्यक्षेत्र का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी है ;

(द) "राज्य कार्यकारिणी समिति" से धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति अभिप्रेत है ;

(ध) "राज्य सरकार" से राज्य सरकार का वह विभाग अभिप्रेत है जिसका आपदा प्रबंधन पर प्रशासनिक नियंत्रण है और उसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त किया गया किसी संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक भी है ;

(न) "राज्य योजना" से धारा 23 के अधीन संपूर्ण राज्य के लिए तैयार की गई आपदा प्रबन्धन योजना अभिप्रेत है ।

अध्याय 2

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

3. राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना – (1) ऐसी तारीख से जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नाम से ज्ञात एक प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी ।

(2) राष्ट्रीय प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और नौ से अनधिक उतने सदस्य होंगे जितने केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं और जब

तक कि नियमों में अन्यथा उपबंधित न किया जाए, राष्ट्रीय प्राधिकरण में निम्नलिखित होंगे :–

(क) भारत का प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रीय प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होगा ;

(ख) नौ से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य जो राष्ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे ।

(3) राष्ट्रीय प्राधिकरण का अध्यक्ष उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों में से एक सदस्य को राष्ट्रीय प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप से पदाभिहित कर सकेगा ।

(4) राष्ट्रीय प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं ।

4. राष्ट्रीय प्राधिकरण के अधिवेशन – (1) राष्ट्रीय प्राधिकरण का अधिवेशन जब भी आवश्यक हो, ऐसे समय और स्थान पर होगा, जिसे राष्ट्रीय प्राधिकरण का अध्यक्ष ठीक समझे ।

(2) राष्ट्रीय प्राधिकरण का अध्यक्ष राष्ट्रीय प्राधिकरण के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा ।

(3) यदि राष्ट्रीय प्राधिकरण का अध्यक्ष किसी कारण से राष्ट्रीय प्राधिकरण के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ है तो राष्ट्रीय प्राधिकरण का उपाध्यक्ष उस अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा ।

5. राष्ट्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति – केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय प्राधिकरण को उतने अधिकारी, परामर्शदाता और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने वह राष्ट्रीय प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे ।

6. राष्ट्रीय प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य – (1) राष्ट्रीय प्राधिकरण इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आपदा का समय पर और प्रभावी मोचन सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां, योजनाएं और मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राष्ट्रीय प्राधिकरण, –

(क) आपदा प्रबन्धन के संबंध में नीतियां अधिकथित कर सकेगा ;

(ख) राष्ट्रीय योजना का अनुमोदन कर सकेगा ;

(ग) भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा राष्ट्रीय योजना के अनुसार तैयार की गई योजनाओं का अनुमोदन कर सकेगा ;

(घ) राज्य योजना तैयार करते समय राज्य प्राधिकरणों द्वारा अनुसरित किए जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा ;

(ङ) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों द्वारा अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा के निवारण या उसके प्रभावों के शमन के उपायों के एकीकरण के प्रयोजनों के लिए अपनाए जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा ;

(च) आपदा प्रबन्धन के लिए नीति और योजना के प्रवर्तन और कार्यान्वयन को समन्वित कर सकेगा ;

(छ) शमन के प्रयोजन के लिए निधियों की व्यवस्था करने की सिफारिश कर सकेगा ;

(ज) बड़ी आपदाओं से प्रभावित अन्य देशों को ऐसी सहायता उपलब्ध करा सकेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए ;

(झ) आपदा के निवारण या शमन या आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा से निपटने के लिए तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए ऐसे अन्य उपाय कर सकेगा, जिन्हें वह आवश्यक समझे ;

(ञ) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कार्यकरण के लिए विस्तृत नीतियां और मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा ।

(3) राष्ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष को, आपात की दशा में, राष्ट्रीय प्राधिकरण की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति होगी

किन्तु ऐसी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा कार्योत्तर अनुसमर्थन के अध्यधीन होगा ।

7. राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा सलाहकार समिति का गठन – (1) राष्ट्रीय प्राधिकरण आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर सिफारिशें करने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन कर सकेगा, जिसमें आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में विशेषज्ञ और राष्ट्रीय, राज्य या जिला स्तर पर आपदा प्रबन्धन में व्यावहारिक अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ होंगे ।

(2) सलाहकार समिति के सदस्यों को ऐसे भत्तों का संदाय किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्राधिकरण के परामर्श से विहित किए जाएं ।

8. राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का गठन – (1) केन्द्रीय सरकार, धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी किए जाने के ठीक पश्चात्, राष्ट्रीय प्राधिकरण को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का गठन करेगी ।

(2) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :–

(क) भारत सरकार का ऐसा सचिव जो भारत सरकार के ऐसे मंत्रालय या विभाग का भारसाधक है, जिसका आपदा प्रबन्धन पर प्रशासनिक नियंत्रण है और जो पदेन अध्यक्ष होगा,

(ख) भारत सरकार के ऐसे सचिव जो भारत सरकार के ऐसे मंत्रालयों या विभागों के भारसाधक हैं, जिनका कृषि, परमाणु ऊर्जा, रक्षा, पीने का जल प्रदाय, पर्यावरण और वन, वित्त (व्यय), स्वास्थ्य, विद्युत, ग्रामीण विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, दूरसंचार, शहरी विकास, जल संसाधन पर प्रशासनिक नियंत्रण है और चीफ्स आफ स्टाफ कमेटी के समन्वित सुरक्षा कर्मचारिवृन्द का प्रमुख, पदेन सदस्य ।

(3) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के किसी के अधिवेशन में भाग लेने के लिए केन्द्रीय सरकार या

राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी को आमंत्रित कर सकेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का निर्वहन कर सकेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्राधिकरण के परामर्श से विहित किए जाएं ।

(4) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के निर्वहन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

9. उपसमितियों का गठन – (1) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, जब भी वह अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक समझे, एक या अधिक उपसमितियों का गठन कर सकेगी ।

(2) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, अपने सदस्यों में से किसी को उपधारा (1) में निर्दिष्ट उपसमिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगी ।

(3) किसी उपसमिति के साथ विशेषज्ञ के रूप में सहयोजित किसी व्यक्ति को ऐसे भत्ते, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, संदत्त किए जा सकेंगे ।

10. राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की शक्तियां और कृत्य – (1) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, राष्ट्रीय प्राधिकरण को उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करेगी और राष्ट्रीय प्राधिकरण की नीतियों तथा कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगी तथा देश में आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का पालन सुनिश्चित करेगी ।

(2) उपधारा (1) अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति –

(क) आपदा प्रबन्धन के लिए समन्वय और मानिटरी निकाय के रूप में कार्य कर सकेगी ;

(ख) राष्ट्रीय योजना तैयार कर सकेगी जिनका राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन किया जाएगा ;

(ग) राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन का समन्वय और उसे मानिटर कर सकेगी ;

(घ) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों और राज्य प्राधिकरणों द्वारा आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगी ;

(ङ) राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार अपनी आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करने के लिए राज्य सरकारों और राज्य प्राधिकरणों को आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगी ;

(च) राष्ट्रीय योजना और भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा तैयार की गई योजनाओं के कार्यान्वयन को मानिटर कर सकेगी ;

(छ) मंत्रालयों या विभागों द्वारा उनकी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा निवारण और उसके शमन के लिए उपायों के एकीकरण के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के कार्यान्वयन को मानिटर कर सकेगी ;

(ज) सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों और अभिकरणों द्वारा किए जाने वाले शमन और तैयारी, उपायों के संबंध में मानिटर कर सकेगी, समन्वय कर सकेगी और निदेश दे सकेगी ;

(झ) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन के प्रयोजन के लिए सभी सरकारी स्तरों पर तैयारी का मूल्यांकन कर सकेगी, और जहां आवश्यक हो, ऐसी तैयारी में वृद्धि करने के लिए निदेश दे सकेगी ;

(ञ) विभिन्न स्तर के अधिकारियों, कर्मचारियों और स्वैच्छिक बचाव कर्मकारों के लिए आपदा प्रबन्धन के संबंध में विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना बना सकेगी और उनको समन्वित कर सकेगी ;

(ट) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा की दशा में उसके मोचन के लिए समन्वय कर सकेगी ;

(ठ) भारत सरकार के सम्बद्ध मंत्रालयों या विभागों, राज्य सरकारों और राज्य प्राधिकरणों को उनके द्वारा किसी आपदा की

आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन के लिए किए जाने वाले उपायों के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगी या निदेश दे सकेगी ;

(ड) सरकार के किसी विभाग या अभिकरण से राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरणों को ऐसे व्यक्ति या तात्विक संसाधन जो आपातकालीन मोचन, बचाव और राहत के प्रयोजनों के लिए उसके पास उपलब्ध हैं, उपलब्ध कराने की अपेक्षा कर सकेगी ;

(ढ) भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों, राज्य प्राधिकरणों, कानूनी निकायों, अन्य सरकारी या गैर सरकारी संगठनों और आपदा प्रबन्धन में लगे अन्य व्यक्तियों को सलाह दे सकेगी, सहायता प्रदान कर सकेगी और उनके क्रियाकलापों का समन्वय कर सकेगी ;

(ण) राज्य प्राधिकरणों और जिला प्राधिकरणों को इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों को करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगी या उन्हें सलाह दे सकेगी ;

(त) आपदा प्रबन्धन के संबंध में साधारण शिक्षा और जागरूकता का संवर्धन कर सकेगी ; और

(थ) ऐसे अन्य कृत्य कर सकेगी जो राष्ट्रीय प्राधिकरण उससे करने की अपेक्षा करे ।

11. राष्ट्रीय योजना – (1) संपूर्ण देश के लिए आपदा प्रबन्धन के लिए राष्ट्रीय योजना नामक एक योजना तैयार की जाएगी ।

(2) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा राष्ट्रीय नीति को ध्यान में रखते हुए और राज्य सरकारों तथा आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में विशेषज्ञ निकायों या संगठनों के परामर्श से राष्ट्रीय योजना तैयार की जाएगी जिसका राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन किया जाएगा ।

(3) राष्ट्रीय योजना में निम्नलिखित होंगे –

(क) आपदाओं के निवारण या उनके प्रभाव के शमन के लिए किए जाने वाले उपाय ;

(ख) विकास योजनाओं में शमन संबंधी उपायों के एकीकरण के लिए किए जाने वाले उपाय ;

(ग) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा का प्रभावी रूप से मोचन करने के लिए तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए किए जाने वाले उपाय ;

(घ) खण्ड (क), खण्ड (ख) और खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट उपायों की बाबत भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों की भूमिका और उत्तरदायित्व ।

(4) राष्ट्रीय योजना का वार्षिक पुनर्विलोकन किया जाएगा और उसे अद्यतन किया जाएगा ।

(5) केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय योजना के अधीन किए जाने वाले उपायों के वित्तपोषण के लिए समुचित उपबंध किए जाएंगे ।

(6) उपधारा (2) और उपधारा (4) में निर्दिष्ट राष्ट्रीय योजना की प्रतियां भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों को उपलब्ध कराई जाएंगी और ऐसे मंत्रालय या विभाग राष्ट्रीय योजना के अनुसार अपनी स्वयं की योजनाएं तैयार करेंगे ।

12. राहत के न्यूनतम मानकों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत – राष्ट्रीय प्राधिकरण, आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाने वाली राहत के न्यूनतम मानकों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों की सिफारिश करेगा जिनके अंतर्गत निम्नलिखित होंगे, –

(i) राहत कैंपों में आश्रयस्थल, खाद्य, पीने का पानी, चिकित्सा सुविधा और स्वच्छता के संबंध में उपलब्ध कराई जाने वाली न्यूनतम अपेक्षाएं ;

(ii) विधवाओं और अनाथों के लिए किए जाने वाले विशेष उपबंध ;

(iii) जीवन की हानि मद्दे अनुग्रह सहायता और मकानों को नुकसान मद्दे सहायता तथा जीविका के साधनों की बहाली के लिए सहायता ;

(iv) ऐसी अन्य सहायता जो आवश्यक हो ।

13. ऋण प्रतिदाय आदि में राहत – राष्ट्रीय प्राधिकरण, प्रचंड मात्रा की आपदाओं की दशा में आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को ऋणों के प्रतिदाय में राहत या ऐसे रियायती निबंधनों पर, जो उचित हों, नए ऋण देने की सिफारिश कर सकेगा ।

अध्याय 3

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

14. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना – (1) प्रत्येक राज्य सरकार, धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य के लिए ऐसे नाम से जो राज्य सरकार की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करेगी ।

(2) राज्य प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और नौ से अनधिक उतने सदस्य होंगे जितने राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं और जब तक कि नियमों में अन्यथा उपबंध न किया जाए, राज्य प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :–

(क) राज्य का मुख्यमंत्री जो पदेन अध्यक्ष होगा ;

(ख) आठ से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य जो राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे ;

(ग) राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष, पदेन ।

(3) राज्य प्राधिकरण का अध्यक्ष उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों में से एक सदस्य को राज्य प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में पदाभिहित कर सकेगा ।

(4) राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष राज्य प्राधिकरण का पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा :

परंतु ऐसे संघ राज्यक्षेत्र की दशा में, दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र को छोड़कर, जिसकी विधान सभा है, मुख्यमंत्री इस धारा के अधीन स्थापित

प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा और अन्य संघ राज्यक्षेत्रों की दशा में, उपराज्यपाल या प्रशासक उस प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा :

परंतु यह और कि दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र का उपराज्यपाल राज्य प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा और उसका मुख्यमंत्री राज्य प्राधिकरण का उपाध्यक्ष होगा ।

(5) राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं ।

15. राज्य प्राधिकरण के अधिवेशन – (1) राज्य प्राधिकरण का अधिवेशन जब भी आवश्यक हो, ऐसे समय और स्थान पर होगा जिसे राज्य प्राधिकरण का अध्यक्ष ठीक समझे ।

(2) राज्य प्राधिकरण का अध्यक्ष राज्य प्राधिकरण के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा ।

(3) यदि राज्य प्राधिकरण का अध्यक्ष किसी कारण से राज्य प्राधिकरण के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ है तो राज्य प्राधिकरण का उपाध्यक्ष उस अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा ।

16. राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति – राज्य सरकार, राज्य प्राधिकरण को उतने अधिकारी, परामर्शदाता और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने वह राज्य प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे ।

17. राज्य प्राधिकरण द्वारा सलाहकार समिति का गठन – (1) राज्य प्राधिकरण, जब भी वह आवश्यक समझे, आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर सिफारिशें करने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन कर सकेगा जिसमें आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञों और आपदा प्रबंधन का व्यावहारिक अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ होंगे ।

(2) सलाहकार समिति के सदस्यों को ऐसे भत्तों का संदाय किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

18. राज्य प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य – (1) राज्य प्राधिकरण इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य में आपदा

प्रबंधन के लिए नीतियां और योजनाएं अधिकथित करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य प्राधिकरण,–

(क) राज्य आपदा प्रबंधन नीति अधिकथित कर सकेगा ;

(ख) राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार राज्य योजना का अनुमोदन कर सकेगा ;

(ग) राज्य सरकार के विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन योजनाओं का अनुमोदन कर सकेगा ;

(घ) राज्य सरकार के विभागों द्वारा अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदाओं के निवारण और शमन के उपायों के एकीकरण के प्रयोजनों के लिए अपनाए जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा और उसके लिए आवश्यक तकनीकी सहायता करा सकेगा ;

(ङ) राज्य योजना के कार्यान्वयन को समन्वित कर सकेगा ;

(च) शमन और तैयारी उपायों के लिए निधियों की व्यवस्था करने की सिफारिश कर सकेगा ;

(छ) राज्य के विभिन्न विभागों के विकास योजनाओं का पुनर्विलोकन कर सकेगा और यह सुनिश्चित कर सकेगा कि निवारण और शमन के उपाय उसमें एकीकृत किए गए हैं ;

(ज) राज्य सरकार के विभागों द्वारा शमन, क्षमता निर्माण और तैयारी के लिए किए जा रहे उपायों का पुनर्विलोकन कर सकेगा और ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगा जो आवश्यक हों ।

(3) राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष को, आपात की दशा में, राज्य प्राधिकरण की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति होगी किन्तु ऐसे शक्तियों का प्रयोग राज्य प्राधिकरण के कार्योत्तर अनुसमर्थन के अधीन रहते हुए होगा ।

19. राज्य प्राधिकरण द्वारा राहत के न्यूनतम मानक के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत – राज्य प्राधिकरण राज्य में आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत के मानकों का उपबंध करने के लिए विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित करेगा :

परंतु ऐसे मानक किसी भी दशा में राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों में न्यूनतम मानकों से कम नहीं होंगे ।

20. राज्य कार्यकारिणी समिति का गठन – (1) राज्य सरकार, धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी किए जाने के ठीक पश्चात् राज्य प्राधिकरण को इस अधिनियम के अधीन राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार राज्य प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने और कार्य का समन्वय करने के लिए तथा राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक राज्य कार्यकारिणी समिति का गठन करेगी ।

(2) राज्य कार्यकारिणी समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :–

(क) राज्य सरकार का मुख्य सचिव, जो पदेन अध्यक्ष होगा ;

(ख) राज्य सरकार के ऐसे विभागों के चार सचिव जिन्हें राज्य सरकार ठीक समझे, पदेन ।

(3) राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा जो उसे राज्य प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायोजित किए जाएं ।

(4) राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया वह होगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ।

21. राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा उपसमितियों का गठन – (1) राज्य कार्यकारिणी समिति जब भी वह अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे, एक या अधिक उपसमितियों का गठन कर सकेगी ।

(2) राज्य कार्यकारिणी समिति अपने सदस्यों में से किसी को उपधारा (1) में निर्दिष्ट उपसमिति का अध्यक्ष नियुक्त कर सकेगी ।

(3) किसी उपसमिति के साथ विशेषज्ञ के रूप में सहयोजित किसी व्यक्ति को ऐसे भत्ते जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं, संदत्त किए जा सकेंगे ।

22. राज्य कार्यकारिणी समिति के कृत्य – (1) राज्य कार्यकारिणी समिति राष्ट्रीय योजना और राज्य योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगी और राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए समन्वय करने और मानिटरी करने वाले निकाय के रूप में कार्य करेगी ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य कार्यकारिणी समिति –

(क) राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय योजना और राज्य योजना के कार्यान्वयन का समन्वय और मानिटरी पर सकेगी ;

(ख) आपदाओं के विभिन्न रूपों से राज्य के विभिन्न भागों की भेद्यता की परीक्षा कर सकेगी और उनके निवारण या शमन के लिए किए जाने वाले उपायों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी ;

(ग) राज्य सरकार के विभागों और जिला प्राधिकरणों द्वारा आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार किए जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगी ;

(घ) राज्य सरकार के विभागों और जिला प्राधिकरणों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन की मानिटरी कर सकेगी ;

(ङ) विभागों द्वारा अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदाओं के निवारण और शमन के उपायों के एकीकरण के लिए राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के कार्यान्वयन की मानिटरी कर सकेगी ;

(च) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन के लिए सभी सरकारी और गैर सरकारी स्तरों पर तैयारी का

मूल्यांकन कर सकेगी और जहां आवश्यक हो, ऐसी तैयारियों में वृद्धि करने के लिए निदेश दे सकेगी ;

(छ) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा की दशा में मोचन का समन्वय कर सकेगी ;

(ज) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन में किए जाने वाले उपायों के संबंध में राज्य सरकार के किसी विभाग या राज्य में किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय को निदेश दे सकेगी ;

(झ) आपदाओं के ऐसे रूपों के संबंध में, जिनसे राज्य के विभिन्न भाग भेद्य हैं, सामान्य शिक्षा, जागरूकता और समुदाय प्रशिक्षण का संवर्धन कर सकेगी और ऐसे उपाय, जो आपदा के निवारण और ऐसी आपदा के शमन और मोचन के लिए ऐसे समुदाय द्वारा किए जा सकेंगे ;

(ञ) राज्य सरकार के विभागों, जिला प्राधिकरणों, कानूनी निकायों और आपदा प्रबंधन में लगे अन्य सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों को सलाह दे सकेगी, उनके क्रियाकलापों में सहायता कर सकेगी और उनका समन्वय कर सकेगी ;

(ट) उनके कृत्यों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए जिला प्राधिकरणों और स्थानीय प्राधिकरणों को उनके कृत्यों का प्रभावी रूप से निर्वहन करने में आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान कर सकेगी या सलाह दे सकेगी ;

(ठ) आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी वित्तीय विषयों के संबंध में राज्य सरकार को सलाह दे सकेगी ;

(ड) राज्य में किसी स्थानीय क्षेत्र में सन्निर्माण की परीक्षा कर सकेगी और यदि उसकी यह राय है कि आपदा के निवारण के लिए ऐसे सन्निर्माण के लिए अधिकथित मानकों का अनुसरण नहीं किया जा रहा है या नहीं किया गया है तो, यथास्थिति, जिला प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण को ऐसी कार्रवाई करने के लिए निदेश दे

सकेगी जो ऐसे मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो ;

(ढ) राष्ट्रीय प्राधिकरण को आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध करा सकेगी ;

(ण) राज्य स्तर की मोचन योजनाओं और मार्गदर्शक सिद्धांतों को अधिकथित, पुनर्विलोकित और अद्यतन कर सकेगी और यह सुनिश्चित कर सकेगी कि जिला स्तर की योजनाएं तैयार, पुनर्विलोकित और अद्यतन की गई हैं ;

(त) यह सुनिश्चित कर सकेगी कि संसूचना तंत्र ठीक हैं और आपदा प्रबंधन कवायद कालिकत: की जाती हैं ;

(थ) ऐसे अन्य कृत्य कर सकेगी जो उसे राज्य प्राधिकरण द्वारा समनुदेशित किए जाएं या जैसा वह आवश्यक समझे ।

23. राज्य योजना – (1) प्रत्येक राज्य के लिए आपदा प्रबंधन के लिए एक योजना होगी जिसे राज्य आपदा प्रबंधन योजना कहा जाएगा ।

(2) राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा, राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए और स्थानीय प्राधिकरणों तथा जिला प्राधिकरणों और जनता के प्रतिनिधियों के साथ ऐसा परामर्श करने के पश्चात् जिसे राज्य कार्यकारिणी समिति ठीक समझे, राज्य योजना तैयार की जाएगी ।

(3) राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा उपधारा (2) के अधीन तैयार की गई राज्य योजना का राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन किया जाएगा ।

(4) राज्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित होगा,–

(क) आपदा के विभिन्न रूपों से राज्य के विभिन्न भागों की भेद्यता ;

(ख) आपदाओं के निवारण और शमन के लिए अपनाए जाने वाले उपाय ;

(ग) ऐसी रीति जिसमें शमन के उपाय, विकास योजनाओं और परियोजनाओं के साथ एकीकृत किए जाएंगे ;

(घ) क्षमता निर्माण और तैयारी के लिए किए जाने वाले उपाय ;

(ङ) ऊपर खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) में विनिर्दिष्ट उपायों के संबंध में राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व ;

(च) किसी आशंकित आपदा स्थिति या आपदा के मोचन में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की भूमिकाएं और दायित्व ।

(5) राज्य योजना प्रतिवर्ष पुनर्विलोकित और अद्यतन की जाएगी ।

(6) राज्य योजना के अधीन किए जाने वाले उपायों के वित्तपोषण के लिए राज्य सरकार द्वारा समुचित उपबंध किए जाएंगे ।

(7) उपधारा (2) और उपधारा (5) में निर्दिष्ट राज्य योजना की प्रतियां राज्य सरकार के विभागों को उपलब्ध कराई जाएंगी और ऐसे विभाग राज्य योजना के अनुसार अपनी योजनाएं तैयार करेंगे ।

24. आपदा की आशंका की दशा में राज्य कार्यकारिणी समिति की शक्तियां और कृत्य – आपदा द्वारा प्रभावित समुदाय की सहायता और संरक्षा करने के प्रयोजनों के लिए या ऐसे समुदायों को राहत प्रदान करने के लिए या किसी आपदा की आशंका की स्थिति का निवारण करने या उसके विनाश का प्रत्युपाय करने या उसके प्रभावों से निपटने के प्रयोजन के लिए राज्य कार्यकारिणी समिति,–

(क) संवेदनशील या प्रभावित क्षेत्रों को या वहां से उसके भीतर वाहन यातायात को नियंत्रित और निर्बन्धित कर सकेगी ;

(ख) किसी संवेदनशील या प्रभावित क्षेत्र में किसी व्यक्ति के प्रवेश, उसके भीतर, उसके आने-जाने और वहां से प्रस्थान को नियंत्रित और निर्बन्धित कर सकेगी ;

(ग) मलबे को हटा सकेगी, खोज कर सकेगी और बचाव कार्य कर सकेगी ;

(घ) राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित

मानकों के अनुसार आश्रय, खाद्य, पेयजल, आवश्यक रसद, स्वास्थ्य देखभाल और सेवाएं उपलब्ध करा सकेगी ;

(ङ) राज्य सरकार के संबंधित विभाग और राज्य की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी जिला प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण को जीवन या संपत्ति को बचाने के लिए बचाव, निष्क्रमण या तत्काल राहत पहुंचाने के ऐसे उपाय करने या कार्रवाई करने के निदेश दे सकेगी ; जो उसकी राय में आवश्यक हों ;

(च) राज्य सरकार के किसी विभाग या अन्य किसी निकाय या प्राधिकरण से या किन्हीं सुसंगत संसाधनों के भारसाधक व्यक्ति से आपात मोचन, बचाव और राहत के प्रयोजनों के लिए संसाधन उपलब्ध कराने की अपेक्षा कर सकेगी ;

(छ) आपदाओं के क्षेत्र में विशेषज्ञों और परामर्शियों से बचाव और राहत के लिए सलाह और सहायता देने की अपेक्षा कर सकेगी ;

(ज) जब भी अपेक्षित हो, किसी प्राधिकरण या व्यक्ति से सुख-सुविधाओं के उपयोग को अनन्य रूप से या अधिमानत: उपाप्त कर सकेगी ;

(झ) अस्थायी पुलों या अन्य आवश्यक संरचनाओं का सन्निर्माण कर सकेगी और ऐसी असुरक्षित संरचनाओं को ध्वस्त कर सकेगी जो जनता के लिए परिसंकटमय हों ;

(ञ) यह सुनिश्चित कर सकेगी कि गैर सरकारी संगठन साम्यापूर्ण रूप में या अविभेदकारी रीति में अपने क्रियाकलाप करें ;

(ट) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा से निपटने के लिए जनता को जानकारी दे सकेगी ;

(ठ) ऐसे उपाय कर सकेगी जिनके लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार इस संबंध में निदेश दे या ऐसे अन्य उपाय कर सकेगी जो किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा में अपेक्षित या वांछित हों ।

अध्याय 4

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

25. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन – (1) प्रत्येक राज्य सरकार, धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य में प्रत्येक जिले के लिए ऐसे नाम से, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, एक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करेगी ।

(2) जिला प्राधिकरण में अध्यक्ष और सात से अनधिक उतने अन्य सदस्य होंगे जितने राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं और जब तक कि नियमों में अन्यथा उपबंध न किया जाए, इसमें निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :–

(क) जिले का, यथास्थिति, कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त जो पदेन अध्यक्ष होगा ;

(ख) स्थानीय प्राधिकारी का निर्वाचित प्रतिनिधि जो पदेन सह-अध्यक्ष होगा :

परंतु संविधान की छठी अनुसूची में जैसा निर्दिष्ट है, जनजाति क्षेत्रों में, स्वशासी जिले की जिला परिषद् का मुख्य कार्यपालक सदस्य, पदेन सह-अध्यक्ष होगा ;

(ग) जिला प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पदेन ;

(घ) पुलिस अधीक्षक, पदेन ;

(ङ) जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पदेन ;

(च) दो से अनधिक जिला स्तर के अन्य अधिकारी जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

(3) ऐसे किसी जिले में जहां जिला परिषद् विद्यमान है, उसका अध्यक्ष जिला प्राधिकरण का सह-अध्यक्ष होगा ।

(4) राज्य सरकार जिले के किसी ऐसे अधिकारी को, जो, यथास्थिति, अपर कलक्टर या अपर जिला मजिस्ट्रेट या अपर उपायुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों

का पालन करने के लिए जो, राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिए जो जिला प्राधिकरण द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं, जिला प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करेगी ।

26. जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष की शक्तियां – (1) जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष, जिला प्राधिकरण के अधिवेशनों की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त, जिला प्राधिकरण की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा जो जिला प्राधिकरण उसे प्रत्यायोजित करे ।

(2) जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष को, आपात की दशा में, जिला प्राधिकरण की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति होगी किन्तु ऐसी शक्तियों का प्रयोग जिला प्राधिकरण के कार्योत्तर अनुसमर्थन के अधीन रहते हुए होगा ।

(3) जिला प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष, साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अपनी शक्तियों और कृत्यों में से ऐसी शक्तियां और कृत्य, जिला प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को ऐसी शर्तों और निबंधनों, यदि कोई हों, जिन्हें वह ठीक समझे, के अधीन रहते हुए, प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

27. अधिवेशन – जिला प्राधिकरण का अधिवेशन जब कभी आवश्यक हो ऐसे समय और स्थान पर होगा जिसे अध्यक्ष ठीक समझे ।

28. सलाहकार समितियों और अन्य समितियों का गठन – (1) जिला प्राधिकरण, जब भी वह आवश्यक समझे, अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए एक या अधिक सलाहकार समितियों और अन्य समितियों का गठन कर सकेगा ।

(2) जिला प्राधिकरण अपने सदस्यों में से उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन गठित किसी समिति या उप समिति में विशेषज्ञ के रूप में सहयुक्त किसी व्यक्ति को ऐसे भत्ते संदत्त किए जा सकेंगे जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

29. जिला प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति – राज्य सरकार जिला प्राधिकरण को उतने अधिकारी, परामर्शदाता और अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने वह जिला प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे ।

30. जिला प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य – (1) जिला प्राधिकरण आपदा प्रबंधन के लिए जिला योजना, समन्वयन और कार्यान्वयन निकाय के रूप में कार्य करेगा और राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार जिले में आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए सभी उपाय करेगा ।

(2) जिला प्राधिकरण, उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना :–

(i) जिले के लिए जिला मोचन योजना सहित आपदा प्रबंधन योजना तैयार कर सकेगा ;

(ii) राष्ट्रीय नीति, राज्य नीति, राष्ट्रीय योजना, राज्य योजना और जिला योजना के कार्यान्वयन का समन्वय और मानीटरी कर सकेगा ;

(iii) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि जिले में आपदाओं के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की गई है और आपदाओं के निवारण और उसके प्रभावों के शमन के लिए उपाय जिला स्तर पर सरकार के विभागों द्वारा तथा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किए गए हैं ;

(iv) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि आपदाओं के निवारण, उनके प्रभावों के शमन, तैयारी के और राष्ट्रीय प्राधिकरण तथा राज्य प्राधिकरण द्वारा यथा अधिकथित मोचन के उपायों का जिला स्तर पर सरकार के सभी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण किया जाता है ;

(v) विभिन्न जिला स्तर के प्राधिकारियों और स्थानीय प्राधिकारियों को आपदाओं के निवारण या शमन के लिए ऐसे अन्य उपाय करने के लिए निदेश दे सकेगा, जो आवश्यक हों ;

(vi) जिला स्तर पर सरकारी विभागों और जिले में स्थानीय

प्राधिकारियों द्वारा आपदा निवारण प्रबंधन योजनाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा ;

(vii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन को मानीटर कर सकेगा ;

(viii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों द्वारा अपनी योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा निवारण और शमन के लिए उपायों के एकीकरण के प्रयोजन के लिए अनुसरित किए जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा और उनके लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगा ;

(ix) खंड (viii) में निर्दिष्ट उपायों के कार्यान्वयन को मानीटर कर सकेगा ;

(x) जिले में किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति के मोचन के लिए राज्य की क्षमताओं का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उनके उन्नयन के लिए जिला स्तर पर संबंधित विभागों या प्राधिकारियों को ऐसे निदेश दे सकेगा, जो आवश्यक हों ;

(xi) तैयारी उपायों का पुनर्विलोकन कर सकेगा और जिला स्तर पर संबद्ध विभागों या संबद्ध प्राधिकारियों को जहां किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति का प्रभावी रूप से मोचन करने के लिए तैयारी उपायों को अपेक्षित स्तरों तक लाना आवश्यक हों, निदेश दे सकेगा ।

(xii) जिले में विभिन्न स्तरों के अधिकारियों, कर्मचारियों और स्वैच्छिक बचाव कार्यकर्ताओं के लिए विशेषज्ञता प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर सकेगा और उनका समन्वयन कर सकेगा ;

(xiii) आपदा निवारण या शमन के लिए स्थानीय प्राधिकारियों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की सहायता से सामुदायिक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों को सुकर बना सकेगा ;

(xiv) जनता को पूर्व चेतावनी और उचित सूचना के प्रसार के लिए तंत्र की स्थापना कर सकेगा उसका अनुरक्षण कर सकेगा,

पुनर्विलोकन और उन्नयन कर सकेगा ;

(xv) जिला स्तर मोचन, योजना और मार्गदर्शक सिद्धांतों को बना सकेगा, उनका पुनर्विलोकन और उन्नयन कर सकेगा ;

(xvi) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन का समन्वयन कर सकेगा ;

(xvii) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि जिला स्तर पर सरकारी विभागों और स्थानीय प्राधिकारी जिला मोचन योजना के अनुसरण में अपनी मोचन योजना तैयार करें ;

(xviii) जिला स्तर पर संबद्ध सरकारी विभाग या जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर अन्य प्राधिकारी के लिए किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के प्रभावी मोचन के उपाय करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगा या उन्हें निदेश दे सकेगा ;

(xix) जिला स्तर पर सरकारी विभागों, कानूनी निकायों और जिले में आपदा प्रबंधन में लगे सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को सलाह दे सकेगा, उनकी सहायता कर सकेगा और उनके क्रियाकलापों का समन्वयन कर सकेगा ;

(xx) यह सुनिश्चित करने के लिए जिले में आपदा स्थिति की आशंका की या आपदा के निवारण या उसके शमन के लिए उपायों को तत्परता से और प्रभावी रूप से किया जा रहा है, जिले में स्थानीय प्राधिकारियों के साथ समन्वयन कर सकेगा और उनको मार्गनिर्देश दे सकेगा ;

(xxi) जिले में स्थानीय प्राधिकारियों को उनके कृत्यों को करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगा या उन्हें सलाह दे सकेगा ;

(xxii) जिले स्तर पर सरकारी विभागों, कानूनी प्राधिकारियों या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा निवारण या उनका शमन करने के लिए तैयार की गई विकास योजनाओं में आवश्यक उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उनका पुनर्विलोकन कर सकेगा ;

(xxiii) जिला के किसी क्षेत्र में सन्निर्माण की जांच कर सकेगा और यदि उसकी यह राय हो कि आपदा निवारण या उसके शमन के लिए ऐसे सन्निर्माणों के लिए अधिकथित मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है या उनका पालन नहीं किया गया है, संबद्ध प्राधिकारी को ऐसी कार्रवाई के लिए जो ऐसे मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, निदेश दे सकेगा ;

(xxiv) ऐसे भवनों और स्थानों की पहचान कर सकेगा जिनका किसी आपदा की आशंका या आपदा की घटना की स्थिति में राहत केन्द्रों या शिविरों के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा और ऐसे भवनों और स्थानों में जल प्रदाय तथा स्वच्छता की व्यवस्था कर सकेगा ;

(xxv) राहत संचय और बचाव सामग्री की स्थापना कर सकेगा या किसी अल्प सूचना पर ऐसी सामग्री उपलब्ध कराने की तैयारी को सुनिश्चित कर सकेगा ;

(xxvi) आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के संबंध में राज्य प्राधिकरण को सूचना दे सकेगा ;

(xxvii) जिले में प्रारंभिक स्तर पर कार्यरत गैर सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक सामाजिक कल्याण संस्थाओं को आपदा प्रबंधन में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित कर सकेगा ;

(xxviii) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि संचार प्रणालियां ठीक हैं और आपदा प्रबंधन कवायद कालिक रूप से की जा रही हैं ;

(xxix) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन कर सकेगा जो उसे राज्य सरकार या राज्य प्राधिकरण द्वारा समनुदेशित किए जाएं या जिले में आपदा प्रबंधन के लिए जो आवश्यक समझे जाएं ।

31. जिला योजना – (1) राज्य के प्रत्येक जिले के लिए आपदा प्रबंधन हेतु एक योजना होगी ।

(2) जिला प्राधिकरण द्वारा, स्थानीय प्राधिकारियों से परामर्श करने के पश्चात् और राष्ट्रीय योजना और राज्य योजना को ध्यान में रखते हुए

जिला योजना तैयार की जाएगी जिसे राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाएगा ।

(3) जिला योजना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा –

(क) जिले में ऐसे क्षेत्र जो आपदाओं के विभिन्न रूपों से संवेदनशील हैं ;

(ख) जिला स्तर के सरकारी विभागों और जिले के स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा के निवारण और शमन के लिए किए जाने वाले उपाय ;

(ग) जिला स्तर के सरकारी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन के लिए अपेक्षित क्षमता निर्माण और उनकी तैयारी के उपाय ;

(घ) किसी आपदा की दशा में, मोचन योजनाएं और प्रक्रियाएं, जिनमें निम्नलिखित के लिए उपबंध हों –

(i) जिला स्तर के सरकारी विभागों और जिले में स्थानीय निकायों के उत्तरदायित्वों का आबंटन ;

(ii) आपदा का तुरंत मोचन और उससे राहत ;

(iii) आवश्यक संसाधनों का उपापन ;

(iv) संचार सम्पर्क की स्थापना ; और

(v) जनता को सूचना का प्रसार ;

(ङ) ऐसे अन्य विषय जो राज्य प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित हों ।

(4) जिला योजना का वार्षिक रूप से पुनर्विलोकन किया जाएगा और उसे अद्यतन किया जाएगा ।

(5) उपधारा (2) और उपधारा (4) में निर्दिष्ट जिला योजना की प्रतियां जिले में सरकारी विभागों को उपलब्ध कराई जाएंगी ।

(6) जिला प्राधिकरण जिला योजना की एक प्रति राज्य प्राधिकरण को भेजेगा जिसे वह राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा ।

(7) जिला प्राधिकरण समय-समय पर, योजना के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करेगा और जिले में सरकार के विभिन्न विभागों को ऐसे अनुदेश जारी करेगा जिन्हें वह कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे ।

32. जिला स्तर पर विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा योजनाएं तैयार करना और उनका कार्यान्वयन – जिला स्तर पर भारत सरकार और राज्य सरकार का प्रत्येक कार्यालय और स्थानीय जिला प्राधिकारी जिला प्राधिकरण के पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए –

(क) आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेंगे जिसमें निम्नलिखित उपवर्णित होगा, अर्थात् :–

(i) जिला योजना में यथाउपबंधित निवारण और शमन उपायों के लिए उपबंध जो संबद्ध विभाग या अभिकरण को समनुदेशित है ;

(ii) जिला योजना में यथा अधिकथित क्षमता निर्माण और तैयारी से संबंधित उपायों को करने के उपबंध ;

(iii) किसी आपदा की आशंका या आपदा की दशा में, मोचन योजनाएं और प्रक्रियाएं ;

(ख) जिला स्तर पर अन्य संगठनों, जिनके अंतर्गत स्थानीय समुदाय और अन्य स्थानीय प्राधिकारी समुदाय और अन्य पणधारी भी हैं, की योजनाओं के साथ अपनी योजना को तैयार और उसके कार्यान्वयन को समन्वित करेंगे ;

(ग) योजना का नियमित रूप से पुनर्विलोकन करेंगे और उसे अद्यतन करेंगे ; और

(घ) जिला प्राधिकरण को अपनी आपदा प्रबंधन योजना और उसके किसी संशोधन की एक प्रति प्रस्तुत करेंगे ।

33. जिला प्राधिकरण द्वारा अध्यादेश – जिला प्राधिकरण आदेश द्वारा, जिला स्तर पर किसी अधिकारी या किसी विभाग या किसी स्थानीय प्राधिकारी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह आपदा निवारण या उसके शमन के लिए या उसके प्रभावी रूप से मोचन के लिए ऐसे उपाय

करे, जो आवश्यक हों और ऐसा प्राधिकारी या विभाग ऐसे आदेश का पालन करने के लिए बाध्य होगा ।

34. किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा की दशा में जिला प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य – किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा में समुदाय की सहायता करने, उसका संरक्षण करने या उसे राहत उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए, जिला प्राधिकरण,–

(क) जिले में किसी सरकारी विभाग और स्थानीय प्राधिकारी के पास उपलब्ध संसाधनों की निकासी और उपयोग के लिए निदेश दे सकेगा ;

(ख) अतिसंवेदनशील या प्रभावित क्षेत्र में या उससे अथवा उसके भीतर यानों के आवागमन को नियंत्रित और निर्बंधित कर सकेगा ;

(ग) किसी अतिसंवेदनशील या प्रभावित क्षेत्र में किसी व्यक्ति के प्रवेश, उसके भीतर, उसके संचरण और उसके प्रस्थान को नियंत्रित और निर्बंधित कर सकेगा ;

(घ) मलवा हटा सकेगा, तलाशी ले सकेगा और बचाव कार्य कर सकेगा ;

(ङ) आश्रय, भोजन, पीने का पानी और आवश्यक सामग्री, स्वास्थ्य देखरेख और सेवाएं उपलब्ध करा सकेगा ;

(च) प्रभावित क्षेत्र में आपात संचार प्रणालियों की स्थापना कर सकेगा ;

(छ) अदावाकृत शवों के निपटारे के लिए इंतजाम कर सकेगा ;

(ज) जिला स्तर पर राज्य सरकार के किसी विभाग या उस सरकार के अधीन किसी प्राधिकारी या किसी निकाय को ऐसे आवश्यक उपाय करने की सिफारिश कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हों ;

(झ) सुसंगत क्षेत्रों में सलाह और सहायता देने के लिए विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं की, जो वह आवश्यक समझे अपेक्षा कर सकेगा ;

(ञ) किसी प्राधिकारी या व्यक्ति से किन्हीं सुख-सुविधाओं के अनन्य या अधिमानी उपयोग का उपापन कर सकेगा ;

(ट) अस्थायी पुलों या अन्य आवश्यक संरचनाओं का सन्निर्माण कर सकेगा और ऐसी संरचनाओं को जो जनता के लिए परिसंकटमय हैं या आपदा के प्रभाव को गंभीर बना सकती हैं, ध्वस्त कर सकेगा ;

(ठ) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि गैर सरकारी संगठन अपने क्रियाकलापों को साम्यापूर्ण और अविभेदकारी रीति से करे ;

(ड) ऐसी अन्य कार्रवाई कर सकेगा जिसका ऐसी किसी स्थिति में किया जाना अपेक्षित या आवश्यक हो ।

अध्याय 5

आपदा प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा उपाय

35. केन्द्रीय सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय – (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे सभी उपाय करेगी जिन्हें वह आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए आवश्यक और समीचीन समझे ।

(2) विशिष्टतया और उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उन उपायों में जिन्हें केन्द्रीय सरकार, उस उपधारा के अधीन कर सकेगी, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों की बाबत उपाय भी हैं, अर्थात् :–

(क) आपदा प्रबंधन के संबंध में भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरणों, सरकारी या गैर सरकारी संगठनों के कार्यों का समन्वयन करना ;

(ख) भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा के निवारण और शमन के लिए उपायों के एकीकरण को सुनिश्चित करना ;

(ग) भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा आपदा के निवारण, शमन, क्षमता निर्माण और तैयारी के लिए निधियों के समुचित आबंटन को सुनिश्चित करना ;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग किसी आपदा की आशंका या आपदा के त्वरित और प्रभावी मोचन तैयारी के लिए आवश्यक उपाय करते हैं ;

(ङ) राज्य सरकारों को उनके द्वारा अनुरोध किए जाने पर या उसके द्वारा अन्यथा समुचित समझे जाने पर सहयोग और सहायता देना ;

(च) नौसेना, थल सेना और वायु सेना, संघ के अन्य सशस्त्र बलों या किसी अन्य सिविलियन कार्मिकों को तैनात करना जिनका इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षा की जाए ;

(छ) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और विदेशी सरकारों के साथ समन्वयन करना ;

(ज) आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में शोध, प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों के लिए संस्थाओं की स्थापना करना ;

(झ) ऐसे अन्य विषय, जो इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए वह आवश्यक या समीचीन समझे ।

(3) केन्द्रीय सरकार बड़ी आपदा द्वारा प्रभावित अन्य देशों को ऐसी सहायता दे सकेगी जिसे वह उचित समझे ।

36. भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों के उत्तरदायित्व – भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय या विभाग का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह –

(क) राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार आपदा के निवारण, शमन, तैयारी या क्षमता निर्माण के लिए आवश्यक उपाय करे ;

(ख) राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार आपदाओं के निवारण या शमन के लिए उपायों की अपनी विकास योजनाओं, और परियोजनाओं में एकीकृत करे ;

(ग) राष्ट्रीय प्राधिकरण के मार्गदर्शक सिद्धांतों या इस निमित्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के निदेशों के अनुसार किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा का प्रभावी और त्वरित मोचन करे ;

(घ) आपदाओं के निवारण, शमन या तैयारी के लिए आवश्यक उपबंध समाविष्ट करने की दृष्टि से उसके द्वारा प्रशासित अधिनियमितियों, अपनी नीतियों, नियमों और विनियमों का पुनर्विलोकन करे ;

(ङ) आपदा के निवारण, शमन या क्षमता निर्माण और तैयारी के उपायों के लिए निधियों का आबंटन करे ;

(च) राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य सरकारों को निम्नलिखित के लिए सहायता प्रदान करे –

(i) आपदा प्रबंधन के संबंध में शमन, तैयारी और मोचन योजनाएं तैयार करना, क्षमता निर्माण, डाटा संग्रहण और कार्मिकों की पहचान तथा प्रशिक्षण ;

(ii) प्रभावित क्षेत्र में बचाव और राहत कार्य करना ;

(iii) किसी आपदा से क्षति का निर्धारण ;

(iv) पुनर्वास और पुनर्निर्माण करना ।

(छ) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा का तत्परता से और प्रभावी रूप से मोचन करने के प्रयोजन के लिए अपने संसाधन राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति या राज्य कार्यकारिणी समिति को उपलब्ध कराना, जिनमें निम्नलिखित उपाय भी हैं,–

(i) किसी भेद्य या प्रभावित क्षेत्र में आपात संचार सुविधाएं उपलब्ध करना ;

(ii) कार्मिकों और राहत सामग्री का प्रभावित क्षेत्र तक या उससे परिवहन ;

(iii) निष्क्रमण, बचाव, अस्थायी आश्रय और अन्य तत्काल राहत प्रदान करना ;

(iv) अस्थायी पुल, घाट और हवाई पट्टियां स्थापित करना ;

(v) किसी प्रभावित क्षेत्र में पीने का पानी, आवश्यक रसद, स्वास्थ्य देखरेख और सेवाएं उपलब्ध करना ;

(ज) ऐसे अन्य कार्य करना जो आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक समझे जाएं ।

37. भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों की आपदा प्रबंधन योजनाएं – (1) भारत सरकार का प्रत्येक मंत्रालय या विभाग –

(क) निम्नलिखित विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुए आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेगा, अर्थात् :–

(i) उसके द्वारा आपदा के निवारण और शमन के लिए राष्ट्रीय योजना के अनुसार किए जाने वाले उपाय ;

(ii) राष्ट्रीय प्राधिकरण और राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार अपनी विकास योजनाओं में शमन के उपायों के एकीकरण की बाबत विनिर्देश ;

(iii) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के संबंध में कार्रवाई की तैयारी और क्षमता निर्माण के संबंध में उसकी भूमिका और उत्तरदायित्व ;

(iv) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा की तत्परता से और प्रभावी रूप से मोचन की बाबत उसकी भूमिका और उत्तरदायित्व ;

(v) उपखंड (iii) और उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट तैयारी की उसकी भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों की वर्तमान स्थिति ;

(vi) उपखंड (iii) और उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट उसके उत्तरदायित्वों का पालन करने में समर्थ बनाने के लिए किए जाने वाले अपेक्षित उपाय ;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट योजना का वार्षिक रूप से पुनर्विलोकन और अद्यतन करेगा ;

(ग) यथास्थिति, खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट योजना की

एक प्रति केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा जिसे सरकार उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण को भेजेगी ।

(2) भारत सरकार का प्रत्येक मंत्रालय या विभाग –

(क) उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन जब आपदा प्रबंधन योजना तैयार की जा रही हो तब उसमें विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों के वित्तपोषण के लिए उपबंध करेगा ;

(ख) राष्ट्रीय प्राधिकरण को उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट योजना के कार्यान्वयन से संबंधित स्थिति रिपोर्ट, जब भी अपेक्षित हो, देगा ।

38. राज्य सरकार द्वारा उपाय करना – (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक राज्य सरकार राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट सभी उपाय तथा ऐसे और उपाय करेगी जिन्हें वह आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन समझे ।

(2) उन उपायों के अंतर्गत जिन्हें राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन कर सकेगी, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों की बाबत उपाय भी हैं, अर्थात् :–

(क) राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, राज्य प्राधिकरण, जिला प्राधिकरणों, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य गैर सरकारी संगठनों के कार्यों का समन्वय ;

(ख) आपदा प्रबंधन में राष्ट्रीय प्राधिकरण और राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, राज्य प्राधिकरण और राज्य कार्यकारिणी समिति तथा जिला प्राधिकरणों को सहयोग और उनकी सहायता ;

(ग) भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों का आपदा प्रबंधन में ऐसा सहयोग या सहायता जिनके लिए उनके द्वारा अनुरोध किया जाए या जो उसके द्वारा अन्यथा उचित समझे जाएं ;

(घ) राज्य सरकार के विभागों द्वारा आपदा के निवारण, शमन, क्षमता निर्माण और तैयारी के लिए राज्य योजना तथा जिला योजनाओं के उपबंधों के अनुसार उपायों के लिए निधियों का आबंटन ;

(ङ) राज्य सरकार के विभागों द्वारा अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा के निवारण या शमन के लिए उपायों के एकीकरण को सुनिश्चित करना ;

(च) राज्य के विभिन्न भागों में विभिन्न आपदाओं की संवेदनशीलता को कम करने या शमन करने के लिए राज्य विकास योजना या उपायों में एकीकरण ;

(छ) राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने को सुनिश्चित करना ;

(ज) संवेदनशील समुदायों के स्तर तक पर्याप्त चेतावनी प्रणालियों की स्थापना ;

(झ) यह सुनिश्चित करना कि राज्य सरकार के विभिन्न विभाग और जिला प्राधिकरण समुचित तैयारी के लिए उपाय करें ;

(ञ) यह सुनिश्चित करना कि आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के संसाधन, किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के प्रभावी मोचन, बचाव और राहत के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति या राज्य कार्यकारिणी समिति को उपलब्ध कराए गए हैं ;

(ट) किसी आपदा से पीड़ित व्यक्तियों का पुनर्वास करना और उन्हें पुनर्निर्माण में सहायता देना ;

(ठ) ऐसे अन्य विषय जिन्हें वह इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन समझे ।

39. राज्य सरकार के विभागों के उत्तरदायित्व – राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह –

(क) राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार आपदाओं के निवारण, शमन, तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए आवश्यक उपाय करे ;

(ख) अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा के निवारण और शमन के लिए उपायों को एकीकृत करे ;

(ग) आपदा के निवारण, शमन, क्षमता-निर्माण और तैयारी के लिए निधियां आबंटित करे ;

(घ) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा का राज्य योजना के अनुसार और राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति और राज्य कार्यकारिणी समिति के मार्गदर्शक सिद्धांतों या निदेशों के अनुसार प्रभावी रूप से और तत्परता से मोचन करे ;

(ङ) आपदाओं के निवारण, शमन या उसके लिए तैयारी के आवश्यक उपबंध सम्मिलित करने की दृष्टि से उसके द्वारा प्रशासित अधिनियमितियों, अपनी नीतियों, नियमों और विनियमों का पुनर्विलोकन करे ;

(च) निम्नलिखित के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, राज्य कार्यकारिणी समिति और जिला प्राधिकरणों द्वारा, यथा अपेक्षित, सहायता प्रदान करे,–

(i) शमन, तैयारी और मोचन, क्षमता निर्माण, डाटा संग्रहण और आपदा प्रबंधन के संबंध में कर्मचारिवृंद की पहचान और उनके प्रशिक्षण के लिए योजनाएं तैयार करना ;

(ii) किसी आपदा से नुकसान का निर्धारण करना ;

(iii) पुनर्वास और पुनर्निर्माण का कार्य करना ;

(छ) जिला स्तर पर अपने प्राधिकारियों द्वारा जिला योजना को कार्यान्वित करने के लिए राज्य प्राधिकरण के परामर्श से संसाधनों की व्यवस्था करे ;

(ज) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति या राज्य कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरणों को राज्य में किसी आपदा की तत्परता से प्रभावी रूप से मोचन करने के प्रयोजनों के लिए, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित के लिए उपाय करना भी है, अपने संसाधन उपलब्ध कराए –

(i) संवेदनशील या प्रभावित क्षेत्र में आपात संचार सुविधाएं उपलब्ध कराना ;

(ii) कार्मिकों और राहत सामग्री का प्रभावित क्षेत्र तक या उससे बाहर परिवहन प्रदान करना ;

(iii) निष्क्रमण, बचाव, अस्थायी आश्रय या अन्य तत्काल राहत प्रदान करना ;

(iv) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के किसी क्षेत्र से व्यक्तियों या पशुओं का निष्क्रमण करना ;

(v) अस्थायी पुल, घाट या हवाई पट्टियां स्थापित करना ;

(vi) प्रभावित क्षेत्र में पीने का पानी, आवश्यक रसद, स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं उपलब्ध कराना ;

(झ) ऐसे अन्य कार्य करना जो आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक हों ।

40. राज्य सरकार के विभागों की आपदा प्रबंधन योजना – (1) राज्य सरकार का प्रत्येक विभाग, राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप,–

(क) एक आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित अधिकथित होगा :–

(i) उन आपदाओं के प्रकार जिनसे राज्य के विभिन्न भाग संवेदनशील हैं ;

(ii) आपदा के निवारण या उसके प्रभावों के शमन या दोनों के लिए नीतियों का उस विभाग द्वारा विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ एकीकरण ;

(iii) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा की दशा में और उन आपातकालीन सहायता कार्यों में जिनके किए जाने की उनसे अपेक्षा है, राज्य के उक्त विभाग की भूमिका और उत्तरदायित्व ;

(iv) उपखंड (iii) के अधीन ऐसी भूमिका या

उत्तरदायित्वों या आपातकालीन सहायता कार्य को करने की उसकी तैयारियों की वर्तमान स्थिति ;

(v) धारा 37 के अधीन भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों को उनके उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए समर्थ बनाने हेतु किए जाने वाले प्रस्तावित क्षमता निर्माण और तैयारी के उपाय ;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट योजना का वार्षिक रूप से पुनर्विलोकन और उन्हें अद्यतन करना ; और

(ग) राज्य प्राधिकरण को, यथास्थिति, खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट योजना की प्रति देना ।

(2) राज्य सरकार का प्रत्येक विभाग, उपधारा (1) के अधीन योजना तैयार करते समय, उसमें विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों के वित्तपोषण के लिए उपबंध करेगा ।

(3) राज्य सरकार का प्रत्येक विभाग राज्य कार्यकारिणी समिति को उपधारा (1) में निर्दिष्ट आपदा प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन के संबंध में कार्यान्वयन स्थिति की रिपोर्ट देगा ।

अध्याय 6

स्थानीय प्राधिकारी

41. स्थानीय प्राधिकारी के कृत्य – (1) स्थानीय प्राधिकारी, जिला प्राधिकरण के निदेशों के अधीन रहते हुए,–

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधिकारी और कर्मचारी आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित हैं ;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा प्रबंधन से संबंधित संसाधनों का इस प्रकार अनुरक्षण किया जा रहा है जिससे कि वे किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा की दशा में सदैव उपयोग के लिए उपलब्ध रहेंगे ;

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधीन या उसकी अधिकारिता के भीतर सभी सन्निर्माण परियोजनाएं राष्ट्रीय

प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण और जिला प्राधिकरण द्वारा आपदाओं के निवारण और शमन के लिए अधिकथित मानकों और विनिर्देशों के अनुरूप हैं ;

(घ) प्रभावित क्षेत्र में राज्य योजना और जिला योजना के अनुसार राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के क्रियाकलाप करेगा ।

(2) स्थानीय प्राधिकारी ऐसे अन्य उपाय कर सकेगा जिन्हें वह आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक समझे ।

अध्याय 7

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

42. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान – (1) ऐसी तारीख से जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के नाम से एक संस्थान का गठन किया जाएगा ।

(2) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में उतने सदस्य होंगे, जितने केन्द्रीय सरकार विहित करे ।

(3) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के सदस्यों की पदावधि और उनमें रिक्तियां तथा ऐसी रिक्तियों को भरे जाने की रीति वह होगी जो विहित की जाए ।

(4) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का एक शासी निकाय होगा जिसका गठन केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के सदस्यों में से ऐसी रीति से किया जाएगा जो विहित की जाए ।

(5) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का शासी निकाय ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो विनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

(6) शासी निकाय द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया और शासी निकाय के सदस्यों की पदावधि तथा उनकी रिक्तियों को भरे जाने की रीति वह होगी जो विनियमों द्वारा विहित की जाए ।

(7) इस धारा के अधीन विनियम बनाए जाने तक केन्द्रीय सरकार ऐसे विनियम बना सकेगी और इस प्रकार बनाए गए किसी विनियम को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपांतरित या विखंडित कर सकेगा ।

(8) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अधिकथित विस्तृत नीतियों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के भीतर रहते हुए कार्य करेगा और आपदा प्रबंधन, दस्तावेजीकरण और आपदा प्रबंधन की नीतियों, निवारणतंत्र और शमन के उपायों से संबंधित राष्ट्रीय स्तर की सूचना के आधार के विन्यास के क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान की योजना बनाने और उनका संवर्धन करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(9) उपधारा (8) में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राष्ट्रीय संस्थान, अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए,–

(क) आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण मापदंडों का विकास, अनुसंधान और दस्तावेजीकरण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर सकेगा ;

(ख) ऐसी व्यापक मानव संसाधन विकास योजना तैयार कर सकेगा और उसे कार्यान्वित कर सकेगा जिसके अंतर्गत आपदा प्रबंधन के सभी पहलू आते हों ;

(ग) राष्ट्रीय स्तर की नीति बनाने में सहायता प्रदान कर सकेगा ;

(घ) सरकारी कृत्यकारियों सहित पणधारकों के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रमों के विकास के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थानों की अपेक्षित सहायता कर सकेगा और राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों के संकाय सदस्यों को प्रशिक्षण दे सकेगा ;

(ङ) राज्य स्तर की नीतियों, रणनीतियों, आपदा प्रबंधन ढांचे में राज्य सरकारों और राज्य प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता तथा अपने कृत्यकारियों, सिविल सोसाइटी के सदस्यों, कार्पोरेट सेक्टर और जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों सहित पणधारियों और सरकार

के क्षमता-निर्माण के लिए राज्य सरकारों या राज्य प्रशिक्षण संस्थानों को यथाअपेक्षित सहायता दे सकेगा ;

(च) आपदा प्रबंधन के लिए शैक्षिक और वृत्तिक पाठ्यक्रमों सहित शैक्षिक सामग्री का विकास कर सकेगा ;

(छ) बहुविपत्ति के शमन, तैयारी और उसके मोचन के उपायों से सहबद्ध महाविद्यालय या स्कूल अध्यापकों और छात्रों, तकनीकी कार्मिकों तथा अन्य व्यक्तियों सहित पणधारकों के बीच जागरूकता पैदा कर सकेगा ;

(ज) पूर्वोक्त उद्देश्यों का संवर्धन करने के लिए देश के भीतर या देश के बाहर अध्ययन पाठ्यक्रम, सम्मेलन, व्याख्यान, सेमिनार कर सकेगा, उनका आयोजन कर सकेगा और उन्हें सुकर बना सकेगा ;

(झ) पत्रिकाओं, अनुसंधान पत्रों और पुस्तकों का प्रकाशन करा सकेगा और पूर्वोक्त उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए पुस्तकालयों की स्थापना और उनका अनुरक्षण कर सकेगा ;

(ञ) ऐसे सभी अन्य विधिपूर्ण कार्य कर सकेगा जो उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक या आनुषंगिक हों ; और

(ट) ऐसे कोई अन्य कृत्य कर सकेगा जो उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा समनुदेशित किए जाएं ।

43. राष्ट्रीय संस्थान के अधिकारी और अन्य कर्मचारी – केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान को उतने अधिकारी, परामर्शदाता और अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने वह उसके कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक समझे ।

अध्याय 8

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल

44. राष्ट्रीय आपदा मोचन बल – (1) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के विशेषज्ञतापूर्ण मोचन के प्रयोजन के लिए एक राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन किया जाएगा ।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उक्त बल का गठन ऐसी रीति से किया जाएगा और बल के सदस्यों की सेवा की शर्तें जिनके अंतर्गत उनके लिए अनुशासन संबंधी उपबंध भी हैं, वे होंगी जो विहित की जाएं ।

45. **नियंत्रण, निदेशन, आदि** – बल का साधारण अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राष्ट्रीय प्राधिकरण में निहित होगा और उसके द्वारा उनका प्रयोग किया जाएगा तथा बल की कमान और उनका अधीक्षण केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले अधिकारी में निहित होगा ।

अध्याय 9

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

46. **राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि** – (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के नाम से ज्ञात होने वाली एक निधि का गठन कर सकेगी और उसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे –

(क) ऐसी रकम जिसे केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, प्रदान करे ;

(ख) ऐसे कोई अनुदान आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा दिए गए कोई अनुदान ।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्राधिकरण के परामर्श से अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार आपातकालीन मोचन, राहत और पुनर्वास के व्ययों को चुकाने के लिए उपयोजित किए जाने हेतु राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि उपलब्ध कराई जाएगी ।

47. **राष्ट्रीय आपदा शमन निधि** – (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, आपदा के शमन के प्रयोजन के लिए अनन्य रूप से परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा शमन निधि के नाम से ज्ञात होने

वाली एक निधि का गठन कर सकेगी और उसमें ऐसी रकम जमा की जाएगी जो केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, प्रदान करे ।

(2) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन निधि का उपयोजन राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा ।

48. राज्य सरकार द्वारा निधियों की स्थापना – (1) राज्य सरकार, राज्य प्राधिकरण और जिला प्राधिकरणों का गठन करने के लिए अधिसूचनाओं के जारी किए जाने के ठीक पश्चात्, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित निधियों की स्थापना करेगी, अर्थात् :–

(क) राज्य आपदा मोचन निधि के नाम से ज्ञात होने वाली निधि ;

(ख) जिला आपदा मोचन निधि के नाम से ज्ञात होने वाली निधि ;

(ग) राज्य आपदा शमन निधि के नाम से ज्ञात होने वाली निधि ;

(घ) जिला आपदा शमन निधि के नाम से ज्ञात होने वाली निधि ।

(2) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि –

(i) उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन स्थापित निधियां राज्य कार्यकारिणी समिति को उपलब्ध हैं ;

(ii) उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन स्थापित निधियां राज्य प्राधिकरण को उपलब्ध हैं ;

(iii) उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (घ) के अधीन स्थापित निधियां जिला प्राधिकरण को उपलब्ध हैं ।

49. मंत्रालयों और विभागों द्वारा निधियों का आबंटन – (1) भारत सरकार का प्रत्येक मंत्रालय या विभाग, अपने वार्षिक बजट में, अपनी आपदा प्रबंधन योजना में वर्णित क्रियाकलापों और कार्यक्रमों को करने के प्रयोजनों के लिए निधियों का उपबंध करेगा ।

(2) उपधारा (1) के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित राज्य सरकार के विभागों को लागू होंगे ।

50. आपात उपापन और लेखा-जोखा – जहां किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के कारण, राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि बचाव या राहत के लिए रसद या सामग्री का तत्काल उपापन या संसाधनों का तत्काल उपयोजन आवश्यक है वहां, –

(क) वह संबद्ध विभाग या प्राधिकारी को उपापन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और ऐसी दशा में, निविदाएं आमंत्रित करने के लिए अपेक्षित मानक प्रक्रिया का त्यजन किया गया समझा जाएगा ;

(ख) यथास्थिति, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत नियंत्रक अधिकारी द्वारा रसद या सामग्री के उपयोजन के बारे में प्रमाणपत्र ऐसी रसद या सामग्री के आपात उपापन के लेखा-जोखा प्रयोजन के लिए विधिमान्य दस्तावेज या बीजक माना जाएगा ।

अध्याय 10

अपराध और शास्तियां

51. बाधा डालने, आदि के लिए दंड – जो कोई, युक्तियुक्त कारण के बिना, –

(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी अथवा राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिए इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालेगा ; या

(ख) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से दिए गए किसी निदेश का पालन करने से इंकार करेगा,

तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा और यदि ऐसी बाधा या निदेशों का पालन करने से इंकार करने के परिणामस्वरूप जीवन की हानि होती है या उनके लिए आसन्न खतरा पैदा होता है, तो दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा ।

52. मिथ्या दावे के लिए दंड – जो कोई जानबूझकर केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण के किसी अधिकारी से आपदा के परिणामस्वरूप कोई राहत, सहायता, मरम्मत, सन्निर्माण या अन्य फायदे अभिप्राप्त करने के लिए ऐसा दावा करेगा जिसके बारे में वह यह जानता है या यह विश्वास करने का उसके पास कारण है कि वह मिथ्या है, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा ।

53. धन या सामग्री आदि के दुरुपयोजन के लिए दंड – जो कोई, जिसे किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा में राहत पहुंचाने के लिए आशयित कोई धन या सामग्री सौंपी गई है या अन्यथा कोई धन या माल उसकी अभिरक्षा या आधिपत्य में है और वह ऐसे धन या सामग्री या उसके किसी भाग का दुरुपयोजन करेगा या अपने स्वयं के उपयोग के लिए उपयोजन करेगा अथवा उसका व्ययन करेगा या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिए विवश करेगा, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा ।

54. मिथ्या चेतावनी के लिए दंड – जो कोई, जिसे किसी आपदा या उसकी गंभीरता या उसके परिमाण के संबंध में आतंकित करने वाली मिथ्या संकट-सूचना या चेतावनी देता है, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दंडनीय होगा ।

55. सरकार के विभागों द्वारा अपराध – (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है वहां विभागाध्यक्ष ऐसे अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही की जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा,

जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध विभागाध्यक्ष से भिन्न किसी अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा अधिकारी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

56. अधिकारी की कर्तव्य पालन में असफलता या उसकी ओर से इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के प्रति मौनानुकूलता – ऐसा कोई अधिकारी, जिस पर इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कोई कर्तव्य अधिरोपित किया गया है और जो अपने पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा या करने से इनकार करेगा या स्वयं को उससे विमुख कर लेगा तो, जब तक कि उसने अपने से वरिष्ठ अधिकारी की अभिव्यक्त लिखित अनुमति अभिप्राप्त न कर ली हो या उसके पास ऐसा करने के लिए कोई अन्य विधिपूर्ण कारण न हो, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, दंडनीय होगा ।

57. अध्यपेक्षा के संबंध में किसी आदेश के उल्लंघन के लिए शास्ति – यदि कोई व्यक्ति धारा 65 के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।

58. कंपनियों द्वारा अपराध – (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी या निगमित निकाय द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे उल्लंघन के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजन के लिए –

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है ; और

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

59. अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी – धारा 55 और धारा 56 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए कोई अभियोजन, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या ऐसी सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा ।

60. अपराधों का संज्ञान – कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित द्वारा परिवाद किए जाने पर करने के सिवाय नहीं करेगा,–

(क) राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, जिला प्राधिकरण या, यथास्थिति, उस प्राधिकरण या सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी या अधिकारी ; या

(ख) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने अभिकथित अपराध की ओर राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, जिला प्राधिकरण या पूर्वोक्तानुसार प्राधिकृत किसी प्राधिकारी या अधिकारी को परिवाद करने के अपने आशय की विहित रीति में कम-से-कम तीस दिन की सूचना दे दी है ।

अध्याय 11

प्रकीर्ण

61. विभेद का प्रतिषेध – आपदा के पीड़ित व्यक्तियों को प्रतिपूर्ति और राहत देते समय लिंग, जाति, समुदाय, उद्भव या धर्म के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा ।

62. केन्द्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति – तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह आपदा प्रबंधन को सुकर बनाने या उसमें सहायता करने के लिए, यथास्थिति, भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों, या राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति या किसी राज्य सरकार, राज्य प्राधिकरण, राज्य कार्यकारिणी समिति, कानूनी निकायों या उनके किन्हीं अधिकारियों या कर्मचारियों को लिखित में निदेश जारी करे और ऐसा मंत्रालय या विभाग या सरकार या प्राधिकरण, कार्यकारिणी समिति, कानूनी निकाय, अधिकारी या कर्मचारी ऐसे निदेश का पालन करने के लिए आबद्ध होगा ।

63. बचाव कार्यों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली शक्तियां – संघ या राज्य का कोई अधिकारी या प्राधिकारी, उससे राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, किसी राज्य कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण द्वारा या ऐसी किसी समिति या प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा अनुरोध किए जाने पर, उस समिति या प्राधिकरण या उस व्यक्ति को, आपदा के निवारण या उसके शमन या बचाव या राहत कार्यों के संबंध में कोई कृत्य करने के लिए ऐसे अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगा, जिनके लिए अनुरोध किया गया है ।

64. कतिपय परिस्थितियों में नियम, आदि बनाना या उनमें

संशोधन करना – इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए यदि, यथास्थिति, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, राज्य कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण को यह प्रतीत होता है कि आपदाओं के निवारण या उनके शमन के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, किसी नियम, विनियम, अधिसूचना, मार्गदर्शक सिद्धांत, अनुदेश, आदेश, स्कीम या उपविधि में उपबंध करना या उनमें संशोधन करना अपेक्षित है तो वह उस प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, नियमों, विनियम, अधिसूचना, मार्गदर्शक सिद्धांतों, अनुदेश, आदेश, स्कीम या उपविधियों में संशोधन की अपेक्षा कर सकेगा और समुचित विभाग या प्राधिकारी ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा ।

65. बचाव कार्य आदि के लिए संसाधनों, रसद, यानों आदि की अध्यपेक्षा करने की शक्ति – (1) यदि राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, राज्य कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण या उसके द्वारा इस निमित्त यथा प्राधिकृत किसी अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि,–

(क) किसी प्राधिकारी या व्यक्ति के पास किन्हीं संसाधनों की तत्काल भेजने के प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ;

(ख) बचाव कार्य के प्रयोजन के लिए किन्हीं परिसरों की आवश्यकता है या उनकी आवश्यकता संभावित है ; या

(ग) आपदा से प्रभावित क्षेत्रों से संसाधनों के परिवहन या प्रभावित क्षेत्र को संसाधनों के परिवहन या बचाव, पुनर्वास या पुनः सन्निर्माण के संबंध में परिवहन के प्रयोजनों के लिए किसी यान की आवश्यकता है या उसकी आवश्यकता संभावित है,

तो ऐसा प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा, यथास्थिति, ऐसे संसाधनों या परिसरों या ऐसे यान की अध्यपेक्षा कर सकेगा और ऐसे आदेश भी कर सकेगा जो उसे अध्यपेक्षा के संबंध में आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों ।

(2) जब भी उपधारा (1) के अधीन किसी संसाधन, परिसर या यान की अध्यपेक्षा की जाती है वहां ऐसी अध्यपेक्षा की अवधि उस अवधि से अधिक नहीं होगी जिसके लिए ऐसे संसाधन, परिसर या यान उस उपधारा में उल्लिखित किसी भी प्रयोजन के लिए अपेक्षित हैं ।

(3) इस धारा में,–

(क) "संसाधन" के अन्तर्गत मानव और सामग्री संसाधन हैं ;

(ख) "सेवाओं" के अन्तर्गत सुविधाएं हैं ;

(ग) "परिसर" से कोई भूमि, भवन या भवन का कोई भाग अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई झोंपड़ी, छप्पर या कोई अन्य संरचना या उसका भाग भी है ; और

(घ) "यान" से परिवहन के प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया या उपयोग किए जाने के लिए सक्षम कोई यान अभिप्रेत है चाहे वह यांत्रिक शक्ति से या अन्यथा नोदित हो ।

66. प्रतिपूर्ति का संदाय – (1) जब भी धारा 65 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई समिति, प्राधिकरण या अधिकारी, उस धारा के अनुसरण में किसी परिसर की अध्यपेक्षा करता है वहां हितबद्ध व्यक्तियों को प्रतिपूर्ति का संदाय किया जाएगा जिसकी रकम निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अवधारित की जाएगी, अर्थात् :–

(i) परिसर के संबंध में संदेय किराया, या यदि इस प्रकार कोई किराया संदेय नहीं है तो उसके परिक्षेत्र में उसके समान परिसर के लिए संदेय किराया ;

(ii) यदि परिसर की अध्यपेक्षा के परिणामस्वरूप हितबद्ध व्यक्ति अपने आवास या कारबार के स्थान में परिवर्तन करने के लिए बाध्य होता है तो ऐसे परिवर्तन से अनुषंगी युक्तियुक्त व्यय (यदि कोई हों) :

परंतु जहां कोई हितबद्ध व्यक्ति इस प्रकार अवधारित प्रतिपूर्ति की रकम से व्यथित होकर, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को तीस दिन के भीतर, मामले को किसी मध्यस्थ को निर्दिष्ट करने के लिए आवेदन करता है तो संदाय की जाने वाली प्रतिपूर्ति की रकम वह होगी जो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ अवधारित करे :

परंतु यह और कि जहां प्रतिपूर्ति को प्राप्त करने के लिए हकदारी के संबंध में या प्रतिपूर्ति रकम के प्रभाजन के संबंध में कोई

विवाद है वहां विवाद को, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी मध्यस्थ को अवधारण के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा और उसे ऐसे मध्यस्थ के निर्णय के अनुसार अवधारित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण – इस उपधारा में "हितबद्ध व्यक्ति" पद से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 65 के अधीन अध्यपेक्षित परिसर पर, अध्यपेक्षा से तुरंत पूर्व वास्तविक रूप में काबिज था, या उस दशा में जहां कोई व्यक्ति इस प्रकार वास्तविक रूप में काबिज नहीं था वहां ऐसे परिसर का स्वामी अभिप्रेत है ।

(2) जब कभी धारा 65 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई समिति, प्राधिकरण या अधिकारी उस धारा के अनुसरण में किसी यान की अध्यपेक्षा करता है तो उसके स्वामी को प्रतिकर का संदाय किया जाएगा जिसकी रकम, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसे यान के किराए के लिए उस परिक्षेत्र में विद्यमान भाड़ा या दरों के आधार पर अवधारित की जाएगी :

परन्तु जहां ऐसे अवधारित किए गए प्रतिकर की रकम से व्यथित ऐसे यान का स्वामी विहित समय के भीतर मामले को किसी मध्यस्थ को निर्दिष्ट करने के लिए, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को आवेदन करता है तो संदत्त की जाने वाली प्रतिकर की रकम वह होगी जो, इस निमित्त, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मध्यस्थ अवधारित करे :

परन्तु यह और कि जहां अध्यपेक्षा किए जाने के ठीक पूर्व यान या जलयान, अवक्रय करार के कारण स्वामी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में था वहां अध्यपेक्षा की बाबत संदेय कुल प्रतिकर के रूप में, इस उपधारा के अधीन अवधारित रकम उस व्यक्ति और स्वामी के बीच ऐसी रीति में प्रभाजित की जाएगी जिसमें वे सहमत हों और करार के व्यतिक्रम में ऐसी रीति से प्रभाजित की जाएगी जो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मध्यस्थ इस निमित्त विनिश्चय करे ।

67. चेतावनी, आदि की संसूचना के लिए मीडिया को निदेश – राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण या कोई जिला प्राधिकरण किसी प्राधिकारी या किसी श्रव्य या श्रव्य-दृश्य मीडिया या संसूचना के ऐसे साधनों पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को, जो किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा की बाबत किसी चेतावनी या मंत्रणाओं को कार्यान्वित करने के लिए उपलब्ध हों, निदेश देने की सरकार को सिफारिश कर सकेगा और संसूचना के उक्त साधन और यथा अभिहित मीडिया ऐसे निदेश का पालन करेगा ।

68. आदेशों या विनिश्चयों का अधिप्रमाणन – राष्ट्रीय प्राधिकरण या राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति या राज्य प्राधिकरण या राज्य कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण का प्रत्येक आदेश या विनिश्चय, राष्ट्रीय प्राधिकरण या राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति या राज्य कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण के ऐसे अधिकारियों द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा जो इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत हों ।

69. शक्तियों का प्रत्यायोजन – यथास्थिति, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, राज्य कार्यकारिणी समिति लिखित साधारण या विशेष आदेश द्वारा अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य या किसी अधिकारी को ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों को, जो वह आवश्यक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगी ।

70. वार्षिक रिपोर्ट – (1) राष्ट्रीय प्राधिकरण, प्रत्येक वर्ष ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें पूर्व वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का सही और पूरा विवरण दिया जाएगा और उसकी प्रतियां केन्द्रीय सरकार को भेजेगा और वह सरकार उसकी प्राप्ति के एक मास के भीतर उसे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी ।

(2) राज्य प्राधिकरण, प्रत्येक वर्ष, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर जो विहित किया जाए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें पूर्व वर्ष के दौरान किए गए उसके क्रियाकलापों का सही और पूरा विवरण दिया जाएगा और उसकी प्रतियां राज्य सरकार को भेजेगा और वह सरकार,

जहां उस राज्य के विधान-मंडल में दो सदन हैं वहां राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां ऐसे विधान-मंडल में केवल एक ही सदन है वहां उस सदन के समक्ष रखवाएगी ।

71. न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन – किसी न्यायालय को (उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को छोड़कर) केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य सरकार, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में या इसके अधीन कृत्यों के संबंध में की गई किसी बात या कार्रवाई, किए गए आदेश, दिए गए निदेश या अनुदेश या मार्ग निदेशन के संबंधों में कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी ।

72. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव – इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

73. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई – इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के अधीन केन्द्रीय सरकार या राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य सरकार या राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार या राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य सरकार या राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकारी के किसी अधिकारी या कर्मचारी या ऐसी सरकार या प्राधिकरण के निमित्त कार्यरत किसी व्यक्ति द्वारा सद्भावपूर्वक किए गए किसी कार्य या किए जाने के लिए तात्पर्यित या किए जाने के लिए आशयित किसी कार्य की बाबत किसी न्यायालय में कोई वाद या अभियोजन या अन्य कार्यवाही ऐसे प्राधिकरण या सरकार या ऐसे अधिकारी या कर्मचारी या ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी ।

74. विधिक प्रक्रिया से उन्मुक्ति – केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, राज्य सरकार, राज्य प्राधिकरण, राज्य कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी अपनी शासकीय क्षमता में उनके द्वारा संसूचित या प्रसारित किसी आसन्न आपदा की बाबत, ऐसी संसूचना या प्रसारण के अनुसरण

में उनके द्वारा की गई कार्रवाई या जारी निदेश की बाबत विधिक प्रक्रिया से उन्मुक्त रहेंगे ।

75. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति – (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :–

(क) धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय प्राधिकरण की संरचना और सदस्यों की संख्या तथा उसकी उपधारा (4) के अधीन राष्ट्रीय प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें ;

(ख) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन सलाहकार समिति के सदस्यों को संदत्त किए जाने वाले भत्ते ;

(ग) धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष की शक्तियां और उसके कृत्य तथा धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों का निर्वहन करने में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया ;

(घ) धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा गठित उपसमिति से सहयुक्त व्यक्तियों को संदत्त किए जाने वाले भत्ते ;

(ङ) धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के सदस्यों की संख्या, उपधारा (3) के अधीन सदस्यों की पदावधि और उनकी रिक्तियां तथा ऐसी रिक्तियों को भरे जाने की रीति और उपधारा (4) के अधीन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के शासी निकाय के गठन की रीति ;

(च) धारा 44 की उपधारा (2) के अधीन बल के गठन की रीति, अनुशासनिक उपबंधों सहित बल के सदस्यों की सेवा की शर्तें ;

(छ) वह रीति जिसमें धारा 60 के खंड (ख) के अधीन राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या प्राधिकारी या अधिकारी को अपराध की सूचना और परिवाद करने के आशय की सूचना दी जाएगी ;

(ज) वह प्ररूप जिसमें और वह समय जिसके भीतर धारा 70 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जानी है ;

(झ) अन्य कोई विषय जो विहित किया जाए या किया जा सके या जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है ।

76. विनियम बनाने की शक्ति – (1) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों से संगत विनियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगा ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :–

(क) शासी निकाय द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और उनके द्वारा निर्वहन किए जाने वाले कृत्य ;

(ख) शासी निकाय द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कृत्यों के निर्वहन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ;

(ग) ऐसा कोई अन्य विषय जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन विनियमों द्वारा उपबंध किए जा सकेंगे ।

77. नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना – इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई

परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हो जाएं कि नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो वह नियम या विनियम केवल, यथास्थिति, ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या निप्रभाव हो जाएगा । तथापि, ऐसे परिवर्तन या निप्रभाव होने से नियम या विनियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

78. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति – (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :–

(क) धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन राज्य प्राधिकरण की संरचना और सदस्यों की संख्या तथा उसकी उपधारा (5) के अधीन राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें ;

(ख) धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन सलाहकार समिति के सदस्यों को संदत्त किए जाने वाले भत्ते ;

(ग) धारा 20 की उपधारा (3) के अधीन राज्य कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष की शक्तियां और उसके कृत्य तथा धारा 20 की उपधारा (4) के अधीन राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों का निर्वहन करने में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया ;

(घ) धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा गठित उप समिति से सहयुक्त व्यक्तियों को संदत्त किए जाने वाले भत्ते ;

(ङ) धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन जिला प्राधिकरण की संरचना और उसके सदस्यों की संख्या तथा धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन जिला प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और निर्वहन किए जाने वाले कृत्य ;

(च) धारा 28 की उपधारा (3) के अधीन विशेषज्ञों के रूप में जिला प्राधिकरण द्वारा गठित किसी समिति से सहयुक्त व्यक्तियों को संदेय भत्ते ;

(छ) अन्य कोई विषय जो विहित किया जाए या किया जा सके या जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है ।

(3) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के, जहां वह दो सदनों से मिलकर बना है या जहां ऐसा विधान-मंडल एक सदन का है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

79. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति – (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसा आदेश कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, और जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष के अवसान के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, यथास्थिति, संसद् या विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

Cover III

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रयार्थ उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों की सूची

क्रम सं.	पुस्तक का नाम, लेखक का नाम एवं प्रकाशन वर्ष (संस्करण)	पृष्ठ सं.	पुस्तक की मूल मुद्रित कीमत (रुपयों में)	विशेष छूट के पश्चात् पुस्तक की कीमत (रुपयों में)
1.	अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय – डा. एस. सी. खरे – 1996	273	115	29.00
2.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय) – विधि साहित्य प्रकाशन – 2000	209	225	57.00
3.	विधि शास्त्र – डा. शिवदत्त शर्मा – 2004	501	580	290.00
4.	मानव अधिकार – डा. शिवदत्त शर्मा – 2006	340	120	60.00
5.	निर्णय लेखन – न्या. भगवती प्रसाद बेरी – 2019	190	175	–

अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन

1. विधि शब्दावली	सातवां संस्करण, 2015	कीमत रु. 375/-
2. निर्वाचन विधि निर्देशिका (भाग-1 तथा भाग-2)	नवीनतम संस्करण, 2019	कीमत रु. 1,900/-
3. भारत का संविधान (सिंधी भाषा में)	1998	कीमत रु. 45/-
4. बहुभाषी संविधान शब्दावली	1986	कीमत रु. 12/-

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

Website : www.lawmin.nic.in
Email : am.vsp-molj@gov.in

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 17552/69

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – **उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका** का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के चयनित क्रमशः सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका को उपादेय और ज्ञानवर्द्धक बनाने के लिए प्रिवी कौंसिल के निर्णयों को भी समाविष्ट किया जा रहा है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत क्रमशः ₹ 2,100/-, ₹ 1,300/- और ₹ 1,300/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें । साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि केन्द्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, विधि पत्रिकाओं और अन्य विधि प्रकाशनों को आन लाइन **https://bharatkosh.gov.in/product/ product** पर प्राप्त किया जा सकता है ।

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विक्रेता : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in